खण्ड-503, अंक-6
शुक्रवार 27 माघ, शक संवत् 1939
(16 फरवरी, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 503 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	. .	1-6
प्रश्नोत्तर (जारी)	. .	7-12
पीठ के अधिकार को इंगित किया जाना	. .	12-17
प्रश्नोत्तर	. .	17-52
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना	. .	52
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	. .	52-75
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	. .	75-76
यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में उपस्थिति हेतु मा0 सदस्यों को आमंत्रण	. .	76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	. .	76-77
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल (नलकूप) लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	78
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत कटका चौराहे से गोविन्द साहब मठ तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	78
जनपद बिजनौर के नगर पालिका, चांदपुर में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	78
जनपद बरेली की ओसवाल चीनी मिल में गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.	.	79
जनपद फर्रूखाबाद स्थित श्रृंगीरामपुर सहित सभी आस-पास के आश्रमों को सामूहिक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	79
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक राजकीय कन्या		

महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 80

जिला मुख्यालय, बांदा के बिसण्डा मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 80

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 81

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कैण्टोनमेंट में नालियों/सीवर की जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 81

जनपद श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की गयी जालसाजी पर तत्काल गिरफ्तारी व धन वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 82

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हंडिया के कतिपय मार्गों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 82

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज में घाघरा नदी के चरसड़ी बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 83

जनपद लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास रिंग रोड के नीचे चौराहे से पुलिस बूथ हटवाकर सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 83

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 84

जनपद गोण्डा के ब्लाक कटरा बाजार के ग्राम जगदीशपुर बलदी (शवदीन पुरवा) का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 84

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम खैरई के मुख्य मार्ग को

हरखूपुर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . . 84

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 597/65-3-2017-01-2017, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 (पटल पर रखी गयी) . . 85

जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277 कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारतीय आदि, निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 85

जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277 कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी के प्रतापपुर-अशरफपुर, बरवा भारीडीहा होते हुए केदार नगर तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स से निर्माण विषयक श्री वंशराज वर्मा आदि, निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 85

जिला बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी पर गोराघाट पर अधूरे पड़े पुल का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री बाबूराम कश्यप आदि, निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 85

जिला बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम बसई व धरमपुरा गौटिया के बीच कुल्ली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक गंगवार आदि, निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 86

जिला बरेली की तहसील मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा की स्थापना जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष शर्मा आदि, निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 86

जिला बरेली की तहसील मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) के पिथूपुरा-रफियाबाद गांव की 5 एकड़ आवंटित भूमि पर नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल गंगवार आदि, निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 86

जिला बरेली की तहसील मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) से वाया रहपुरा

जागीर टेक्सटाइल पार्क होते हुए ठिरिया ठाकुरान तक रोड का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश वर्मा आदि, निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 86

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें . . 87

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 23 अगस्त, 2017 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . . 87

श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . . 88-90

श्री राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के अन्तिम दिन दिनांक 26 फरवरी, 2018 को कार्य-स्थगन, नियम-300 न लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 91-92

राज्य सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 92

'राज्य सलाहकार बोर्ड' में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 93

लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 93

जनपद बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना किये जाने विषयक डा0 अरूण कुमार के संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 94

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 94

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	95
जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तककुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	95
जनपद हरदोई में लखनऊ-दिल्ली चार लेन मार्ग पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई-लखनऊ, हरदोई-पिहानी, हरदोई-शाहजहांपुर तथा हरदोई-फर्रूखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाइपास का निर्माण कराये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	96
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131 कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	96
जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	97
जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	97
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	97
जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकार मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . .	97
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी) . .	98
नियम-51 की सभी सूचनायें लिये जाने का अनुरोध . .	98
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	99-101
हाई टेंशन तार की चपेट में आये मृतकों के परिवार को बिजली विभाग से	

विषय	पृष्ठ-संख्या
मण्डी परिषद् में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच में लीपा-पोती किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य . .	102-104
जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा के अन्तर्गत ग्राम महुराखुर्द में विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य . .	104
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक औरास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) . .	105
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव के ग्राम कबीर नगर चौराहा से पिण्डेरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का वक्तव्य . .	105-106
जनपद लखनऊ के फैजुल्लाहगंज व जानकीपुरम क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य . .	106-107
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में मऊ फीडर के अन्तर्गत सभी लाइनों पर 11 के0 वी0 के तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य . .	107-108
जनपद फिरोजाबाद में जसराना नवीन नहर से गोपालपुर ग्राम से मोहम्मदपुर लभौया के मध्य बिटुमिन रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य . .	108-109
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत तहसील गोला में स्थित बारा नगर कैनाल में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य . .	109-110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-359

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजीत पाल सिंह, श्री कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
31. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) वाराणसी
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
33. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
34. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
35. असलम अली, श्री हापुड़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
37. आर0 के सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
44. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
45. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
46. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
48. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
49. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
50. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
51. ओमकुमार, श्री बिजनौर
52. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर

53. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
54. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
55. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केसर सिंह, श्री बरेली
66. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
67. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
68. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
71. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
72. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
73. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
74. गौरी शंकर, श्री जालौन
75. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
76. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
77. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
78. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
79. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
80. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
81. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
82. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
85. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
86. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
87. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
90. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
91. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
92. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
93. ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
94. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
95. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
96. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
97. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
99. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
100. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
101. दल बहादुर, श्री रायबरेली
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
104. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
105. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
106. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
110. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर

121. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
122. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
123. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
129. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
130. नाहिद हसन, श्री शामली
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
136. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
140. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
141. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
142. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
143. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
146. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
147. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
148. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
149. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
152. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
153. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. फागू चौहान, श्री मऊ
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
158. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
159. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
160. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
161. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
162. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
163. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा
165. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
166. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
167. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
187. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
189. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई

192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
194. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
195. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
196. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
201. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
208. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
209. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
211. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
213. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
214. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
215. रवि शर्मा, श्री झांसी
216. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
217. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
218. आर0 के वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
220. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
221. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
222. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
223. राज करन कबीर, श्री बांदा
224. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
225. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
226. राजबाला, श्रीमती रामपुर
227. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
228. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
229. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
230. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
231. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
232. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
233. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
234. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
235. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
236. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
237. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
238. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
239. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
240. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
241. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
242. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
243. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
244. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
245. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
246. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
247. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
248. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
249. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
251. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
252. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
253. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
254. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
255. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
256. लाखन सिंह, श्री औरैया
257. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
258. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी

259. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
260. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
261. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
262. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
264. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
265. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
266. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
267. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
268. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
269. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
270. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
271. विनय शाक्य, श्री औरैया
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
274. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
275. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
276. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
277. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
278. वीरेन्द्र, श्री एटा
279. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री फैजाबाद
280. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
281. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
282. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
283. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
284. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
285. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
286. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
287. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
288. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
289. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
290. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
291. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
292. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
293. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
294. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
295. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
296. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
297. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
298. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
299. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
300. संजय, श्री बुलन्दशहर
301. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
302. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
303. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
304. संजय यादव, श्री बलिया
305. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
306. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
307. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
308. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
309. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
310. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
311. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
312. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
313. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
314. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
315. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
316. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
317. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
318. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
319. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
320. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
321. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
322. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
323. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
324. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
325. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
326. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
327. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
328. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

329. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
330. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
331. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
332. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
333. सुरेश कुमार, श्री शामली
334. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
335. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
336. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
337. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
338. सुरेश राही, श्री सीतापुर
339. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
340. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
341. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
342. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
343. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
344. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
345. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
346. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
347. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
348. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
349. सौरभ सिंह, श्री खीरी
350. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
351. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
352. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
353. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
354. हरीराम, श्री सोनभद्र
355. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
356. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
357. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
358. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
359. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), परिवहन, प्रोटोकाल राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री स्वतंत्रदेव सिंह) तथा पंचायतीराज, लोक निर्माण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00]-प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

***01-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', सुश्री अदिति सिंह, श्री नितिन अग्रवाल, श्री उमाशंकर सिंह तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जन जीवन प्रभावित है ? क्या उसे रोकने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती की समय सीमा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी नहीं। आंधी, तूफान, स्थानीय व्यवधान अथवा राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी अनिवार्य हो जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति शेड्यूल (ग्रामीण 18 घण्टे, तहसील 20 घण्टे एवं शहरी 24 घण्टे) के सापेक्ष, शहरी क्षेत्र में औसतन 23:10, तहसील 20:01 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18:00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

उत्पादन क्षेत्र में-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत स्थापित विद्युत उत्पादन गृहों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता 5778 मे0वा0 के सापेक्ष औसतन लगभग 4000 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

उ0नि0लि0 के अन्तर्गत राज्य/संयुक्त क्षेत्र में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3960 मे0वा0 राज्य क्षेत्र में तथा 3300 मे0वा0 संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन है।

केस 1-बिडिंग प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कुल 2525 मे0वा0 ऊर्जा क्रय हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये हैं। उक्त अनुबन्धित ऊर्जा में से 2101 मे0वा0 ऊर्जा की प्राप्ति प्रारम्भ हो चुकी है।

वर्तमान में कुल उपलब्धता औसतन 14500 मे0वा0 है। डीप पोर्टल से 1700 मे0वा0 से 2000 मे0वा0 की व्यवस्था माह मई से सितम्बर, 2018 तक कर दी गयी है। उपरोक्त अवधि हेतु बैंकिंग के माध्यम से 700 मे0वा0 ऊर्जा का प्रबन्ध प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल उपलब्धता 17200 मे0वा0 हो गयी है, जो कि वर्तमान में प्रदेश की औसत मांग लगभग 11,000-14500 मे0वा0 के सापेक्ष पर्याप्त है।

पारेषण क्षेत्र में-

24×7 पावर फॉर ऑल के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल रु0 4319.61 करोड़ की लागत से 765 के0वी0 का एक नग, 400 के0वी0 के 07 नग, 220 के0वी0 के 08 नग तथा 132 के0वी0 के 19 नग कुल 35 नग उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जा चुका है।

अवशेष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 220 के0वी0 के 12 नग तथा 132 के0वी0 के 13 नग उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण लक्षित है। वर्तमान में 132/33 के0वी0 विभव पर लगभग 42765 एम0वी0ए0 परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पावर फॉर ऑल के अन्तर्गत उ0प्र0पा0ट्रांका0लि0 द्वारा कार्य योजना बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक 132/33 के0वी0 विभव पर 45363 एम0वी0ए0 की परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध हो जाना सम्भावित है।

वितरण क्षेत्र में-

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण क्षेत्र में 33/11 के0वी0 नवीन उपकेन्द्रों का निर्माण एवं उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, नवीन 33 एवं 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण एवं कृषि एवं गैर कृषि 11 के0वी0 पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माह जनवरी, 2018 तक कुल 92 नग 33/11 के0वी0 नवीन उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही 384 नग की क्षमतावृद्धि की जा चुकी है। कुल 11344 नग नये वितरण परिवर्तक स्थापित किये जा चुके हैं। 1386.41 कि0मी0 33 के0वी0 एवं 8621.54 कि0मी0 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 4608.98 कि0मी0 पुरानी ओवर हेड एल0टी0 लाइनों को एरीयल बन्च कन्डक्टर से बदला जा चुका है। कुल 240 कृषि एवं गैर कृषि 11 के0वी0 पोषकों का पृथक्कीकरण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में घोषित रोस्टर के अनुसार प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कोई विद्युत कटौती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 06 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 04:00 घण्टे एवं बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 04:00 घण्टे विद्युत कटौती निर्धारित की गई है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, बिजली के बगैर विकास की कल्पना करना असम्भव है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे उद्योग, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या हमारा सामान्य जीवन, बिजली की कमी सभी को प्रभावित करती है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में, जनपद मुख्यालय पर 20 घण्टे, नगरीय क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है किन्तु आकस्मिक शटडाउन के नाम पर जो अघोषित बिजली कटौती की जा रही है उसका मूल कारण है प्रदेश में बिजली का कम उत्पादन। बिजली का कम उत्पादन होने के कारण मांग एवं आपूर्ति के बीच में जो काफी अन्तर आ गया है। मेरा पहला सवाल है कि क्या मा0 ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में बिजली का उत्पादन कितना किया जा रहा है और मांग कितनी है ? मेरा

दूसरा सवाल है कि किस दर पर सरकार बिजली खरीद रही है ? तीसरा सवाल है कि पॉवर फॉर ऑल, सभी को बिजली का कनेक्शन देना यह बड़ी लाभकारी योजना है किन्तु वर्तमान के सापेक्ष भविष्य में बिजली की मांग और अधिक बढ़ेगी इस योजना से। वर्तमान में प्रदेश की मांग और आपूर्ति के बीच में जो अन्तर है जो आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा इसके लिए क्या सरकार बिजली की कोई अन्य परियोजना शुरू करने जा रही है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मैंने विस्तार से जो मांग है उसका भी जिक्र किया है और जो पीक ऑवर में हमारी डिमांड है उसका भी मैंने जिक्र किया है। मा0 सदस्य का जो सवाल है कि बीच का जो गैप है उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं। मान्यवर, हम पॉवर एक्सचेंज से भी बिजली खरीद रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि कितना-कितना हमने खरीदा है तो पॉवर एक्सचेंज से हमने मान्यवर 2016-17 में 806 एम0यू0 पॉवर परचेज की, 2017-18 में 2183 एम0यू0 पॉवर हमने परचेज की, यह अप-टू जनवरी, 2018 तक का है। जो गैप है, अभी 10,500 मेगावाट का हमारा अपना उत्पादन है जो डिमांड है उसका मैंने जिक्र किया कि 14,500 के आसपास जनरली डिमांड रहती है लेकिन जैसा कि सितम्बर में वह डिमांड बहुत बढ़ गई। सितम्बर में ग्रिड की जो क्षमता है वह 18,500 है लेकिन जो मांग है वह 18000 तक पहुँच गई। अगली आने वाली गर्मी में जो ग्रिड की क्षमता है उसको भी हमने 18,500 से 21,000 किया है और जो डिमांड है।

अगला जो प्रश्न है उसमें विस्तार से इसका जवाब भी है कि हम कैसे-कैसे बिजली परचेज करेंगे, उसका पूरा डिटेल में है। जैसा कि हमने रोस्टर तय किया है, रोस्टर के अनुसार 18 घण्टे गाँवों को, 24 घण्टे जिला मुख्यालयों को एवं 20 घण्टे तहसीलों को हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि बिजली की कमी के कारण जो रोस्टर है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है और जो यह अघोषित बिजली की कमी का जिक्र कर रही हैं माननीय सदस्य कि वह कारण कुछ और लिए जाते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और है, इनका जो प्रश्न है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मान्यवर व्यवस्था जर्जर है। पारेषण जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें व्यवस्था जर्जर है, तार पुराने है कई जगह तार गिर जाते हैं, उनको ठीक करने में समय लगता है, केबिल फुक जाती है उनको बदलने में समय लगता है। इसके कारण भी थोड़ा बहुत व्यवधान आता है, लेकिन समय रहते उस व्यवधान को भी ठीक किया जाता है, और जो पर्याप्त रोस्टर है उसके अनुसार बिजली उपलब्ध करायी जाती है।

श्रीमती आराधना मिश्रा (मोना)-

अध्यक्ष जी मैंने पूछा था कि किस दर पर बिजली खरीद की जाती है? इसका जवाब नहीं आया।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसमें उत्तर दिया कि इस प्रकार कुल उपलब्धता 17 हजार 200 मेगावाट हो गयी है और जो मांग है 14500 मेगावाट अधिकतम है तो जब 17200 हो गयी तो कटौती क्यों? मान्यवर, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री जी क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जो कटौती का समय है, उसका कोई समय निर्धारित हो तो आदमी उसके लिए तैयार रहता है। मान्यवर, प्रायः कभी 07:00 बजे कट जाती है कभी 2-3 दिन बाद 09:00 बजे कट जाती है कभी 10.00 बजे कट जाती है तो इसके लिए कोई सुनिश्चित है व्यवस्था करेंगे कि कटौती आम जनता को मालूम रहे कि इस समय से इस समय तक कटौती रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि उसका जो शेड्यूल है वह निर्धारित हो और जनता में प्रचारित हो, क्या ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी का एक पंक्ति का सीधा प्रश्न है कि कटौती जब हो जाती है तो आम जनता को पहले से यह मालूम रहे, ऐसी कोई योजना है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उसको भी हम लोग कर रहे है, हमने एक ऊर्जा मित्र डेवलप किया है जिसके माध्यम से जिन क्षेत्रों में किसी कारण से विद्युत आपूर्ति या बिजली कटौती होती है उसकी पूर्व जानकारी मान्यवर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

पीछे कोई आपस में बात-चीत न करें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

और हम प्रयास कर रहे है कि वह सभी जिलों में और तेज गति से लागू हो जिससे कि उपभोक्ता को यह जानकारी हो जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक उनके क्षेत्र में बिजली नहीं आयेगी। वर्मा जी ने जो दूसरा सवाल पूछा है, मैं माननीय वर्मा जी को अवगत करा दूं कि वर्तमान में कुल उपलब्धता औसतन 14500 मेगावाट है बी-पोर्टल से 1700 मेगावाट से 2000 मेगावाट की व्यवस्था माह मई से सितम्बर 2018 तक कर दी गयी है। उपरोक्त अवधि हेतु बैंकिंग के माध्यम से 700 मेगावाट ऊर्जा का प्रबंधन प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल उपलब्धता 17200 मेगावाट हो गयी है जो कि वर्तमान में प्रदेश की औसत मांग लगभग 11000 से 14500 मेगावाट के सापेक्ष पर्याप्त है।

श्री लाल जी वर्मा-

अगर आपके अनुसार सरप्लस है तो फिर कटौती क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यही प्रश्न मेरा भी है कि जब माननीय मंत्री जी खुद ही मान रहे है अपने उत्तर में कि 17200 मेगावाट की आपके पास उपलब्धता है और आपकी जो मांग है

11000 से 14500 मेगावाट तक है तो आप 24 घण्टे पूरे प्रदेश को क्यों नहीं बिजली दे रहे हैं और गांव में 18 घण्टे रोस्टर क्यों लागू किया है। दूसरा आपको बधाई कि आपने जितने काम ये गिनाए पारेषण क्षेत्र में यह सब हमारी सरकार के काम है, ये आपकी सरकार के काम तो है नहीं।

(सदन में एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री नितिन अग्रवाल-

मंत्री जी जवाब यही दे दें कि आपकी सरकार आने के बाद, पहले प्रश्न आप सुन लीजिए। सरकार आने के बाद आपने कितने नये प्राजेक्ट की शुरूआत की है, इसी का जवाब दे दीजिए।

श्री श्रीकांत शर्मा-

मान्यवर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो हमने व्यवस्था की है यह पीक डिमाण्ड के सापेक्ष की है और मैंने स्पष्ट रूप से बोला है कि माह मई से सितम्बर, 2018 तक क्योंकि उस समय पीक डिमाण्ड बढ़ती है। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और सब चीजों की जानकारी भी रखते हैं। जब पीक डिमाण्ड बढ़ती है तो उस समय विद्युत कटौती न हो, गर्मी में सबको पर्याप्त बिजली मिले, गर्मी में रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, केवल 04 जिलों को ही नहीं बल्कि सभी 75 जिलों को पर्याप्त बिजली मिले इसलिए मान्यवर, हमने इसको सुनिश्चित किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी और कहा कि सभी जिलों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर।)

पूरा सदन इस बात का गवाह है कि बिना भेदभाव के गॉवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे बिजली मिल रही है।

(श्री नितिन अग्रवाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी बैठिये। इस प्रश्न में मा0 उमाशंकर सिंह जी का नाम है और उनको बुला लिया है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, केवल एक सवाल और है। उत्पादन निगम यह बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें उमाशंकर जी का नाम है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सरकार के काम नहीं, कारनामे थे। (हंसी) पूरा सदन नहीं, आज पूरा प्रदेश इस बात के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा है कि बिजली की उपलब्धता पूरे सदन के सदस्यों के लिए ही नहीं, केवल

इनके क्षेत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है और ऐसा कभी नहीं हुआ। इनको भी बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए कि इतनी बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं रही बिजली की। यह मन से स्वीकार भी करते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, जितना उत्पादन और पारेषण में काम हुआ है वह हमारी सरकार के कार्यकाल में काम हुआ है और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपके जमाने में पूरी क्षमता से विद्युत का उत्पादन नहीं होता था। लापरवाही की वजह से, घोर अनियमितताओं की वजह से पूरा उत्पादन नहीं हो पाता था। हमने प्रशासनिक सुधार के आधार पर यह किया है।

(श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठें, मैंने उमाशंकर जी को बुला लिया है, उमाशंकर जी का इस प्रश्न में नाम है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

जो लोग बोले उनका सबका नाम था, ये मंत्री हैं इनका नाम था ?

श्री अध्यक्ष-

सब कहॉ बोले ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्यों नहीं बोले ?

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं, बताईये ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

हमको भी पूछने दिया करिये।

श्री अध्यक्ष-

आप ये कैसे कह रहे हैं कि सबका नाम था, कोई मा0 मंत्री इसमें बोला नहीं।

पीठ के अधिकार को इंगित किया जाना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमण्डल का सामूहिक दायित्व होता है, एक मंत्री का जवाब दूसरा मंत्री दे सकता है। जब कोई मंत्री जवाब दे रहा होता है तो सारे विधायक एक साथ उत्तर देते हैं तो आप रोकते नहीं हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आज कहॉ ऐसा अवसर आया, आज कब ऐसा अवसर आया ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप रोकते हैं।

श्री श्रीकान्त वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की परम्परा बन गयी है, पीठ के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, पीठ के संचालन पर ये सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि ये एक्सपोज होते हैं। यह सवाल पूछते हैं और उसका करारा जवाब दिया जाता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं इसलिए बार-बार इस आदरणीय पीठ पर सवाल खड़े करते हैं। यह गलत है, यह निंदनीय है।

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका ठीक नहीं है कि हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि सारे सदन ने मुझे यहॉ बिठाया है। आपका यह कथन आपत्तिजनक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा बहुत गलत होती जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ, पीठ के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप नहीं होता है। इनसे कहिये कि ये अपने शब्द वापस लें। यह तरीका बिल्कुल नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप यह कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों को हम बुलवा देते हैं, आपको नहीं बुलवाते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, हमने यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष-

आपने बिल्कुल सही कहा और यह कार्यवाही का भाग है। हमने एजेण्डा का इशारा किया कि उमाशंकर सिंह का उस प्रश्न में नाम है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

हमने जो कहा वो यह कि उत्तर देना मंत्रिमण्डल का सामूहिक दायित्व होता है लेकिन सवाल का उत्तर विधायक देने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम किसको बुला रहे हैं। हमारे बुलाने के मामले में आप मीन-मेख कैसे निकाल सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

किसी सवाल का उत्तर कोई विधायक कैसे दे सकता है यही आप हमें बता दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय पर मिल रही है। 18 घंटे गॉव में मिल रही है। यह लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं तो इनको क्या तकलीफ है। आप भी स्वागत करिये।आप भेद-भाव करते थे, हम तो सबको दे रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आप लोग बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ मान्यवर, सर्वोपरि है, और आपका विनिश्चय भी सर्वोपरि है। मान्यवर, किसी भी प्रकार से पीठ के ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से आक्षेप किया मान्यवर, यह किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मैंने कोई आक्षेप नहीं किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मैं फिर कह रहा हूँ मैंने कहा कि मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है किसी सवाल का जवाब कोई विधायक नहीं दे सकता है।

श्री अध्यक्ष-

पारस नाथ जी आपको क्या कहना है। माननीय सदस्य आप बैठें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बैठा दिया। आपको अनुमति नहीं दी फिर भी आप बोले जा रहे हैं। आप हमारे प्रिय आदरणीय और माननीय सदस्य हैं। आप जिस तरीके से बोलते हैं वह तरीका अभी पढ़ डालिए नियमावली को एक बार तो समझ में आ जायेगा। माननीय पारसनाथ जी बोलें।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की गरिमा और इसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभी की है। सत्ता पक्ष की अधिक होती है, विपक्ष की उतनी नहीं होती लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। अभी सवाल का जवाब आ रहा था और इसी बीच में यह बात उत्पन्न हो गई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पारस नाथ जी।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, एक मिनट मैं आग्रह करूँगा कि इनकी मंशा यह नहीं थी कि पीठ पर कोई आक्षेप लगाया जाय। यह सवाल पूछने के लिये खड़े हो गये और उसी बीच में आपने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष-

उसके पहले हमने नाम पुकारा था नितिन जी के पहले और नितिन जी हमारी बात मान गये थे। हमने उमाशंकर जी का नाम इसलिये पुकारा था कि एजेन्डा में उमाशंकर जी का नाम है। हमारी कोशिश यह रहती है और सभी सदस्यों से कह रहा हूँ।

श्री पारस नाथ यादव-

हमारा निवेदन यह है कि जो संसदीय कार्यमंत्री जी उठ कर के यह बात कह रहे हैं आक्षेप-आक्षेप। यह कोई आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आप बताइये कि यह आक्षेप नहीं है?

श्री पारस नाथ यादव-

यह आक्षेप नहीं है, उन्होंने भावुकता में..

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने..

श्री पारस नाथ यादव-

मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आपकी बात पूरी हो जाय। हम आपको सुनेंगें पूरा।

श्री पारस नाथ यादव-

मैं यह कह रहा हूँ कि सम्मानित सदस्य ने अपनी बात सवाल पूछने के भावावेश में यह बात कह दी। उनकी मंशा आक्षेप की नहीं है। इसको आप खत्म करें और आगे बढ़ें।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात माननीय पारसनाथ जी जो, इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कहा कि भावावेश में कह गये। मान्यवर, यह सदन हमेशा से उस पीठ का, चाहे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों, पीठ का सम्मान, व्यक्ति का नहीं बल्कि पीठ का सम्मान है मान्यवर, और उसके प्रति आदर भाव स्वाभाविक होना चाहिए और जिस प्रकार से इन्होंने आक्षेप वाली भाषा का प्रयोग किया उसको वापस लेने की बात मैंने कही। पूरी तरीके से आक्षेप हैं मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें। भावावेश में केवल आक्षेप रह गया है लगाने के लिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मैंने यह कहा कि मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है उत्तर देने के लिये। जो सब विधायक उत्तर देने लगते हैं यह उचित नहीं है। मैंने यही बात आपसे कही है। इसमें कौन का आक्षेप कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जो कह दें वह मैं मान लूं।

(श्री नितिन अग्रवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। उनको कोई कष्ट है तो वह अपनी बात पहले कहें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहीं पीठ पर न कोई आरोप लगाया न आक्षेप लगाया। अपनी कमी छुपाने के लिये अगर उधर से कुछ कहा जाय तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ यह कहा था कि मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है लेकिन सभी विधायक जो उत्तर देने लगते हैं यह उचित नहीं हैं। यह मैं फिर कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

आप भी हमें कह रहे हैं गलत हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि तमाम मंत्री खड़े हो जाते हैं आप उनको नहीं रोकते हैं हमको रोक रहे हैं यह कार्यवाही में है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मैंने कहा, कि कोई मंत्री उत्तर दे सकता है लेकिन कोई विधायक उत्तर नहीं दे सकता है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने बाद में कहा है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन इन्होंने कहा, बाकी सब लोगों ने नाम दिए हैं क्या? जब आपने पूछा, आपने नाम नहीं दिया, तो इनका कहना था बाकी लोगों ने नाम दिए हैं क्या?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

यह विपक्ष की परम्परा बन गई है कि जब यह लोग फँसते हैं तो सीधा पीठ पर प्रहार करते हैं। यह परम्परा उचित नहीं है मान्यवर।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

इन्होंने स्पष्ट किया कि इन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया उस भावना को लेते हुए आगे बढ़ जाएं। आपके प्रति पूरा आदर है पूरे सदन को आपके प्रति पूरा आदर है।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक मेरे व्यक्तिगत आदर और प्रेम का संबंध है माननीय सदस्य बहुत प्रिय हैं हमारे, बहुत आत्मीय हैं और अधिकांश नये सदस्यों के प्रति भी हमारा उनका सीधा रिश्ता है। इस सदन के प्रत्येक आदरणीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता निर्दलीय माननीय सदस्य, सबके प्रति व्यक्तिगत रूप में आदर भाव मेरे चित्त में है और सब मुझे आदर करते हैं प्रकट में दिखाई भी पड़ता है लेकिन संसदीय जनतंत्र में और हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिस अध्यक्ष पीठ का संविधान बनाते समय सृजन किया था, उसको एक आदर्श स्थिति में, उसकी गरिमा, महिमा, सदन की गरिमा महिमा, अध्यक्ष पीठ में अभिव्यक्त होती है । व्यक्ति आते जाते रहते हैं। मेरा आदर हो, आप सब आदर करते हैं हमारा, लेकिन प्रश्न है, अध्यक्ष का आसन, यह मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अध्यक्ष के आसन की गरिमा महिमा प्रतिष्ठा को बनाये रखूँ। इसलिए हमने जो सवाल जवाब किया, हमने जो टोका-टोका की, वह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था। मैं बार-बार कह रहा हूँ । हम तो सड़क पर घूमने वाले लोग हैं आप सब सड़क पर घूमने वाले अधिकांश मित्र हैं सबके साथ घूमते रहे हैं लेकिन जब अध्यक्ष के आसन की तरफ कुछ कहा जाएगा तो अध्यक्ष का आसन मेरे लिए भी बड़ा है। क्योंकि मैं भी यहां बैठकर, वहां बैठकर अध्यक्ष के आसन को नमन करते हुए ही काम करता हूं। पारसनाथ जी वरिष्ठ हैं, वर्मा जी वरिष्ठ हैं, अजय जी वरिष्ठ हैं, इधर वरिष्ठ नेताओं की कतार बैठी है, पीछे वरिष्ठ बैठे हैं। आप सब जाते हैं बाहर, तो सिर झुकाकर जाते हैं तो वह हृदय नारायण दीक्षित के लिए सिर झुकाकर नहीं जाते हैं। आसन के प्रति जाते हैं, जब फिर आते हैं तो फिर सिर झुकाते हैं, हम आते हैं तो हम भी सिर झुकाते हैं तब इस आसन पर बैठते हैं। तो इसका ध्यान रखा करिए। अगर कोई बात भावावेश में निकल जाए, हमसे भी निकल सकती है हम सब भी आदमी हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम गुस्से में थे बात हो गई। जैसे उस दिन नेता प्रतिपक्ष से बात हुई तो हमने क्या कहा था- जाने क्या तुमने कही, जाने क्या मैंने सुनी, तो इस तरह का मन में विचार नहीं आना चाहिए, अब निकल गया मुँह से तो निकल गया। यहां अड़ने की बात नहीं है। फिर आप कहते हैं मंत्री सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अजय कुमार लल्लू-

अध्यक्ष जी, मेरा छोटा सा सवाल है अगर अनुमति हो तो। क्योंकि आपका निर्देश सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष-

तो हमने तो उमाशंकर जी को बुलाया था हम वहीं से शुरू करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी,मैं कह रहा था..

श्री अध्यक्ष-

सबके सवाल रहे जा रहे हैं। हमारी आपकी असफलता है इसमें कि सबके सवाल रहे जा रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न का जो अंश है, उसमें मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आंधी-तूफान या स्थानीय व्यवधान अथवा राष्ट्र की सुरक्षा, उन्होंने इसको भी स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप आज इस बात से आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और चक्रवात अभी पिछले ही दिनों आया था, जिसमें पूर्वांचल में पूरे गांव के गांव के खम्भे गिर गये थे तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात का जवाब हैं कि जो खम्भे गिर गये थे, उसको ठीक करा लिया गया है, यदि नहीं कराया गया है तो कब तक ठीक करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह बातें माननीय मंत्री जी के उत्तर में पहले ही विस्तार से आ गयी थीं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से मैंने सभी जिलों का जिक्र किया है और जैसे ही कहीं दुर्घटना होती है, आंधी-तूफान आता है, कोई केबिल जल जाता है, ट्रांसफार्मर फुंक जाता है, हम लोग उसको तुरन्त ठीक कराने का, व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह मशीनरी है। मैंने पिछले शुक्रवार को भी इन बातों का जिक्र किया था कि जर्जर तारों की व्यवस्था प्रदेश में बहुत ज्यादा है। जो जर्जर तार हैं, जैसे गांवों में तार झूल रहे हैं, उनको भी ए0बी0 कन्डक्टर लगाकर दुरूस्त करेंगे। हमने दिसम्बर 2019 तक का समय दिया है, 5200 का बजट का प्रावधान दिया है। हम कर्ज लेकर इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो आपका मूल सवाल है, उसमें यह जवाब आता है कि हम व्यवस्था को ठीक करेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में जो विद्युत तारें टूटकर गिर जाती हैं, उसको दुरूस्त करने के लिए लाइनमैंनों की आवश्यकता होती है और अक्सर देखा जाता है कि संविदा लाइनमैन हर बिजली केन्द्रों पर तैनात हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 33/11 सब स्टेशन को चलाने के लिए कितने लाइनमैनों की आवश्यकता है और जो शेष बचे हैं, उसकी पूर्ति कब तक कर ली जायेगी?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संविदा पर सब लोग रखे जाते हैं, क्योंकि सरकार सीधे-सीधे उनको डायरेक्ट कांट्रैक्ट पर नहीं रखती है, एजेंसियों के माध्यम से लाइनमैंनों की व्यवस्था हम

लोग करते हैं। जो व्यवस्था हमको विरासत में मिली है, उसको हम चालू कर रहे हैं, हर सब स्टेशन पर कोशिश करते हैं कि जो फीडर है, उसके हिसाब से हम लोग लाइनमैन रखें। चार या पांच लाइनमैन हमारा 33/11 सब स्टेशन पर रखने का प्रयास है और अगर आवश्यकता बढ़ती है तो हम लोग बढ़ाते भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी बात आ गयी है। मंत्री जी ने कह दिया है कि लाइनमैनों की संख्या बढ़ाते हैं और बढ़ायेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संविदा कर्मियों का नहीं पूछा, मैंने कहा संविदा कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। संविदा कर्मी तो आज हैं, कल चले जायेंगे और यह ठेकेदारी प्रथा तो पूरी बिजली व्यवस्था को नहीं चला सकती। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि सरकारी लाइनमैनों की पूरे उत्तर प्रदेश में सारे सब स्टेशनों पर भारी कमी है। क्या सरकारी लाइनमैंनों को नियुक्त करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है?

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो स्पष्ट उत्तर आ गया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने की कार्य योजना

***01-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकने के लिये क्या सरकार ने उन्हें रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

सेवायोजन विभाग द्वारा सेवायोजन कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के नाम नियोजकों को संप्रेषित किये जाते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कैरियर कॉउन्सिलिंग का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल-

अध्यक्ष जी सेवा योजना निदेशालय की वेवसाइट से जो कि इनके विभाग की वेवसाइट है इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रदेश में 72 लाख नौजवान बेरोजगार हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है। आप कितने संवेदनशील हैं बेराजगार नौजवानों के लिए यह तो तभी पता लग गया था जब आपकी सरकार पकौड़े बेचने की राय दे रही थी।

श्री अध्यक्ष-

अब श्रम में पकौड़ा कहॉ से आ गया। आपको अगर पकौड़ा अच्छा लगता है तो घर में बुलाकर सबको खिलाओ मुझे भी बुलाओ।

श्री नितिन अग्रवाल-

आपका तो स्वागत है आप जब चाहें आएं हमारे घर पकौड़ा खाने। मेरे तीन प्रश्न हैं एक तो यह बता दीजिए पिछले 11 महीने में प्रदेश के कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया है पहला। दूसरा जितने भी बेरोजगार नौजवानों ने पंजीकरण कराया है कितना वक्त लगेगा उन सभी नौजवानों को रोजगार देने में। तीसरा हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। उन नौजवानों को यह अवसर दिया था कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। क्या आप उस बेरोजगारी भत्ते की योजना को दुबारा शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी पहली बात तो माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने पूछा है कि 11 महीने में हमने कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया इसका उत्तर है 54 हजार 190 नौजवानों को अब तक हमने रोजगार दिया। 19 मार्च से लेकर अब तक 54 हजार 190 लोगों को सेवायोजित कराया गया। दूसरी चीज आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी में देना चाहता हूँकि जो हमारा सेवायोजन बेवपोर्टल है उस पर अब तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 20 लाख 28 हजार 189 है। यह हमारे पंजीकृत नौजवानों की संख्या है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे बेरोजगार नौजवान अपना पंजीयन हमारे सेवायोजन बेवपोर्टल पर डालते रहते हैं वैसे यह संख्या निरन्तर बढ़ती जाएगी। चूँकि हम बेरोजगार नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए सेवायोजन बेवपोर्टल का गठन किया बेवपोर्टल तैयार किया साथ ही साथ इसके माध्यम से जो निजी क्षेत्र में सेवा प्रदाता हैं उनकी मांग के अनुरूप जो भी पद आते हैं इस बेवपोर्टल के माध्यम से हम नौजवानों को सूचित करते हैं साथ ही साथ उन नौजवानों को सूचित कर उनकी मांग के अनुरूप निर्धारित अर्हता के अनुसार उनका साक्षात्कार कराते हैं रोजगार मेलों का आयोजन कराते हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से हम उन्हें सेवायोजित करते हैं। तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बंध में। इनको तो प्रश्न पूछने का हक ही नहीं है इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बन्द करने का काम अपनी ही सरकार में कर दिया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन बेरोजगार नौजवानों को इन्होंने 2012 के चुनाव में कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान

ने पागल होकर इनकी सरकार बना दी और सरकार आने के बाद इन्होंने 2012-13 में लालीपाप तो दिखाया।

उसके बाद 2014-15-16 में बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता अपने आप बन्द कर दिया। यह तो बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाले हैं और इन लोगों ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया है। हमारी सरकार ने उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देकर के सम्मान और स्वाभिमान की जिन्दगी गुजर-बसर करने का अवसर प्रदान किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नरेन्द्र वर्मा जी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने यह बताया कि विगत 11 महीनों में इन्होंने 54 हजार लोगों को रोजगार दिया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन 54 हजार लोगों को आपने रोजगार दिया है, वह राज्य कर्मचारी हैं अथवा कोई अन्य रोजगार आपने उनको दिया है, नम्बर एक? नम्बर दो, विगत एक वर्ष में पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे मा0 सदस्यगण पूर्व में स्वयं सत्ता में रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 वर्मा जी ने जो पूछा है पहले उसका उत्तर आप दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ । समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने ही कार्यकाल में सभी विभागों में संविदा पर नियुक्ति करने के लिये आउटसोर्सिंग सिस्टम डेवलप किया था। सरकारी नौकरियॉं उसी आउटसोर्सिंग सिस्टम से दी जा रही हैं। हमनें जो भी रोजगार दिया है वह निजी क्षेत्रों में दिया है। अगर सरकारी विभागों का ऑंकड़ा लिया जाए तो यह ऑंकड़ा बहुत आगे निकल जायेगा। आज यहॉं पर केवल सेवायोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसलिये मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ।

(इसी मध्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी का प्रश्न रह गया है। मा0 वर्मा जी, आप प्रश्न पूछें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जिन 54 हजार लोगों को आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं उसमें राज्य कर्मचारी कितने हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बता तो दिया है कि वह निजी क्षेत्र के हैं।

श्री विक्रम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मा0 मंत्री जी, हमें सिर्फ इतनी जानकारी चाहिये कि यह सरकार 19 मार्च को बनी है तो यह 20 लाख की संख्या 19 मार्च के बाद की है या उससे पहले के बेरोजगारों की है ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उत्तर दे तो रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सेवायोजन वेब पोर्टल जब से गठित हुआ है यानी तब से लेकर के 31 जनवरी, 2018 तक कुल बेरोजगार नौजवानों की संख्या है। अगर इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को अपने कार्यकाल में रोजगार दिया होता तो आज शायद प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आती। इन्होंने तो अपने कार्यकाल में बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर के उनकी ऑख में धूल झोंकने का काम किया था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अजय कुमार लल्लू जी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोक संकल्प पत्र में 01 साल में 14 लाख और 05 साल में 70 लाख रोजगार देने की बात की थी और इन्होंने जो बताया है वह मात्र 54 हजार है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने 45 हजार एक विशेष क्षेत्र का बताया है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तो यह कि 17 लाख में जो 54 हजार रोजगार दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अजय जी, मा0 मंत्री जी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह 54 हजार एक विशेष क्षेत्र में रोजगार दिये गये हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि 19 मार्च तक आपकी सरकार का एक साल पूरा हो जायेगा। आपके पास एक महीना और शेष है तो 17 लाख रोजगार देने का जो वायदा था क्या उसको पूरा करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ? दूसरी बात, इस 54 हजार में स्वरोजगार कितना है और रोजगार कितना है? स्वरोजगार का

मतलब कि अगर कोई दुकान वगैरह लगाता है तो उसके लिये सरकार उसको ऋण उपलब्ध कराती है तो उसको स्वरोजगार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी नौकरी में आते हैं या परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न आ गया है और मा0 मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। मा0 नरेन्द्र जी, आप भी कह रहे थे कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया है इसलिये आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमनें आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि आपने जो 54 हजार की संख्या बताई है, उसमें राज्य कर्मचारी कितने हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने तो वह स्पष्ट कर दिया है कि यह ऑकड़ा राज्य कर्मचारियों का नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, इन राज्य कर्मचारियों को भी सेवायोजन वेब पोर्टल पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले लोगों को भी इसमें जोड़ा है। सेवायोजन विभाग से सभी विभागों को पत्र जा चुके हैं और उनका आकड़ा जैसे ही आयेगा हम आपको अवगत करायेंगे। चूँकि अभी अन्य विभागों से आकड़ें आए नहीं हैं जब तक सेवायोजन वेब पोर्टल पर आकड़े नहीं आते हैं, चूँकि यह कानून अभी-अभी हमारी सरकार ने पास किया है, पहले सदन में व्यवस्था होती तो वह भी आंकड़ा आज आ गया होता। हमने इसी अव्यवस्था को खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती किए जाने वाले नौजवानों को भी सेवायोजन वेब पोर्टल से कनेक्ट किए जाने की व्यवस्था की है। मान्यवर पत्र भी यहां से जा चुका है, जैसे ही वह आंकड़ा आएगा, उसके बाद उसकी सही जानकारी दे दी जायेगी। इन्होंने पूछा है कि इसमें कितने रोजगार हैं, कितने स्वरोजगार है? मान्यवर, सेवा योजन से स्वरोजगार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत कहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, कहीं अन्य विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लिए जाते हैं और मान्यवर, सबसे बड़ी चीज बड़े पैमाने पर नौजवान लोगों को रोजगार देने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए इसी आगामी 21 और 22 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं मा0 प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, समापन मा0 राष्ट्रपति जी करेंगे। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के तमाम जाने-माने ऐसे उद्योगपति आ रहे हैं जो लाखों लाख की तादात में बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। मान्यवर, मा0 'लल्लू' जी को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किए गये वायदे में किसानों के कर्जा माफी को पूरा किया है, वैसे ही पाँच साल में 70 लाख नौजवानों की भर्ती का संकल्प भी पूरा करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे।

(श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर
अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अजय जी आप बैठिये। इस पर पर्याप्त उत्तर आ चुका है। अभी दो ही प्रश्न हो पाये हैं। अब अगला प्रश्न लेने दीजिए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति गंभीर नहीं है। यह सरकार नौजवान विरोधी और रोजगार विरोधी है जिसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन करता हूँ।

(तत्पश्चात श्री अजय कुमार लल्लू अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बर्हिगमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

क्या हो गया, क्या हो गया ?

प्रदेश के अनमीटर्ड ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक वसूले गये धन को ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में

***02-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनमीटर्ड ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी वसूलने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से 5% के स्थान पर 20% इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी विगत 5 वर्षों से वसूली जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि की अधिक वसूली की गयी है और क्या सरकार वसूले गये अधिक धन को ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज सहित वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

ऊर्जा अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1845/चौबीस-पी-3-2012, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं में एल0एम0वी0-1 विद्युत दर सूची के अनमीटर्ड आवासीय प्रकाश एवं पंखा के विद्युत उपभोक्ता, एल0एम0वी0-2 विद्युत दर सूची के वाणिज्यिक अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता आदि आते हैं। उपरोक्त अधिसूचना के सम्यक् अवलोकन से यह विचारित हुआ है कि आवासीय प्रकाश एवं पंखा के ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अवधारित दर 5 प्रतिशत होनी चाहिए।

आवासीय प्रकाश एवं पंखा के ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं से डिस्कामों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रावधानित 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के स्थान पर 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि प्राप्त की गयी है। इसका समस्त डिस्कामों द्वारा परीक्षण कराकर अधिक वसूली गयी धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।

परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, के आदर्श पर चलने वाली यह सरकार गरीब बिजली उपभोक्ताओं का खून चूस रही है। मान्यवर, पांच परसेण्ट की दर से जो वसूली की जानी थी उसके बजाय उसमें उपभोक्ताओं से पन्द्रह परसेण्ट से ज्यादा की वसूली उपभोक्ताओं से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँकि उपभोक्ताओं से 955 करोड़ रूपये की इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी जो ज्यादा ली गई है उसके संबंध में उपभोक्ता परिषद की बैठक में माननीय मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया था कि 955 करोड़ रूपया जो ग्रामीण उपभोक्ताओं से ज्यादा ले लिया गया है वह उपभोक्ताओं को वापस किया जायेगा। दूसरा प्रश्न यह कि, जो विगत पांच वर्षों में 15 प्रतिशत ज्यादा वसूली की गई है उस धनराशि पर ब्याज दर लगाकर उपभोक्ताओं के बिल में क्या इसको समायोजित किया जायेगा।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार गरीबो की सरकार है और किसानो की सरकार है। पूर्व में वर्ष 2012 का एक शासनादेश था उसमे कोई त्रुटि थी और वह खामी लगातार पांच वर्ष तक चलती रही। वर्तमान की भांति अगर हमारे सम्मानित सदस्य एक्टिव होते तो मुझे लगता है कि उस गलती को पूर्व में ही सुधार लिया जाता, लेकिन उस गलती को हमने सुधारा है और जो सही आंकड़ा है वह 523 करोड़ का है और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह जो पैसा अनमीटर्ड से लिया गया है उसको दो साल के अंदर-अंदर जिन उपभोक्ताओं से लिया गया है उन्हें वापस किया जायेगा।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिये मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँवह ग्रामीण क्षेत्र है। पिछले सत्र में एक सवाल उठाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी गांव के 70 फीसदी उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। उस समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसमें जांच कराई जायेगी और ऐसा नहीं किया जायेगा तथा जो चोर हैं उन्हीं को चोरी की सजा दी जायेगी। लेकिन लगातार विद्युत विभाग के जे0ई0 और अधिकारी बिजली वसूली के प्रेशर की वजह से उन-उन गांवो को चिन्हित करके जिनको सजा नहीं मिलनी चाहिये उनको भी सजा दी जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे अथवा स्वयं इनका आदेश है कि चोर को भी चोरी की सजा दो और जो चोर नहीं है उसको भी सजा दो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे। आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है।

(श्री नफीस अहमद तथा श्री रफीक अन्सारी द्वारा प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आ गया है, हम अगला प्रश्न ले लेते हैं।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, आगे मेरा प्रश्न लगा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सी चीज पढ़ूं जिससे मेरे प्रश्न का नम्बर आ जाये।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया हमारे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है। आपकी बात सही है तो माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जवाब दे देता हूँ । जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है निश्चित रूप से हमारे यहां व्यवस्था है कि जिनका बिजली बिल बकाया है या जो बिजली की चोरी कर रहे हैं कार्यवाही उन्हीं पर होती है। अगर किसी गांव के अंदर ऐसा हुआ है और माननीय सदस्य लिखित शिकायत दे देगें तो निश्चित रूप से हम उसमें कार्यवाही करेंगे और शिकायत का निवारण भी करेंगे। मान्यवर, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही भी करेंगे।

श्री रफीक अन्सारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, इस पर बहुत अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं, कृपया आप बैठिये। अब मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ ।

प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने विषयक

***03-श्री संजय गर्ग-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत नौजवानों की संख्या क्या है ? क्या सरकार बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 20,28,189 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन विभाग द्वारा सेवायोजन कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के नाम नियोजकों को संप्रेषित किये जाते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कैरियर कॉउन्सिलिंग का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, वास्तव में जिस तरह से बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पिछले एक वर्ष का यह आंकड़ा है कि 2016 और 2017 में जितना मुनाफा पूरे प्रदेश ने कमाया है उन तमाम उद्योगपतियों ने उसका 73 फीसदी मात्र एक प्रतिशत लोगों की जेबों में चला गया है और आडटसोर्सिगं के आधार पर हम रोजगार बढ़ाने की कल्पना कर-कर रोजगार के साधन उपलब्ध न करा सकें। इस पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह से वेब पोर्टल के माध्यम से 22 करोड़ की जनता में इस युवा भारत में विश्वास घट जाने के कारण जो 20 लाख 28 हजार 189 लोगों का पंजीकरण अभी तक हुआ है। मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता अगर माननीय मुलायम सिंह जी ने देने का निश्चय किया था। उसके पीछे आशय इस बात का था कि बेरोजगार नवयुवक हताश, निराश स्थिति में होकर 'किंकर्त्तव्यविमूढ़' न हो जाएं। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े। वह अपनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने में अगर उसे इन्टरव्यू देने के लिए, आवेदन के लिए उसे किसी दूसरे के आगे हाथ पसारना न पड़े। इस उद्देश्य के साथ बेरोजगारी भत्ते की बात की गई है। पिछले कार्यकाल में अगर कभी यह योजना स्थगित हुई भी हो तो क्या वर्तमान में यह सरकार बेराजगारी भत्ते को लाने का प्रयास करेगी। मेरा सवाल बस इतना है। मान्यवर, पहले वाले प्रश्न में आपने अपनी नीयत बताने की बात की है। विभिन्न भर्ती बोर्डों के द्वारा भी जो भर्तियां हुई हैं उनकी संख्या नगण्य है और बहुत सारे आयु सीमा को लांघ चुके ऐसे लोग जो पिछले दो वर्षों से जिन्होंने नौकरियों में आवेदन किया और वह भर्ती न हो पाने के कारण नहीं हो पाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न तो बेरोजगारी भत्ते पर लगे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, कुल मिलाकर मेरा आशय इस बात के साथ है कि युवा भारत को एक नये संकल्प के साथ आज आत्मविश्वास उनके अंदर किस तरह से जगा सकें। यह सवेदनशीलता सरकार किस तरह से प्रदर्शित करेगी केवल वेब पोर्टल के माध्यम से जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न क्या किया है ?

श्री संजय गर्ग-

मेरा प्रश्न केवल इतना है कि सेवायोजन कार्यालय द्वारा आपने कहा कि रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कितने रोजगार मेलों का आयोजन हुआ ? और उन रोजगार मेलों के माध्यम से कितने नौजवानों और बेरोजगारों को रोजगार दिया गया ? और उस सबके अलावा कैरियर कांउसिलिंग किन एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जा रही है क्या उसका कोई पैनल है ? और कहां-कहां कितने कैरियर कांउसिलिंग की क्लासेज इस पूरे प्रदेश में आयोजित करने की बात की गई है ? और तीसरा अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिव्यस्वप्न आया इस बात का कि पकौड़े बेचकर रोजगार प्राप्त कर लें। क्या सरकार पकौड़े मेलों का आयोजन करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रम मंत्री जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने यह पूछा कि अब तक कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये हैं। तो मान्यवर, अब तक यानी हम लेटेस्ट बता रहे हैं 14 फरवरी तक। 14 फरवरी 2018 तक 561 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और मान्यवर, 14 फरवरी 2018 तक 54 हजार 190 नौजवानों को इसके माध्यम से रोजगार दिया गया और आपने यह भी पूछा कि अब तक कितने कैरियर काउंसिलिंग हुये। तो मान्यवर, 14 फरवरी, 2018 तक उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों अन्य विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर 2048 कैरियर काउंसिलिंग के शिविरों का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से दो लाख 47 हजार 942 प्रतिभागी उसमें सम्मिलित हुये और कैरियर काउंसिलिंग के शिविरों में जो इनको तैयार करने के लिए जगह-जगह मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किये गये हैं जो सेवायोजन विभाग के देखरेख में चलते हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्रों का भी गठन किया गया है। जिसके माध्यम से समाज के निर्बल कमजोर पिछड़े नौजवानों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है। मांग के अनुरूप उनको ट्रेंड करके सेवा में प्रायोजित करने लायक बनाया जाता है। एक तीसरा सवाल मा0 गर्ग जी ने पूछा कि मान्यवर, एक हजार बेरोजगारी भत्ता जब यह देते थे तो वह नौजवान अपना मोबाइल भी चार्ज नहीं करा पाता था। और हम आपकी तरह नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर उनकी ऑखों में धूल नहीं झोंकना चाहते। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। उनके साथ धोखा नहीं करना चाहते और इसीलिये हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया, संकल्प पत्र के माध्यम से कि पांच साल के अंदर 70 लाख नौजवानों को हम रोजगार देकर उनको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मुहैया कराने का काम करेंगे।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग के जरिये जो भर्तियॉ की गयी हैं उनमें एस0सी0 और ओ0बी0सी0 का आरक्षण रखा गया या नहीं और आगे जो भर्तियों की जायेंगी उनमें एस0सी0 और ओ0बी0सी0 का आरक्षण रखेंगे या नहीं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, आउटसोर्स में जो कर्मचारी रखे गये उन कर्मचारियों को कार्यदायी संस्था हायर कर रही है वह उसे कितना भुगतान करेगी क्या इसके ऊपर कोई नियमावली बनाने पर सरकार विचार करेगी। क्योंकि आमतौर पर आउटसोर्स में कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है और उन्हें आधे-पौने दाम पर रखा जा रहा है। एक सवाल मेरा रह गया था, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय इस मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही तो क्या सरकार पकौड़ा मेला भी खोलने का एलान करेगी। क्या यह पकौड़ा मेला भी लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रधानमंत्री जी के बारे में यहॉ सवाल कैसे हो सकता है। कृपया आप भारत के संविधान को पढ़ें। संविधान की सातवीं अनुसूची में लिखा है कि यह आदरणीय सदन किन-किन विषयों पर चर्चा करेगा। किन विषयों पर विधायन करेगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र दूसरा है। यहाँ पर मुख्य मंत्री और जो संविधान में राज्यसूची है उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े प्रश्न प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात आदरणीय सदन में नहीं कही जा सकती। यहाँ राज्यसूची के विषयों पर ही चर्चा हो सकती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह बेरोजगार नौजवानों को धोखा देकर उनको ठगने का काम किया करते थे और आज जब चायवाला प्रधानमंत्री बन रहा है पकौड़ा वाला भी ऊँचाईयों पर जाने की तैयारी कर रहा है तो इनकी [x x x] इनको तो स्वागत करना चाहिये। उन बेरोजगार लोगों से वह लोग अच्छे हैं जो अपने स्वरोजगार के माध्यम से सम्मान की रोटी खाया करते हैं। आपकी तरह वह आपके दुमछल्ले बनकर गुमराह नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह जो मा0 सदस्य आरक्षण वाला पूछे थे वह बता दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो प्रस्तुत प्रश्न है उस प्रश्न का इस प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है। चूंकि यह संगत प्रश्न नहीं है इसलिए उसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, यह इस तरीके की जुबान निकाल रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि क्यों इन लोगों की [x x x] मंत्री जी इतने पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं। मंत्री जी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिसको सुनने में अच्छा लगे। मान्यवर, इस चीज को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको देख लेंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

उ0 प्र0 की विकास दर बढ़ाने की कार्य योजना

***04-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास दर का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कम है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश की विकास दर के आंकलन हेतु राज्य आय अनुमान (सकल/निवल घरेलू उत्पाद) एक सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण मानक है।

जी नहीं। आधार वर्ष 2011-12 पर तैयार राज्य आय के वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 में स्थायी भावों पर प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत रही है तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी वर्ष 2016-17 के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय विकास दर 7.1 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जैसा बताया है कि वर्तमान में उ0प्र0 की विकास दर 7.2 प्रतिशत है। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत ले जाने की मंशा है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं पर ऐसा लगता है कि जैसे व्यवस्था का शीर्षासन कराने जैसी यह बात है। मान्यवर, तेंदुलकर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें उ0प्र0 को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। उ0प्र0 की पर-कैपिटल-इनकम राष्ट्रीय औसत की आधी है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मेरे सिर्फ तीन सवाल हैं। मान्यवर, जो जवाब आया है इसमें लिखा है कि उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण मानक हैं तो यह महत्वपूर्ण मानक का विवरण क्या है? क्या 2014 में भी यही मानक था या 2014 के बाद यह मानक बदल गये हैं? तीसरा सवाल जैसा कि अंतिम प्रश्न के अंत में सरकार ने यह जवाब दिया है कि प्रश्न नहीं उठता तो क्या इससे यह माना जाए कि सरकार विकास दर से संतुष्ट है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया है यह वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानकर प्रस्तुत किया गया है जिसको जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आपने पूछा क्या पहले भी था ? मान्यवर, वर्ष 2012-13 में भारत सरकार की विकास दर 5.5 प्रतिशत थी और उ0प्र0 की 4.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 में भारत सरकार की विकास दर 6.4 प्रतिशत थी और उ0प्र0 की 5.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार की विकास दर 7.4 प्रतिशत थी और उ0प्र0 की 4.0 प्रतिशत थी। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की विकास दर 8.2 प्रतिशत थी और उ0प्र0 की 8.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2016-17 में भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत थी और उ0प्र0 की 7.2 प्रतिशत थी, इसलिए उतरोत्तर उ0प्र0 की विकास दर

बढ़ी है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि क्या हम इससे संतुष्ट हैं? मान्यवर, इस विषय में मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज उ0प्र0 में विकास दर को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।

आज उत्तर प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के लिए युद्ध-स्तर पर काम हो रहा है। मान्यवर, यही कारण है कि सबका साथ, सबका विकास यानी हम उस विकास के साथ सबको जोड़ना चाहते है। सभी को समान रूप से खड़ा करना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा की कड़ी बनाना चाहते हैं, गरीबी को समाप्त करके, वह गरीबी जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई थी उस गरीबी को समाप्त करने हम सभी को बिजली, पानी, सड़क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से समयबद्ध कार्यक्रम से जोड़ करके विकास की राह में खड़ा करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि उनके सशक्तीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों को व्यवस्थाओं की सुविधा भी देना चाहते हैं और इसी के साथ-साथ जहां ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर हम बल दे रहे हैं वही उत्तर प्रदेश की आधुनिकता के आधार पर त्वरित विकास गति भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, वैश्विक निवेश केंद्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो 21-22 फरवरी 2018 को इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी क्रमशः उसका उद्घाटन और समापन करने आ रहे हैं। मान्यवर, इसी कड़ी में एक जनपद, एक उत्पाद के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकास से सीधे जोड़ करके इस जीडीपी को और बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय मंत्री जी बैठिए।

(सदन में सदस्यों द्वारा हंसी)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं एक सवाल का जवाब चाहती हूं कि मैंने अंतिम प्रश्न पूछा था कि 'यदि हां', तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने की कोई कार्य-योजना है। यदि है तो उसका विवरण क्या है 'यदि नहीं' तो क्यो। आपने कोई कार्य-योजना नहीं बताई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने वही कार्य-योजना विस्तार से बताई।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आपने उसका जवाब दिया कि प्रश्न नहीं उठता और आपने उसकी कार्य-योजना बता दी। तो या तो प्रश्न का उत्तर गलत है या आप जो बोल रहे उसे स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपने उनका प्रश्न सुना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से समग्र विकास योजनाओं को संक्षिप्त में अवगत कराना चाहता हूं कि जो विकास योजनाएं हैं-औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017, यू0पी0 आई0टी0 एण्ड स्टार्ट अप पॉलिसी, 2017, यू0पी0 सोशल एण्ड पॉवर नीति, 2017 यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2017, उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति, 2017 आदि इन योजनाओं के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश की विकास दर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निरन्तर बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी कृपया एक मिनट सुन लीजिए। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा था कि जो मूल प्रश्न उन्होंने पूछा है, जो मूल कागज मेरे पास है कि क्या सरकार द्वारा विकास दर बढ़ाने की कोई कार्य योजना है ? आपने जो मूल उत्तर दिया कि चाहे किसी ने भी लिखकर दिया हो और आपने कार्य-योजना बताई है। कुल इतनी ही बात है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, जो इसी चौथे का दूसरा पैराग्राफ है, उसे देख लें। क्या यह सही है कि प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कम है ? उस पर लिखा है, 'जी नहीं'। आधार वर्ष चूंकि दूसरे का उत्तर उसमें 'जी नहीं' आया है इसलिए इसमें तीसरा सवाल यह आता है 'यदि हां', मान्यवर उससे लिंक करके देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे में तो यह आया है कि 2016-17 में राष्ट्रीय विकास दर 7.1 प्रतिशत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अब उसमें पहली लाइन देख लीजिए 'जी नहीं' आया है, इसका मतलब यह है कि जो विकास दर उत्तर प्रदेश की है और मान्यवर, दूसरा सवाल है कि 'क्या यह सही है कि प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कम है? मान्यवर, 0.1 प्रतिशत ज्यादा है, हमने उसको मना किया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में चूँकि 'जी नहीं' आया मान्यवर, और जो तीसरा सवाल है, उसे देखें, 'यदि हॉ, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने की कोई कार्य-योजना है?' यदि हॉ, तो उसका विवरण क्या है? यदि हॉ का जवाब है, 'प्रश्न नहीं उठता' और जहॉ तक मान्यवर, विकास दर की बात है, वह एक सतत प्रक्रिया है और हम उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। तो यह जो तीसरा उत्तर आया कि 'प्रश्न नहीं उठता', अगर 'हॉ' नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 'प्रश्न नहीं उठता'।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यही पूछ रही थीं, बार-बार और माननीय मंत्री जी ने कार्य योजना बताई कि विकास दर बढ़ाने के लिए ये कार्य योजना है, ये कार्य योजना है, उनका इतना ही पूछना था।

अब हम अगला सवाल लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, कार्य योजनाएँ अभी और हैं, यदि कहें तो बता दें।

प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु कार्ययोजना

***05-श्री संजीव राजा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, प्रोटोकाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्रदेव सिंह)-

जी हां।

पोत परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्लूएआई-इनलैण्ड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इण्डिया) द्वारा गंगा नदी पर भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-1 का निर्माण व विकास किया जा रहा है।

यह जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किमी0 लम्बा है। इसमें जनपद गाजीपुर से इलाहाबाद तक 370 किमी0 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्ग विकसित करने हेतु जनपद इलाहाबाद एवं वाराणसी में उप कार्यालय (सब आफिस) स्थापित किया गया है, जहां से जलमार्ग के विकास का अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल, जनपद चन्दौली में फ्रेट विलेज एवं जनपद गाजीपुर में इण्टरमॉडल टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए इन जनपदों में भूमि अधिग्रहण/परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) से समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है/करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(परिवहन मंत्री, श्री स्वतंत्रदेव सिंह द्वारा अपना लिखित उत्तर पढ़ने के बाद मा0अध्यक्ष ने सदस्य, श्री संजीव राजा का नाम पुकारा, लेकिन उनके द्वारा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के सभी वाहनों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से संचालित करने के सम्बन्ध में

***06-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी महानगरों एवं नगरों में लगातार बढ़ रहे वाहनों तथा उनसे उत्सर्जित धुएं के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाहनों से कार्बन एवं जहरीली गैस के उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी तथा उसके व्यापक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषण नियंत्रण के लिये सभी सार्वजनिक वाहनों

को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से संचालित किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बना कर उसे लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

प्रदेश के सभी महानगरों एवं नगरों में बढ़ रहे वाहनों तथा उनसे उत्सर्जित धुएं के कारण ही वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है बल्कि इसके अनेक अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं जिनमें निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण, कृषि अवशेषों/अपशिष्टों को जलाये जाने, डीजल जेनरेटर सेट का प्रयोग, औद्योगिक प्रदूषण, यातायात का निर्बाध संचालन न होना एवं रोड डस्ट का रीसस्पेंशन आदि प्रमुख कारक हैं।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा परम्परागत ऊर्जा के अन्य सुरक्षित ईंधन पर आधारित वाहनों को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप सभी महानगरों तथा एन0सी0आर0 परिक्षेत्र में सी0एन0जी0 चालित नगर बस व आटो रिक्शा के संचालन की अनुमति प्रदान करने के साथ-साथ बैट्री चालित ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे बैट्री चालित वाहनों को परमिट की श्रेणी से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा निजी प्रयोग के बैट्री चालित कार तथा दुपहिया वाहनों को पंजीयन के समय कर से भी मुक्त रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहूंगी और उन्हें अवगत भी कराना चाहूंगी कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की रिसर्च के द्वारा पता चला है कि दुनिया में 20 जो सबसे ज्यादा पल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से 10 हिन्दुस्तान में हैं और उन 10 शहरों में 04 उत्तर प्रदेश में हैं तो दुनिया की 20 मोस्ट पल्यूटेड सिटीज में 04 यू0 पी0 में हैं, वह हैं, कानपुर, इलाहाबाद, फिरोजाबाद और लखनऊ। हम हमेशा चाइना से अपने आप को कम्पेयर करते हैं, अपनी पालिसी को कम्पेयर करते हैं।

चाइना में 1800 मानीटरिंग स्टेशन हैं पर्टिकुलेट मैटर्स के, इण्डिया में 30 हैं जिनमें से 20 दिल्ली में है 1 बनारस में है। माननीय मंत्री से मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक तो नेशनल एक्शन प्लान में जो यू0पी0 की पालिसी है उसकी प्रदूषण रिडक्शन को लेकर हमारी क्या पालिसी हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रदूषण को रिड्यूस करने के लिए नई टैक्नलाजी इन्नोवेशन के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।*

***07-श्रीमती सुषमा पटेल-**

[02सरे गुरूवार के तारां0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :-*तारांकित प्रश्न सं0 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में फ्री विद्युत कनेक्शन योजना का लाभ प्रदान कराने के सम्बन्ध में

***08-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फ्री विद्युत कनेक्शन अब तक कुल कितने लाभार्थियों को दिया जा चुका है ? क्या सरकार जिलावार, तहसील और ब्लाकवार सूचना उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सभी ग्रामों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में फ्री विद्युत कनेक्शन अब तक कुल 1980393 लाभार्थियों को दिया जा चुका है।

जी हां।

(जनपदवार सूचना संलग्न है। तहसील एवं ब्लाकवार सूचना का संकलन कराया जा रहा है)*

जी नहीं।

प्रदेश में 20 वनग्रामों में कार्य प्रगति पर है। फरवरी, 2018 तक विद्युत कनेक्शन निर्गत किया जाना लक्षित है।

प्रदेश में हो रही बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में सूचना

***09-श्री हर्षबर्धन बाजपेयी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्ष 2017-2018 की पीक पावर डिमाण्ड मेगावाट में कितनी है और इसकी तुलना में सरकार कितने मेगावाट सप्लाई कर पाई है ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इसमें से कितनी पावर लांग टर्म एग्रीमेंट से और कितनी पावर एनर्जी एक्सचेंज से ली गई और किन दरों पर ? क्या सरकार सस्ते और समय से उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके, के लिये कोई प्रभावी योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश की वर्ष 2017-18 की पीक आवर प्रतिबन्धित डिमाण्ड 18061 मे0वा0 है और इसके सापेक्ष दिनांक 23 जून, 2017 को समय 23:00 बजे तक 18061 मे0वा0 सप्लाई की गई थी।

इसमें से पावर लांग टर्म एग्रीमेंट से 16359 मे0वा0 और पावर एनर्जी एक्सचेंज से 192 मे0वा0 रु0 3.17/कि0वा0-घण्टा की दर से एवं शेष अन्य शार्ट टर्म से ली गई।

उपभोक्ताओं को सस्ती एवं समय से विद्युत उपलब्ध कराने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर से सतत् प्रयास किये जा रहे हैं जिसके क्रम में की जा रही कार्यवाही निम्नवत् है :-

(i) कतिपय प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए एम0ओ0यू0 रूट के आधार पर, वर्ष 2010 में ऊर्जा क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जा चुके थे। वर्ष 2022 में आने वाली इन

*देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 111-121 पर।

परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की लागत अत्याधिक आने की सम्भावना थी। अतः इस प्रकार की 07 परियोजनाओं के ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निरस्त कर दिये गये।

(ii) सिंगरौली स्टेज-III परियोजना, जोकि वर्ष 2022 में आयेगी से 1320 मे0वा0 ऊर्जा रु0 3.15 के लेवलाईज्ड टैरिफ पर 25 वर्ष तक क्रय किये जाने हेतु पी0पी0ए0 हस्ताक्षरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(iii) न्यू नबीनगर परियोजना से आगामी वित्तीय वर्ष से 209 मे0वा0 ऊर्जा रु0 3.64 के लेवलाईज्ड टैरिफ से 25 वर्षों तक क्रय किये जाने हेतु पी0पी0ए0 निष्पादन की सहमति दी जा चुकी है।

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत स्थापित विद्युत उत्पादन गृहों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता 5778 मे0वा0 के सापेक्ष औसतन लगभग 4000 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

उ0नि0लि0 के अन्तर्गत राज्य/संयुक्त क्षेत्र में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3960 मे0वा0 राज्य क्षेत्र में तथा 3300 मे0वा0 संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन है।

(v) वर्तमान में कुल उपलब्धता औसतन 14500 मे0वा0 है। डीप पोर्टल से 1700 मे0वा0 से 2000 मे0वा0 की व्यवस्था माह मई से सितम्बर, 2018 तक कर दी गयी है। उपरोक्त अवधि हेतु बैंकिंग के माध्यम से 700 मे0वा0 ऊर्जा का प्रबन्ध प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार आने वाले ग्रीष्म काल के लिए कुल उपलब्धता 17200 मे0वा0 हो गयी है। पीक मांग हेतु शेष विद्युत पावर एक्सचेन्ज से क्रय कर ली जायेगी।

(vi) 24×7 पावर फॉर ऑल के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल रु0 4319.61 करोड़ की लागत से 765 के0वी0 का एक नग, 400 के0वी0 के 07 नग, 220 के0वी0 के 08 नग तथा 132 के0वी0 के 19 नग कुल 35 नग उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जा चुका है।

अवशेष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 220 के0वी0 के 12 नग तथा 132 के0वी0 के 13 नग उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण लक्षित है। वर्तमान में 132/33 के0वी0 विभव पर लगभग 42765 एम0वी0ए0 परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पावर फॉर ऑल के अन्तर्गत उ0प्र0पा0ट्रांका0लि0 द्वारा कार्य योजना बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक 132/33 के0वी0 विभव पर 45363 एम0वी0ए0 की परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध हो जाना सम्भावित है।

(vii) प्रदेश के शहरी क्षेत्र में आई0पी0डी0एस0 योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र में डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु वितरण क्षेत्र में 33/11 के0वी0 नवीन उपकेन्द्रों का निर्माण एवं उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, नवीन 33 एवं 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण एवं कृषि एवं गैर कृषि 11 के0वी0 पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्र में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 201 नये उपकेन्द्रों के निर्माण के सापेक्ष कुल 53 उपकेन्द्रों का निर्माण एवं 250 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के सापेक्ष 158 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि माह जनवरी, 2018 तक की जा चुकी है। 408.29 कि0मी0 33 के0वी0 की नयी तथा 1221.79 कि0मी0 11 के0वी0 की नयी लाइनों का निर्माण 4608.98 कि0मी0 एरियल बंच कन्डक्टर तथा 3051 नग नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना का कार्य माह जनवरी, 2018 तक कराया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 (नवीन) योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 234 नये उपकेन्द्रों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 39 उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 606 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि लक्ष्य के सापेक्ष 226 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि माह जनवरी, 2018 तक की जा चुकी है। 978.12 कि0मी0 33 के0वी0 नयी लाइने तथा 7399.75 कि0मी0 11 के0वी0 नयी लाइनों का निर्माण एवं 8293 नग नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना का कार्य माह जनवरी, 2018 तक किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत 11 के0वी0 के कृषि एवं गैर कृषि के 1825 लक्षित पोषकों के सापेक्ष 240 पोषकों का पृथक्कीकरण कराया जा चुका है।

दोनों योजनाओं के अवशेष कार्य माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

***10-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह तथा श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य को पूर्ण करने की सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में अधिकांश जनपदों में राशन कार्ड बनाने का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित समय-सीमा में उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाया जाना एक गतिमान प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 4094500 अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलित हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 79.56 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु 64.43 प्रतिशत पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्डों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 78.34 प्रतिशत अर्थात् कुल 122005593 तथा नगरीय क्षेत्र में 60.86 प्रतिशत अर्थात् कुल 26815432 लाभार्थियों का चयन करते हुए उन्हें राशन कार्ड के ड्राफ्ट प्रारूप पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाये, इसके लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

राशन कार्ड बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। सम्प्रति राशन कार्ड के ड्राफ्ट प्रारूप पर लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को कागज के राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने विषयक

01-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में मात्र 10-12 सूचना आयुक्त होने के कारण सूचना आयुक्तों पर अत्यधिक बोझ होने के कारण जनता को सूचना का अधिकार का सुचारु रूप से लाभ नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के इटावा-मैनपुरी मार्ग पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की मांग

02-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा-मैनपुरी मार्ग जो एटा, अलीगढ़ होकर नई दिल्ली का भी रास्ता है पर यात्रियों की असुविधा को देखते हुये एस0एच0 83 फोर लेन पर रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

इटावा-मैनपुरी मार्ग जो एटा-अलीगढ़ होकर नई दिल्ली मार्ग पर परिवहन निगम की यात्रियों के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में मैनपुरी डिपो से 05 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसका लोड फैक्टर औसतन 53-55 प्रतिशत है एवं इटावा डिपो से उक्त मार्ग पर 04 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसका औसतन लोड फैक्टर 58-59 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है तथा अलीगढ़ क्षेत्र की 07 सेवायें संचालित हैं, जिनका लोड फैक्टर वर्तमान में 64 प्रतिशत एवं माह जनवरी, 2018 का 62 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण परिवेश में खेत की मिट्टी के खनन के लिए स्पष्ट शासनादेश जिलाधिकारी को भेजने के सम्बन्ध में

03-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण परिवेश में एक ही राजस्व ग्राम में एक किसान के अलग-अलग दो खेतों में जो अलग-अलग मिट्टी की किस्म एवं अलग-अलग सिंचन की स्थितियों वाले हैं अधिक उत्पादन लेने के क्रम में एक खेत की मिट्टी दूसरे में डालने से खनन नीति के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खनन नीति के अन्तर्गत शासनादेश जिलाधिकारियों को भेजने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में खनन नीति, 2017 के परिशिष्ट 'क' के बिन्दु संख्या 5 में प्रक्रिया उल्लिखित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के वि0स0क्षे0 महोली में कृषि कार्यों हेतु अलग से विद्युत लाईन के निर्माण की मांग

04-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की महोली विधान सभा क्षेत्र के कृषि कार्यों हेतु राजकीय नलकूपों के लिये अलग से विद्युत लाइन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद सीतापुर के महोली विधान सभा क्षेत्र में कृषि कार्यों हेतु राजकीय नलकूपों के लिए अलग से कोई पोषक बनाने की सरकारी योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रदेश में मोरंग के मूल्यों में कमी लाने हेतु कार्य योजना

05-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सापेक्ष अन्य प्रदेशों में मोरंग के मूल्यों में अन्तर होने के कारण अधिकांश व्यापारी बाहर के प्रदेशों से मोरंग की उठान कर रहे हैं, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व क्षति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में भी मोरंग के मूल्यों में कमी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमों में अन्य प्रदेशों से उपखनिजों के परिवहन को वैधता प्रदत्त है।

प्रदेश के बड़े बकायेदारों की विद्युत लाइन विच्छेदन से पहले उन्हें सूचित करने विषयक

06-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बकाया विद्युत मूल्य के बड़े बकायेदारों के लाइन विच्छेदन से पहले विभाग उपभोक्ताओं को सूचित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उपभोक्ता/बकायेदार को प्रेषित बीजक बिल कम नोटिस होता है, जिसमें विच्छेदन तिथि भी स्पष्ट रूप से अंकित रहती है। अतः विच्छेदन तिथि के बाद लाइन विच्छेदन किया जा सकता है, यदि भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना में प्रस्तावित विद्युत तापीय परियोजना का कार्य पूर्ण कराने विषयक सूचना

07-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील करछना में विद्युत तापीय परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

करछना परियोजना को भारत सरकार की नवीन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग गाइड लाइन्स के अन्तर्गत स्थापित किया जाना है।

परियोजना की विकास प्रक्रिया पूर्व विकास कर्ता से परियोजना हस्तान्तरण, बिडिंग प्रक्रिया, परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता तथा पर्यावरण क्लीयरेन्स आदि से आच्छादित है। तदुपरान्त विकासकर्ता के चयन के उपरान्त ही परियोजना निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र, सिधौली के अन्तर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन की सूचना

08-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में कितने गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या सरकार इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में भी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, सिधौली के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 1326 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये गये। विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है-

विकास खण्ड पहला में कुल संयोजन 575 अदद।

विकास खण्ड कसमण्डा में कुल संयोजन 293 अदद।

विकास खण्ड सिधौली में कुल संयोजन 458 अदद।

जी हां।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, सिधौली के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 दिनांक 09 फरवरी, 2018 तक 3869 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये गये। विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है-

विकास खण्ड पहला में कुल संयोजन 1301 अदद।

विकास खण्ड कसमण्डा में कुल संयोजन 1089 अदद।

विकास खण्ड सिधौली में कुल संयोजन 1479 अदद।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र, सिधौली के ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दर पर एल0ई0डी0 बल्ब उपलब्ध कराने की योजना

09-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में विद्युत बचत हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एल0ई0डी0 वल्ब सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

भारत सरकार के उन्नत ज्योति एफोर्डेवल एल0ई0डी0 एण्ड एप्लाइन्स फॉर ऑल (उजाला) योजना के अन्तर्गत इनर्जी इफीसेन्सी सर्विसेस लिमिटेड के द्वारा सभी उपकेन्द्रों पर एवं कस्बों में कैम्प लगाकर एल0ई0डी0 बल्ब का विक्रय रु0 70/- प्रति बल्ब की दर से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन बस स्टैण्ड का कार्य पूर्ण कराने की सूचना

10-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन बस स्टैंड का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में सरकार पूर्ण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

चित्रकूट बस स्टेशन का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेन्ट कारपोरेशन लि0 (उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा कराया जा रहा है, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जून, 2016 थी, परन्तु तत्समय कार्य हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि बस स्टेशन चित्रकूट का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, लालगंज तहसील स्तर पर खाद्य भण्डारण कक्ष की स्थापना की मांग

11-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के छानबे विधान सभा क्षेत्र में लालगंज तहसील स्तर पर खाद्य भण्डारण कक्ष की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय खाद्यान्न के भण्डारण का कार्य केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्पादित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत छानबे विधान सभा क्षेत्र में लालगंज तहसील स्तर पर खाद्य भण्डारण कक्ष की स्थापना की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में निर्धारित नीति के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छानबे में लालगंज तहसील के अन्तर्गत स्थित ब्लाकों यथा-लालगंज एवं हलिया में खाद्य विभाग द्वारा प्राईवेट गोदाम लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न भण्डारित कर सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को निर्गमन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील हंडिया के ग्राम छतौना में अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग

12-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम सभा छतौना में जर्जर ट्रांसफार्मर होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील हण्डिया के ग्राम छतौना में वर्तमान में कोई अतिभारित परिवर्तक नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में वर्ष 2017-18 में राशन/तेल वितरक के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष कार्यवाही के सम्बन्ध में

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में वर्ष 2017-18 के बीच कितने ग्रामों में तथा किस-किस ग्राम में राशन, मिट्टी तेल वितरक

की गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुयीं तथा किस-किस ग्राम के कोटेदार पर किन-किन ग्रामों में नई दुकानें बनायी गयीं तथा किन-किन ग्रामों में निलम्बन किया गया तथा किन-किन ग्रामों में कार्यवाही लम्बित है ? क्या सरकार सम्पूर्ण दोषियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में वर्ष 2017-18 के मध्य ग्राम पंचायत, हसनापुर, भेडहिया, बिनौरा, रमियाबेहड़, महराजनगर, मिर्जापुर, सरैंयाकलॉ, रामलोक, ईसानगर, सधुवापुर, नैनापुर, सन्डौराखुर्द, भूडामूडी, डिहुआकलॉ, समरदाहरी, बसढिया, दुलही, लौकही मल्लापुर, समदहा, बेती सहदेव, करौंहा, सुजईकुण्डा अर्थात् कुल 22 ग्राम सभाओं में 25 उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

ग्राम सभा रमियाबेहड़, ईसानगर, लुधौनी, समरदाहरी, शेखपुर, मटेहनी, बबुरी, लौकाही मल्लापुर, सरैयाकलॉ, मिर्जापुर, नैनापुर, सरसवा, बसढिया, बिरसिंहपुर में नई दुकानें बनायी गयी हैं।

ग्राम हसनापुर, भेडहिया, बिनौरा, रमियाबेहड़, महराजनगर, मिर्जापुर, सरैंयाकलॉ, रामलोक (2), ईसानगर, सधुवापुर, नैनापुर (2), सन्डौराखुर्द, भूडामूडी, डिहुआकलॉ में कुल 16 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध जांचोपरान्त निलम्बित किये गये हैं।

तहसील धौरहरा में 07 उचित दर विक्रेताओं को निलम्बन के उपरान्त बहाल किया गया है, 08 उचित दर विक्रेताओं को बिना निलम्बन के निरस्त किया गया है तथा 09 उचित दर विक्रेताओं को निलम्बन के उपरान्त निरस्त किया गया है। ग्राम सभा सधुवापुर के उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित है। जांचोपरान्त दोष सिद्ध पाये जाने पर उक्त उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में मानक के अनुरूप बिजली आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में

14-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कितने घण्टों तक बिजली पूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच रही है ? यदि हां, तो उसका फीडरवार विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बागपत में वर्ष 2017-18 (माह अप्रैल, 2017 से माह जनवरी, 2018 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में 16:46 घण्टे, तहसील क्षेत्र में 19:32 घण्टे एवं मुख्यालय में 22:35 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18:00 घण्टे निर्धारित शेड्यूल के सापेक्ष माह नवम्बर, 2017 में 17:47 घण्टे, माह दिसम्बर, 2017 में 17:39 घण्टे एवं माह जनवरी, 2018 में 17:35 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गई।

प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति हेतु लगभग 9058 नग 11 के0वी0 फीडर हैं। इन सभी फीडरों का फीडरवार विवरण वृहद होने के कारण एवं उत्तरालेख को निश्चित समयावधि में शासन को प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है। परन्तु वर्ष 2017-18 में माह अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 एवं विगत तीन माह (नवम्बर, 2017, दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी, 2018) तथा वर्तमान माह फरवरी, 2018 का जनपदवार औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां में 132 एवं 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के अन्तर्गत 132 के0वी0ए0 एवं 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को तय समय अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद महाराजगंज की तहसील नौतनवां के अन्तर्गत 132 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि (माह सितम्बर, 2018) में पूर्ण कर लिया जायेगा।

तहसील नौतनवां में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण कार्य किसी योजना में भी स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

16-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के कुल कितने गांव में फीडर सेपरेशन का कार्य शेष है तथा शेष कार्य कब तक सरकार द्वारा पूर्ण करा लिया जाएगा ? क्या सरकार बतायेगी कि शामली के विद्युत स्टोर से ऐसे परिवर्तक जिनकी मरम्मत थानाभवन जनपद शामली के किसी निजी प्रतिष्ठान द्वारा की जाती है, शीघ्र ही दोबारा-दोबारा फुंक जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण में जांच कराकर संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 122-123 पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कुल 65 ग्रामों का फीडर सेपरेशन कार्य प्रस्तावित है। जिसमें से 20 ग्रामों के फीडरों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 45 ग्रामों के फीडर सेपरेशन का कार्य प्रगति पर है तथा मई, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत कार्यशाला थाना भवन जनपद शामली में कार्यदायी संस्था द्वारा किये जा रहे क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का मरम्मत कार्य संतोषजनक रहा है तथा यदि कोई परिवर्तक गारण्टी अवधि में (एक वर्ष) तकनीकी/अतिभारिता के कारण क्षतिग्रस्त होता है, उनको बिना किसी लेबर खर्च के कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः मरम्मत कराया जाता है।

प्रदेश के विद्युत विभाग एवं विद्युत निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सातवें वेतन के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

17-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत विभाग एवं विद्युत निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण सातवें वेतन के अनुरूप किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विद्युत निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण सातवें आयोग की संस्तुति के अनुरूप उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में जिला कारागार का निर्माण कराने विषयक

18-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में जिला कारागार सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

कारागार निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में बस स्टाप स्थापित किये जाने की मांग

19-श्री असलम अली-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0एच0 24 पर जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में बस स्टाप नहीं होने की वजह से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में बस स्टाप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एन0एच0-24 पर जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में फेयर स्टापेज है, वहां से यात्रियों को प्रतिदिन उतारा एवं चढ़ाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ की तहसील धौलाना में स्थित ग्रामों में सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच, सस्पेंशन, निरस्त करने सम्बन्धी प्रकरण में कार्यवाही की सूचना

20-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ की तहसील धौलाना में स्थित ग्रामों में सस्ते गल्ले की दुकानों (एफ0पी0एस0) की दिनांक 01-05-2017 से 31-12-2017 तक जांच, सस्पेंशन, निरस्त करने में अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितताएं की गईं तथा अवैध धनराशि वसूल कर अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध आदेश पारित किये जाने की जानकारी क्या सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ की तहसील धौलाना में स्थित ग्रामों में दिनांक 01 मई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 03 उचित दर दुकानों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही की गयी, जिसमें पाई गई अनियमितताओं के आधार पर ग्राम मदापुर, मुस्तफाबाद एवं ग्राम सालेहपुर कोटला के उचित दर विक्रेताओं का अनुबन्ध-पत्र क्रमशः दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 एवं दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को निरस्त किया गया तथा ग्राम सिवाया के उचित दर विक्रेता की समस्त प्रतिभूति राशि रु0 5000/- शासन के पक्ष में जब्त करते हुए अनुबन्ध-पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को बहाल किया गया। इस प्रकार तहसील धौलाना में किसी अधिकारी द्वारा जांच, निलम्बन, निरस्तीकरण एवं बहाली हेतु अवैध धनराशि वसूल कर नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री रितेश पाण्डेय-

(02सरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

22-श्री रितेश पाण्डेय-

(01हले बुद्धवार के अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के कलवारी कस्बे में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की जानकारी

23-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के कलवारी कस्बे में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उपकेन्द्र का निर्माण कार्य माह मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विद्युत तारों, खम्भों व परिवर्तकों की क्षमता बढ़ाने विषयक

24-श्री राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला, तहसील उतरौला के अन्तर्गत पुराने जर्जर तारों, लकड़ी के खम्भों का बदलना, परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि बढ़ाना, गांवों का विद्युतीकरण जो स्वीकृत है, कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की तहसील उतरौला क्षेत्रान्तर्गत विद्युत लाइनों के पुराने जर्जर तारों, खम्भों के बदलने, 83 अदद अतिभारित वितरण परिवर्तक की क्षमतावृद्धि का कार्य दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती रा0जी0जी0वी0वाई0 12वीं) के अन्तर्गत चयनित ग्राम/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में हाईटेंशन लाइन टूटने से हुई मौत के सम्बन्ध में कार्रवाई की सूचना

25-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक दुदही, सेवरही एवं तमकुहीराज में हाईटेंशन लाइन के टूटने से हुई

असमय मौत का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिये जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-118/ने0क0वि0म0द0/2017, दिनांक 23-11-2017, पत्र सं0-130/ने0क0वि0म0द0/2017, दिनांक 15-12-2017 एवं पत्र सं0-150/ने0क0वि0म0द0/2018, दिनांक 18-01-2018 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

(अ) पत्र सं0 118, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में 11 विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा दिलाये जाने का उल्लेख किया गया है। (विस्तृत विवरण संलग्नक-क)।

(ब) पत्र सं0 130, दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 में 12 विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा दिलाये जाने का उल्लेख किया गया है। (विस्तृत विवरण संलग्नक-ख)।

(स) पत्र सं0 150, दिनांक 18 जनवरी, 2018 में एक विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा दिलाये जाने का उल्लेख किया गया है। *(विस्तृत विवरण संलग्नक-ग)।

आख्या-

पत्रांक 150, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के 12 प्रकरणों में से क्र0सं0 01 से 11 तक विद्युत दुर्घटनाओं को पत्रांक 118, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में भी सम्मिलित किया गया है।

अतः विद्युत दुर्घटना के कुल 13 प्रकरणों पर मुआवजा दिया जाना वांछित है।

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में पत्र सं0 118 एवं 130 के क्रमांक 04 में अंकित मृतक श्री उपेन्द्र के हितग्राही श्री सुरेश यादव, निवासी ग्राम तिवारी पट्टी, पो0 सेवरही, कुशीनगर को दिनांक 11 जनवरी, 2018 को चेक सं0 151989 द्वारा रु0 5 लाख की अनुग्रह धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संदर्भित पत्रों में उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही हो जाने के पश्चात 12 अदद प्रकरण शेष हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि घातक दुर्घटना के सम्बन्ध में उनके परिजनों/आश्रितों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्र खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया है तथा विद्युत दुर्घटना से सम्बन्धित विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा जांच एवं अनुसंधान की जा रही है।

अनुसंधान आख्या के आधार पर नियमानुसार समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के गौरा विधान सभा के अन्तर्गत पुरानी जर्जर तारों एवं ट्रांसफार्मरों को बदलने की सूचना

26-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के गौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने जर्जर तारों को बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि बढ़ाना जैसे कार्य जो स्वीकृत हैं, कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 124-126 पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के गौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने जर्जर तारों को बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि आदि स्वीकृत कार्यों पर कार्यवाही प्रक्रिया में है एवं दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक इन कार्यों को पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के गौरा विधान सभा से लखनऊ व फैजाबाद के लिए बस सेवाओं के संचालन के सम्बन्ध में

27-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर व गौरा के अन्तर्गत किन-किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं हैं ? क्या सरकार जिन ग्रामीण मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं है, पर जनता की कठिनाइयों को देखते हुए गौरा से गोण्डा व बभनान से लखनऊ एवं गौरा से बस्ती तथा गौरा से फैजाबाद के लिए बस सेवाओं का संचालन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

1-मनकापुर से मसकनवां वाया छपिया-बभनान।

2-नयाघाट-अयोध्या-कटरा-मखौड़ा। मसकनवां-श्रृंगारघाट-दर्जीकुआं।

3-रेहरा बाजार-सादुल्लानगर-गौराचौकी।

4-गोण्डा-चन्द्रदीपघाट।

5-गोरखपुर क्षेत्र की गौरा-बस्ती मार्ग पर।

परिवहन निगम की कोई सेवा संचालित नहीं है।

1-उपरोक्त मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण परमिट प्राप्त होने की कार्यवाही गतिशील है।

2-विधान सभा, मनकापुर एवं गौरा के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर परिवहन निगम, गोण्डा डिपो की संचालित बसों का विवरण निम्नवत् है-

गौराचौकी से संचालन-

1-गोण्डा-गौराचौकी-बभनान-कानपुर-बभनान-02 बसें।

2-गोण्डा-कुकनगर-लखनऊ-कानपुर-कुकनगर-02 बसें।

मनकापुर से संचालन-

1-गोण्डा-कानपुर-रेहरा-गोण्डा-01 बस।

2-गोण्डा-रेहरा-मनकापुर-उतरौला-गोण्डा-01 बस।

3-फैजाबाद क्षेत्र के फैजाबाद डिपो की 01 सेवा बभनान से लखनऊ तथा 01 सेवा फैजाबाद से गौरा बाजार होकर हलुआ बाजार तक संचालित हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मनरेगा मजदूरों की सुरक्षा के लिए बीमा योजना बनाने के सम्बन्ध में

28-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में मनरेगा मजदूरों की कितनी संख्या है ? क्या मनरेगा मजदूरों को बीमा का लाभ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई बीमा योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)-

श्रम विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जनपद गोण्डा में निर्माण श्रमिक के रूप में दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक कुल 5603 मनरेगा के मजदूर भी पंजीकृत हैं।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत मनरेगा निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा वर्तमान में किसी बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रचलित विभिन्न योजनाओं का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जा रहा है। सम्प्रति कोई बीमा योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रचलित नहीं है।

प्रदेश में कम आय वालों को सस्ती दर पर बालू/रेता/मोरंग उपलब्ध कराने की मांग

29-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या सरकार कम आय वाले उपभोक्ता के हित में जनपदों में सस्ती दर पर बालू/रेत/मौरंग उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत वर्तमान में बालू/मोरंग के परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रचलित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बालू/रेत/मोरंग का मूल्य मांग व आपूर्ति पर निर्भर करता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के पिछड़े क्षेत्रों से तहसील व जिला मुख्यालय, बस्ती तक परिवहन निगम की बस चलवाने के सम्बन्ध में

30-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के पिछड़े क्षेत्र से तहसील एवं जिला मुख्यालय बस्ती तक आने-जाने में हो रही कठिनाइयों के

दृष्टिगत चांदनी चौक से हरिगांव-चौरी-सिकन्दरपुर-मुखोड़ाधाम कोहरायें-केनौना-हरैया होते हुए बस्ती तक सुबह-शाम परिवहन निगम की बस चलवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

मुखोड़ाधाम कोहराये-केनौना-अमारी-हरैया मार्ग का सृजन सरकार द्वारा किया गया है। जिला मुख्यालय बस्ती व तहसील मुख्यालय, हरैया को जोड़ते हुए मुखोड़ाधाम वाया परशुराम बभनान होते हुए निगम की बस संचालित है। बस डिपो द्वारा परमिट हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है, जिसका अनुमोदन आर0टी0ओ0 द्वारा भी हो चुका है। परमिट प्राप्त होते ही बस का संचालन सम्बन्धित मार्ग पर अतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी की नगर पंचायत, सराय अकिल में बस स्टेशन के सौन्दर्यीकरण व नवनिर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

31-श्री संजय कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की सबसे प्राचीन नगर पंचायत सराय अकिल में बस स्टेशन के सौन्दर्यीकरण व नवनिर्माण हेतु पिछली सरकार में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये का टेण्डर हुआ था जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया सप्लाई करके, आधा-अधूरा कार्य करते हुये अधिकारियों की मिली भगत से पूरा भुगतान करा लिये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस स्टेशन से सम्बन्धित पूरे भ्रष्टाचार की जांच किसी एक्सपर्ट टीम से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

बस स्टेशन सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी के सुधार एवं विस्तार कार्य की स्वीकृत लागत रु0 81.83 लाख है, जिसके सापेक्ष स्वीकृत लागत से 13 प्रतिशत कम दर पर रु0 62.72 लाख का अनुबन्ध सं0 23ईई(ई)/कैम्प/इला0/2015-16, दिनांक 29 फरवरी, 2016 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ एवं मेसर्स बी0एस0 इण्टरप्राइजेज के मध्य गठित हुआ है।

परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत अभी तक प्राप्त बीजक के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी फर्म को रु0 21.90 लाख का भुगतान निगम मुख्यालय द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत आगणन/स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पुराने भवनों की तुड़ाई से प्राप्त उपयोग लायक ईंटें व अद्धे का प्रयोग इस निर्माण कार्य में किया गया है।

ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके लिए ठेकेदार को कई पत्र कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु परिवहन निगम द्वारा चेतावनी देते हुए कार्यदायी फर्म को निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के आलोक में जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में विक्रमजोत बाजार में बस स्टाप बनवाने की मांग

32-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में स्थित विक्रमजोत में बस स्टाप एवं बस ठहराव न होने के कारण क्षेत्रवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विक्रमजोत बाजार में बस स्टाप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

बस्ती जनपद के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विक्रमजोत फेयर स्टापेज है, जहां पर बसें रुककर यात्रियों को उतारती एवं बैठाती है, जिसके कारण यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:21]

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जायें। माननीय वित्त मंत्री जी।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर हमने प्रदेश को एक ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने एवं ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प लिया है जो प्रदेश के ग्रामीण विकास के साथ ही साथ शहरी विकास को भी करेगी। हम उस समय से बहुत आगे बढ़ गये हैं, जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का अंग बना लिया गया। वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने इस सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि विगत सरकारों द्वारा प्रदेश के खजाने को व्यर्थ योजनाओं एवं कार्यों में लगाते हुए लगभग खाली करते हुए प्रदेश को आर्थिक पिछड़ेपन एवं विषम वित्तीय स्थिति की ओर ढकेल दिया गया।

मैंने सदन में यह भी उल्लेख किया था कि राज्य सरकार इस गम्भीर आर्थिक एवं वित्तीय कठिनाई का समुचित निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध तथा प्रभावी कार्य योजनाओं एवं सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

हमारी परम्परा रही है कि कोई शुभ कार्य प्रारम्भ करते समय अपने इष्ट आराध्यों का स्मरण करते हैं। परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा सोलह कलाओं के अवतार श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए आज मैं अपार हर्ष के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गये चरणबद्ध नीतिगत सुधारों एवं वित्तीय अनुशासन का अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा अल्प समय में ही प्रदेश में आर्थिक विकास की गति में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रदेश को अव्यवस्था के घोर अंधकार से बाहर लाने के लिए जो विश्वास यहां के करोड़ों प्रदेशवासियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी तथा सहयोगी दलों के प्रति दर्शाया गया उसको मूर्त रूप देते हुए अत्यन्त अल्प अवधि में ही विकास का सूर्य बढ़ती आभा के साथ प्रदेश की उन्नति का पथ आलोकित कर रहा है। यहां पर मैं अपने विश्वास तथा संकल्प को निम्न पंक्तियों में सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं-

''साहिल से मुस्कुरा के तमाशा न देखिये,
हमने ये खस्ता नाव विरासत में पायी है।
बारिश के इन्तजार में सदियां गुजर गयीं,
उट्ठो ज़मी को चीर के पानी निकाल लो।''

राज्य के वित्तीय असंतुलन को दूर करने हेतु विविध वित्तीय सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख विगत आय-व्ययक में किया गया था। वर्ष पर्यन्त दृढ़ता के साथ इन सभी सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया। प्रगति की निरन्तर समीक्षा एवं वित्तीय प्रबन्धन को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गांव, शहर, गरीबों और किसानों के साथ महिलाओं के कल्याण, अर्थात् सर्व समाज को स्वर्णिम काल में ले जाने में हम पूर्णतः सफल होंगे।

राज्य सरकार ने जहां एक ओर राज्य के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की तथा गैर-विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते हुए व्यय को कम किया, वहीं संसाधन अर्जित करने के नये उपायों तथा विभिन्न विभागों में चल रही लगभग सभी योजनाओं की वर्तमान में उपादेयता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कराई तथा उनमें जनहित के व्यापक सुधार किये गये। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने तथा अर्थपूर्ण संस्तुतियां उपलब्ध कराये जाने के निमित्त ''संसाधन समिति'' का गठन कर समीक्षा की गई।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली धनराशियों से कृषि, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलों एवं सड़कों का निर्माण, मेट्रो परियोजना, बीमा योजना, शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण, विद्युतीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट की योजनाओं के वित्त पोषण में सहायता मिलेगी। प्रदेश को खुशहाल बनाने में इन कार्यक्रमों का दूरगामी प्रभाव होगा।

प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ''जनता दर्शन'' में प्रदेश के कोने-कोने से आये लोगों की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। ''इन्टीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम'' पर अब जनता जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ जनपद, तहसील, ब्लाक व थाना स्तरीय अधिकारियों के पास शिकयत सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। जन सुनवाई प्रणाली में जनपद स्तर पर लगभग 15 हजार अधीनस्थ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है। यहां मुझे यह दो पंक्तियां अत्यन्त उपयुक्त लग रही है-

गुज़रने को तो हज़ारों ही क़ाफिले गुज़रे,
ज़मीं पे नक़्श-ए-कदम बस किसी-किसी का रहा।

मान्यवर, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू जी0एस0टी0 कर प्रणाली गन्तव्य आधारित कर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या तथा उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अतः इस कर प्रणाली के द्वारा राज्य की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि स्वाभाविक है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बन रहा है। यह सम्भव हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त कार्य प्रणाली के कारण।

पंजीकृत व्यापारियों के लिए ''जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना'' लागू की गई है। सभी कृषि उत्पादों तथा बीज, आवश्यक खाद्य सामग्रियों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया है। कृषि में प्रयोग होने वाले हस्तचालित यंत्र, आर्गेनिक खाद, कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित अधिकांश सेवायें करमुक्त रखी गयी हैं। जन सामान्य के दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुयें करमुक्त रखी गई हैं। कर प्रणाली को सुगम बनाने हेतु नियमों में नियमित रूप से बदलाव भी जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा किये गये हैं।

वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने हेतु रोड मैप तैयार कर आगे बढ़ना प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ''जैविक प्रमाणीकरण संस्था'' का गठन किया गया है। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज तथा खाद समय से उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग 1 करोड़ 29 लाख 42 हजार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं जो एक कीर्तिमान है।

किसान उदय के अन्तर्गत किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पम्प आवंटन योजना का शुभारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ, 2017 में 25 लाख 22 हजार कृषकों की 24 लाख 66 हजार हेक्टेयर फसल का 9 हजार 7 सौ 13 करोड़ 29 लाख रुपये का बीमा कराया गया तथा रबी फसल में बीमा कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम को किसानोन्मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार संशोधन करने जा रही है, जिससे कृषकों के लिए अपने उत्पाद को बेचना और सरल हो जायेगा तथा उन्हें और व्यापक बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों को उपचारित कर कृषि अन्तर्गत आच्छादित किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर आदि कराने हेतु

पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना प्रारम्भ की गई है। परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होंगे। कृषकों के हित में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये निर्धारित है, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं समय पर मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा डिजिटल पेमेण्ट की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के कृषकों तथा कृषि से सम्बन्धित जन सामान्य को जागरुक तथा शिक्षित बनाये जाने के लिए वर्तमान में कुल 69 केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जानी है।

ऐसे दूरस्थ गांव जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित हैं का अभी तक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। बनटांगिया, मुसहर तथा थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले गांवों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है, इन पिछड़े राजस्व गांवों में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना लागू की जा रही है। इस प्रकार हमारी सरकार गरीबों तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है-

वह और दर हैं, पुकारे से जो नहीं खुलते,
हमारा प्यार गरीबों के द्वार जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं के क्रम में कृषि वानिकी से सम्बन्धित वृक्षों के पातन एवं अभिवहन सम्बन्धी अधिनियम तथा नियमावलियों का सरलीकरण किया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की आय वृद्धि तथा क्षमता निर्माण हेतु मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना लागू की जा रही है। कृषकों की भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान के विकास हेतु मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना लागू की गई है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु फरवरी, 2018 में लखनऊ में यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट, 2018 का आयोजन किया जा रहा है जिससे प्रदेश में व्यापक पूंजी निवेश सम्भावित है। इसमें राज्य के फोकस सेक्टर्स में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्म, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा नागरिक उड्डयन आदि प्रमुख उद्योग तथा सेवायें सम्मिलित हैं। इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलूरू, कोलकाता तथा अहमदाबाद में सफल रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं।

प्रदेश के जनपदों पारम्परिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अपनी उत्कृष्ट कलाओं से उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों की अपनी एक अलग पहचान देश में है। इन उत्पादों के लिए मार्केटिंग, तकनीकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण तथा आसान ऋण की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

यहां पर महान चिंतक पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की कही गई यह पंक्तियां प्रासंगिक हैं-

''मानव मात्र की आजीविका के केवल तीन साधन हैं, कृषि, पशुधन और उद्योग। इन्हीं तीन साधनों के सहारे मानव अपने स्वावलम्बन एवं स्वाभिमानपूर्ण जीवन बिता सकता है।''

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विभिन्न नीतियां निर्गत की गई हैं :-

1-उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017।

2-उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017।

3-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2017।

4-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2017।

5-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2017।

6-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017।

7-उत्तर प्रदेश एम0एस0एम0ई0 एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2017।

8-वस्त्रोद्योग नीति, 2017।

9-फेरी नियमावली, 2017।

10-उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अन्तर्गत बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान को 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेन्सों की ऑन-लाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स की स्थापना सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में की जा रही है।

ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए प्रदेश के सभी विभागों में पारदर्शिता हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली तथा सचिवालय में ई-फाइलिंग व्यवस्था का आरम्भ कर दिया गया है। 250 करोड़ रुपये से स्टार्ट-अप फण्ड की शुरूआत की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाया गया तथा इसे प्रत्येक वर्ष मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। सभी जनपदों में योग वेलनेस सेंटर की स्थापना के अन्तर्गत 40 जनपदों में 42 सेंटरों की स्थापना की जा रही है।

सशस्त्र सेना के तीनों अंगों-थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने का

निर्णय लिया गया है। ऐसे गांव, जो शहीद सैनिकों के गांव हैं, उन्हें शहीद ग्राम घोषित करते हुए गांव में तोरण द्वार तथा शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापित की जायेगी।

मान्यवर, राज्य के व्यापक हित में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 बनाई गई है। रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत नये रूट्स का विकास, इण्टर कनेक्टीविटी सुविधा, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाना, कृषि निर्यात और ई-कॉमर्स आदि कारोबार को बढ़ावा देना तथा व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करायी जा रही है जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश तथा नागरिक विमानन सेवाओं में वृद्धि होगी।

कानून व्यवस्था-

सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के भयमुक्त वातावरण में एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराने हेतु एफ0आई0आर0 काउण्टर खोले गये हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम (यूपीकोका) विधेयक विधान सभा में पारित कराया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एण्टी-रोमियो दल द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एण्टी-भूमाफिया पोर्टल पर ग्राम सभा, शासकीय भूमि, सम्पत्ति के अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

आतंकवाद की नई चुनौतियों से निपटने के लिए गठित ए0टी0एस0 को सुदृढ़ किया गया है। ए0टी0एस0 के अन्तर्गत स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम नाम अत्याधुनिक बल का गठन किया गया है। ए0टी0एस0 द्वारा जनपदीय पुलिस के स्वाट टीम के कर्मियों को आतंकवादी गतिविधियों व अन्य चुनौतियों से निपटने हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

गन्ना किसानों को सुविधायें :-

दिसम्बर, 2017 तक चीनी मिलों द्वारा 252 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जिससे 25 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 185 लाख टन गन्ने की पेराई तथा 18 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। 31 जनवरी, 2018 तक 11 हजार 337 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा चुका है जो गत वर्ष इस अवधि में किये गये भुगतान से लगभग 37 प्रतिशत अधिक है। शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। 80 लाख कुंटल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

खाद्य तथा रसद :-

किसानों के हित में पहली बार धान की खरीद 25 सितम्बर, 2017 से शुरू की गई। दिनांक 08 फरवरी, 2018 तक धान खरीद योजना में 40 लाख 68 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो गत वर्ष की तुलना में इसी अवधि में लगभग चार गुना अधिक है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2018-19 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख

मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। गेहूं क्रय करने हेतु प्रदेश में कुल 5 हजार 500 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

ग्राम्य विकास :-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 9 लाख परिवारों का पंजीकरण करते हुए 8 लाख 87 हजार आवास स्वीकृत कर धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 37 मार्गों का निर्माण तथा लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये की नई परियोजनायें तैयार की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 19,700 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें रिवॉल्विंग फण्ड एवं 12 हजार स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी।

नगर विकास :-

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अटल मिशन फार रिजूवनेशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित किये गये हैं। अटल मिशन के अन्तर्गत योजना अवधि में 13 लाख 30 हजार परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु 7 हजार 482 करोड़ रुपये लागत की परियोजनायें भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं। इनमें से अब तक 11 परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

नगर निकायों में स्थापित स्ट्रीट लाइटों को एल0ई0डी0 लाईट में परिवर्तित करने का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है। सड़क पर फेरी को विनियमित किये जाने हेतु फेरी नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है। मथुरा, वृन्दावन तथा अयोध्या, फैजाबाद को नगर निगम बनाया गया।

कुम्भ मेला, 2019 :-

गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज में अनादि काल से आयोजित होने वाले विश्व के विशालतम कुम्भ पर्व को राष्ट्रीय एवं अर्न्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को और प्रभावी एवं व्यापक बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। मेले के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद का गठन किया गया है।

मेट्रो रेल परियोजनायें :-

मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ हो चुका है। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झांसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 7 फरवरी, 2018 तक 31 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है। इस प्रकार, शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। मां गंगा के किनारे 1 हजार 627 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को ओ0डी0एफ0 बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

सिंचाई :-

168 राजकीय नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया है। सिंचाई विभाग की अब तक अतिक्रमण की गई परिसम्पत्तियों में 1 हजार 182 परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटवाते हुए 1 हजार 246 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई जा चुकी है।

लघु सिंचाई :-

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत 62 हजार 510 निःशुल्क बोरिंग की गई तथा 1 हजार 146 मध्यम गहरी बोरिंग तथा 416 गहरी बोरिंग कराई जा चुकी है।

लोक निर्माण :-

सरकार के अब तक के कार्यकाल में 100 परियोजनाओं तथा सड़कों का लगभग 970 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। दिसम्बर, 2017 तक 18 सेतुओं को एप्रोच सहित पूरा करके जनता को समर्पित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 41 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य किया जाना है। प्रदेश के 719 मार्गों का 4 लेन, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा बाईपास निर्माण हेतु लम्बाई 9 हजार 909 किलोमीटर, कुल लागत 23 हजार 824 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। सड़कों को कम लागत में निर्माण हेतु आधुनिक तकनीक पर जोर देते हुए देश-विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से लखनऊ कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया।

ऊर्जा :-

प्रदेश में विद्युतीकरण और विद्युत संयोजन के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। वर्ष 2017-2018 में माह दिसम्बर, 2017 तक 50 हजार 668 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में दो गुना से भी अधिक है। हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2018 तक 37 लाख 55 हजार घरों को विद्युत संयोजन दे दिया जाये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सौभाग्य योजना भी प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ घरों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई आपूर्ति में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2017 निर्गत की गई है। यह नीति 06 दिसम्बर, 2017 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास :-

कौशल विकास में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ कराने का निर्णय लिया गया है। 6 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण तथा 4 लाख युवाओं का प्रशिक्षण पूरा कराया गया। एक लाख 40 हजार युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। आई0टी0आई0 में 4 हजार प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि की गई। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत 22 परियोजनायें स्वीकृत की गई। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज का संचालन प्रारम्भ किया गया। लगभग 80 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। छात्र-छात्राओं को सेवायोजित कराने हेतु लखनऊ, नोएडा एवं गोरखपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। सेवायोजन वेबपोर्टल का प्रचार-प्रसार एवं विकास कराया जा रहा है।

नई खनन नीति :-

अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017 लागू की गयी है। इस खनन नीति का मूलमंत्र पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावी, आम सहमति, उत्तरदायित्व तथा भागीदारी है। अवैध परिवहन की संभावना पर रोक लगाने हेतु ई-ट्रांजिट पास निर्गत करने के लिए विभागीय पोर्टल लांच किया गया तथा ई-एम0एम0-11 की व्यवस्था लागू की गई। अवैध खनन को सेटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया।

वन :-

इको टूरिज्म की दृष्टि से 38 स्थान चिन्हित किये गये हैं। इन्हें विकसित करने हेतु हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। एण्टी भू-माफिया कार्यवाही के अन्तर्गत पहली बार बड़े स्तर पर अभियान चलाकर 1 हजार 870 हेक्टेयर से अधिक भूमि खाली करायी गई है। प्रदेश में वनाच्छादन में वृद्धि हेतु बड़े पैमाने पर 6 करोड़ 14 लाख वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष 9 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण :-

प्रदेश सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। 64 रेस्क्यू वैन की व्यवस्था की गई है। 181 वूमेन हेल्पलाइन स्कीम में कॉल सेन्टर की क्षमता 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर की गई, इससे पीड़ित महिलाओं को सहायता के लिए 24 घण्टे कॉल करने के लिए हेल्प लाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

मान्यवर, अब मैं बजट में सम्मिलित विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संक्षेप में सम्मानित सदन के समक्ष इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। हम वादों को हकीकत में बदलने का संकल्प लेकर सबका साथ, सबका विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं :-

तमाम राह तुम्हें बारहा रूलायेंगे,
सफ़र के सारे मक़ामात याद आएंगे।
ये जिनकी रौशनी तुमको अखर रही है अभी,
यही चराग़ तुम्हें रास्ता दिखाएंगे।

कृषि एवं संबद्ध सेवायें :-

- वर्ष 2018-2019 में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 581 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख 28 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत, तालाब योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य है। सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिए 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :-

- प्रदेश में सरप्लस खाद्यान्न, बागवानी फसलें, दुग्ध इत्यादि के मूल्य संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 लागू की गयी है। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्यवन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता :-

- उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु लगभग 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन :-

- लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना हेतु लगभग 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकास खण्डों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु लगभग 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं जिससे पशु आरोग्य व नस्ल में सुधार अपेक्षित है। योजना हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास :-

- डेयरी विकास फण्ड की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दुग्ध मूल्य भुगतान डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।
- देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की नई नन्द बाबा पुरस्कार योजना हेतु 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है साथ ही गोकुल पुरस्कार हेतु 54 लाख रुपये प्रस्तावित है।

मत्स्य :-

- मछुआरों के कल्याण हेतु मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट फॉर फिशरीज योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के लिए वर्ष 2018-2019 के बजट में योजना हेतु 11 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग 1 हजार 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन हेतु लगभग 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायतीराज :-

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना हेतु वर्ष 2018-2019 में 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं अन्य सभी मत, पंथ एवं मजहब के स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई :-

- निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास :-

- औद्योगिक निवेश नीति, 2012 हेतु 600 करोड़ रुपये तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों हेतु वर्ष 2018-2019 के बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों हेतु वर्ष 2018-2019 के बजट में 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु 1 हजार करोड़ रुपये तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण हुेत 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम :-

- एक जनपद, एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग :-

- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग नीति, 2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पावरलूम बनुकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग :-

- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स :-

- समस्त शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना की जा रही है जिसके लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :-

- ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2 हजार आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया गया है।
- प्रथम बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 595 दन्त शल्यकों के पद सृजित किये गये हैं।
- पी0पी0पी0 मोड पर 170 नेशनल मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था कर दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा :-

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज-3 के अन्तर्गत 04 मेडिकल कालेजों यथा- झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जा रहे हैं तथा 02 मेडिकल कालेजों कानपुर एवं आगरा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जाने हेतु कुल 126 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- एस0जी0पी0जी0आई0 में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का विस्तारीकरण एवं निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिससे 200 बेड की वृद्धि हो सकेगी। प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- के0जी0एम0यू0 में आर्गन ट्रान्सप्लाण्ट यूनिट स्थापित करके प्रदेश को चिकित्सा विज्ञान के अत्याधुनिक उपलब्धियों का लाभ आमजन को प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।
- डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों पर प्रवेश पहली बार कराया गया है। नवीन कैम्पस में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेज का निर्माण कराया जायेगा।
- प्रदेश के पांच जनपदों फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक सत्र 2018-2019 में एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी जिसके लिए 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों तथा हृदय रोग संस्थान एवं कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल सिस्टम संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वन एवं पर्यावरण :-

- प्रदेश सरकार द्वारा जन एवं वनवासी केन्द्रित राज्य वन नीति, 2017 का प्रख्यापन किया गया है।
- सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना हेतु 20 करोड़ रुपये तथा कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।

राजस्व :-

- प्रदेश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आम आदमी बीमा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये, ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये एवं ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' हेतु 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के वित्त पोषण हेतु आपदा मोचन निधि में 777 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य तथा रसद :-

- वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चयनित लाभार्थियों हेतु कुल गेहूं 4 लाख 75 हजार मीट्रिक टन तथा कुल चावल 3 लाख 24 हजार मीट्रिक टन अर्थात् कुल 7 लाख 99 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रतिमाह आवंटन करते हुए प्रतिमाह वितरण कराया जा रहा है।

सड़क एवं सेतु :-

- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 817 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018-2019 में 3 हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''आर0आई0डी0एफ0'' योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सेतुओं के निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सड़कों के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''केन्द्रीय मार्ग निधि योजना'' के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने हेतु 1 हजार 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1 हजार 467 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम्य विकास विभाग के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2018-2019 में 2 हजार 873 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई :-

- हमारी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं, सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा नहर परियोजना को वर्ष 2020 तक नाबार्ड की एल0टी0आई0एफ0 योजना से ऋण लेकर पूर्ण किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस हेतु नाबार्ड, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जा चुका है।
- सरयू नहर परियोजना हेतु 1 हजार 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1 हजार 701 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- बाण सागर परियोजना हेतु 127 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

- बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1004 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बिजली :-

- प्रदेश में घर-घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ पावर फॉर आल योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।
- भारत सरकार की सौभाग्य योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।
- विद्युत आपूर्ति में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 18 हजार 61 मेगावॉट पीक मांग की आपूर्ति की गई। यह विगत वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है।
- हमारी सरकार ने 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। इससे अब प्रदेश के सभी विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु किसानों को शासकीय अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
- ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2018-2019 में 29 हजार 883 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतिरिक्त ऊर्जा :-

- सरकार द्वारा ''सौर ऊर्जा नीति, 2017'' में निजी सहभागिता से 2022 तक कुल 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापना हेतु अनुदान योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग :-

- दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कारिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

- उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने हेतु रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का गठन किया गया।
- लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नये कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन :-

- कुम्भ मेला, 2019 हेतु बजट में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में बजट में 240 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजना हेतु वर्ष 2018-2019 में 2 हजार 217 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर हेतु स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत 1 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वच्छ भारत मिशन हेतु 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अमृत योजना के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।
- प्रत्येक जनपद में एक नगर पंचायत को विकसित किये जाने के उद्देश्य से पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु बजट में 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना'' के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु 426 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन :-

- बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के लिए लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा :-

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 18 हजार 167 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफार्म हेतु बजट में क्रमशः 76 करोड़ रुपये एवं 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु 2 हजार 48 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, छात्र तथा छात्राओं को फल वितरित किये जाने हेतु 167 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, पेयजल, बिजली, चहारदीवारी का निर्माण किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा :-

- प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 480 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 26 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा :-

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु 167 करोड़ रुपये एवं मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व से निर्माणाधीन महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को पूर्ण किये जाने हेतु 106 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा :-

- रूसा योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में 2 इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है जिसके लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद कन्नौज, सोनभद्र तथा मैनपुरी में इंजीनियरिंग कालेजों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में लगभग 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- राज्य के संसाधनों से मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में नये इंजीनियरिंग कालेज निर्माणाधीन हैं जिसके लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिला एवं बाल कल्याण :-

- महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- शबरी संकल्प योजना हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण :-

- सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिए लगभग 7 हजार 858 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 121 करोड़ रुपये व 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 2 हजार 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण :-

- पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं हेतु 1 हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत 551 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण :-

- प्रदेश के अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए 2 हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 404 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- अरबिया पाठशालाओं को अनुदान हेतु लगभग 486 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्थायी मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान हेतु 215 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन कल्याण :-

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुष्ठावस्था भरण-पोषण (पेंशन) योजना के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिव्यांगजन को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल :-

- एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विभिन्न स्पोर्ट्स कालेजों तथा स्टेडियमों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तरर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कारागार :-

- प्रदेश के कारागारों में सोलर एनर्जी आधारित पावर प्लाण्ट तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश के कारागारों में स्वच्छता में सुधार हेतु अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

न्याय :-

- प्रदेश के 13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन किया गया है।

- इस वर्ष 24 नई स्थायी लोक अदालतों के गठन के साथ उत्तर प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य हो गया है, जहां पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतें गठित हो गई हैं। इससे आम जन को निःशुल्क, त्वरित एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 वर्षों के लिए पुस्तक एवं पत्रिकायें खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इलाहाबाद में 395 करोड़ रुपये की लागत से न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। इसमें जूडिशियल अकादमी तथा न्यायमूर्तिगण एवं कर्मचारियों के आवास सम्मिलित हैं।

धर्मार्थ कार्य :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृन्दावन एवं बरसाना तीर्थ स्थलों की पौराणिक एवं पर्यटन की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मथुरा की पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद्, वृन्दावन एवं नगर पंचायत, बरसाना के अधिसूचित क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है।

पर्यटन :-

- उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई पर्यटन नीति, 2018 प्रख्यापित की गई है। इस नीति में रामायण परिपथ, ब्रज कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ एवं जैन परिपथ को परिकल्पित करते हुए आकर्षक अनुदान प्रदान किये गये हैं। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।□
- ब्रज परिक्षेत्र में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद् की स्थापना की गई है तथा वहां पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों के माध्यम से राज्य की बहुरंगी सांस्कृतिक झांकी विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है जिसमें अयोध्या में दीपोत्सव, बरसाना की होली, नैमिषारण्य वैचारिक चिन्तन, काशी में देव-दीपावली, लखनऊ महोत्सव इत्यादि प्रमुख हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दीपावली का पर्व अत्यन्त भव्यता एवं धूमधाम से मनाया गया। होली के पर्व को भी प्रदेश में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए अत्यन्त हर्षोल्लास से मनाया जायेगा।

संस्कृति :-

- वाराणसी में स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है।
- गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु 29 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

सचिवालय प्रशासन :-

- विधान भवन एवं सचिवालय की आन्तरिक सुरक्षा हेतु 13 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें :-

हमारी सरकार का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ वित्तीय पहल से आर्थिक विकास व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना भी है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर :-

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क :-

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण-

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 18 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

वाहन कर -

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 7 हजार 400 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान-

मान्यवर, अब मैं, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा-

- प्रस्तुत बजट का आकार 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2017-2018 के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत अधिक है।
- बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये (14,341.89 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियां-

- वर्ष 2018-2019 में 4 लाख 20 हजार 899 करोड़ 46 लाख रुपये (4,20,899.46 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 3 लाख 48 हजार 619 करोड़ 37 लाख रुपये (3,48,619.37 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 72 हजार 280 करोड़ 09 लाख रुपये (72,280.09 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2 लाख 56 हजार 248 करोड़ 40 लाख रुपये (2,56,248.40 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 22 हजार 700 करोड़ रुपये (1,22,700 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 33 हजार 548 करोड़ 40 लाख रुपये (1,33,548.40 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय -

- कुल व्यय 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ 27 लाख रुपये (3,21,520.27 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 06 हजार 864 करोड़ 25 लाख रुपये (1,06,864.25 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।

राजस्व बचत :-

- वर्ष 2018-2019 में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपये (27,099.10 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा :-

- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये (44,053.32 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष 2018-2019 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.8 प्रतिशत अनुमानित है।

समेकित निधि :-

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 7 हजार 485 करोड़ 06 लाख रुपये (7,485.06 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा :-

- लोक लेखे से 8 हजार एक सौ करोड़ रुपये (8100 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणामः-

- वर्ष 2018-2019 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 614 करोड़ 94 लाख रुपये (614.94 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष :-

- वर्ष 2018-2019 में प्रारम्भिक शेष 669 करोड़ 29 लाख रुपये (669.29 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष 1 हजार 284 करोड़ 23 लाख रुपये (1284.23 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीया वित्त राज्यमंत्री जी तथा मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं, प्रमुख सचिव एवं वित्त आयुक्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, लोक कल्याण संकल्प-पत्र में विकास की संकल्पना तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों के विकास, कल्याण और सशक्तीकरण की योजनायें प्रस्तुत आय-व्ययक में सम्मिलित की गई है। मुझे विश्वास है कि जिस आदर्श प्रदेश का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं, वह जरूर आयेगा। प्रदेश के गरीबों, साधनहीनों, किसानों तथा युवाओं के उत्थान एवं उनके विकास और समृद्धि की सोच को जीवंत करने के लिए मैं, इन पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं :-

हमारा वादा है हर घर को जगमगाएंगें,
दीयों की लौ को हवाओं से हम बचायेंगें।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज अपनी धरती पर,
जो कोई कर नहीं पाया, वो कर दिखायेंगें।
वंदे मातरम्।

(मेजों की थपथपाहट)

[01:15] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं लेता हूँ।

(माननीय सतीश महाना जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

यू0 पी0 इन्वेस्टर्स समिट में उपस्थिति हेतु मा0 सदस्यों को आमंत्रण

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट किया जा रहा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार यहॉ पर सम्मानित विधायक जो इस सदन के हैं को दिनांक 21 फरवरी, 2018 व दिनांक 22 फरवरी, 2018 को इन्वेस्टर्स समिट में उपस्थित होने के लिये निमंत्रित करता हूँ। और सभी माननीय सदस्यों के विधान मंडल कार्यालयों में आपके निमंत्रण-पत्र पहुँच चुके हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कि दिनांक 21 व 22 फरवरी, 2018 को आप वहॉ उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष-

उसमें प्रवेश के लिये किसी प्रवेशिका की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ?

श्री सतीश महाना-

वह कार्ड ही प्रवेश कार्ड है। कार्ड्स सभी मंडल के कार्यालयों में पहुँच गये हैं। माननीय सदस्य वह कार्ड लेकर आयेंगें।

श्री अध्यक्ष-

निमंत्रण पत्र प्रवेशिका की जरूरत तो नहीं है। कार्ड लेकर के आएंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का आदेश है कि 21 तारीख को दोपहर का भोजन सब वहीं करेंगे, शाम का भी वहीं करेंगे। 22 तारीख की दोपहर का भी वहीं करेंगे। 22 तारीख की शाम का भोजन अपने-अपने घरों में करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सर्वसम्मति से स्वीकार है ना, इसमें कोई प्रश्न उपस्थित करने की जरूरत तो है नहीं।

(हँसी)

श्री रामगोविन्द चौधरी-

अन्तिम दिन इनके घर हो जाएगा तो क्या हर्ज है।

श्री सतीश महाना-

उसमें भी आप सबका स्वागत है।

श्री अध्यक्ष-

कार्ड छपवा लीजिए फिर, (हँसी) लेकिन इसे निर्देश न माना जाए यहा से कह दिए है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूँ। कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें 16 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल (नलकूप) लगाये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियाँव अन्तर्गत कटका चौराहे से गोविन्द साहब मठ तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के नगर पालिका, चांदपुर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री केसर सिंह की जनपद बरेली की ओसवाल चीनी मिल में गन्ना किसानों के बकाया धनराशि के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री नागेन्द्र सिंह राठौर की जनपद फर्रूखाबाद स्थित श्रृंगीरामपुर सहित सभी आस-पास के आश्रम में सामूहिक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की जिला मुख्यालय, बांदा से बिसण्डा मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवी सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कैण्टोमेन्ट में नालियों/सीवर की जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की गयी जालसाजी पर मु0अ0स0 0053/2018 के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी एवं धन वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के कतिपय मार्गों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज में घाघरा नदी के चरसड़ी बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर के पास रिंग रोड के नीचे चौराहे से पुलिस बूथ हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के ब्लाक कटरा बाजार के ग्राम जगदीशपुर बलदी (शवदीन पुरवा) का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा सोलहवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम खैरई के मुख्य मार्ग को हरखूपुर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री पूरन प्रकाश, डा0 श्याम बिहारी लाल, श्रीमती सुनीता सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री दिनेश चौधरी, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री बृजेश कुमार रावत, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री दलवीर सिंह, श्री राहुल प्रकाश, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री मसूद अख्तर, श्री राम अचल राजभर, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमती जयदेवी तथा श्री संजय गर्ग।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल (नलकूप) लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय-380 चन्दौली के अन्तर्गत धान के कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसमें किसानों को रबी व खरीफ की फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। जिसमें कुछ ट्यूबवेल अगर लगा दिये जायें तो समस्या से निजात मिल सकेगी। जिसमें सदर ब्लाक के गांव कुरई, भवतपुरा (बबुरी) खुरूहजा, जगदीशपुर, दिघवट, बल्लीपुर (चहनियां ब्लाक) पुरवां, अकोढ़ा कलां, फतेहपुर साहूपुर (नियमताबाद ब्लाक) सिकन्दरपुर नदी पार (गौरी), शिकरी, भटपुरवा गांवों में ट्यूबवेल (नलकूप) लगाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त गांवों में ट्यूबवेल (नलकूप) लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत कटका चौराहे से गोविन्द साहब मठ तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत ग्राम कटका चौराहा से गोविन्द साहब मठ तक का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है। गोविन्द साहब पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां वर्ष भर स्थानीय एवं समीपवर्ती जनपदों के श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है विशेष रूप से मकर संक्रान्ति के समय माह भर खिचड़ी चढ़ाने श्रद्धालु आते हैं, यहां पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला लगता है। किन्तु मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आमजन मानस एवं श्रद्धालुओं का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त पानी की यथाशीघ्र चालू कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के नगर पालिका, चांदपुर में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कमलेश सैनी-

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर की मेरे विधान सभा क्षेत्र 23, चांदपुर में आकस्मिक रूप से घायल मरीजों का त्वरित इलाज हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे मरीजों को घायल अवस्था में जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में ले जाने में

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गम्भीर रूप से घायल अधिकांश रोगी रास्ते में दम तोड़ देते हैं और उन्हें आने-जाने में काफी समय लगता है। क्षेत्रीय जनता मेरे क्षेत्र के नगर पालिका, चांदपुर के अन्तर्गत एक ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराने हेतु मुझसे बार-बार अनुरोध करती है जिससे मैंने मुख्य चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर चुकी है परन्तु इस पर अभी तक जनहित के इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूं तथा जनहित में शीघ्र नगर पालिका, चांदपुर, बिजनौर में एक ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराने की मांग करती हूं।]

जनपद बरेली की ओसवाल चीनी मिल में गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केसर सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद बरेली की विधान सभा नवाबगंज में स्थापित ओसवाल चीनी मिल में गन्ना किसानों के बकाया धनराशि की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उक्त चीनी मिल काफी दिनों से ठप पड़ी हुई थी, जिसको अभी हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा चालू करवायी गयी है। उक्त चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 22 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से ओसवाल चीनी मिल द्वारा 16 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है। शेष 6 करोड़ रुपये अभी चीनी मिल द्वारा भुगतान किया जाना है। वर्तमान में उक्त चीनी मिल की स्थिति काफी मजबूत है तथा चीनी मिल अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही है। परन्तु गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे गन्ना किसान काफी परेशान हैं। उक्त बकाये का भुगतान न होने से गन्ना किसान आन्दोलन करने को मजबूर हैं, स्थिति काफी तनावपूर्ण है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद फर्रूखाबाद स्थित श्रृंगीरामपुर सहित सभी आस-पास के आश्रमों को सामूहिक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर-

[मान्यवर, जनपद फर्रूखाबाद के आस-पास में श्रृंगीरामपुर आश्रम, चवन ऋषि आश्रम, धन्वन्तर ऋषि आश्रम, रामकृष्ण दुर्गा आश्रम, प्रहलाद आश्रम तथा श्री श्रृंगी ऋषि महाराज के पौराणिक स्थल है। ये तीर्थ आध्यात्म का पुंज वैराग्य का प्रेरक, तपस्या का प्रतीक तथा योग साधना स्थल के रूप में सर्वमान्य रूप से स्थापित है।

संस्कृति, धर्म तथा आध्यात्म आधारित स्थल होने के कारण फर्रूखाबाद में इन तीर्थ स्थलों के कारण लाखों की संख्या में पर्यटकों का लगातार आना-जाना होता है। ऐतिहासिक रूप

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से प्रख्यात होने के बावजूद अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया। यदि श्रृंगीरामपुर आश्रम सहित सभी अन्य धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण आश्रमों तथा घाटों को क्षेत्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाये तो पर्यटक स्थल के रूप में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं से सम्पूर्ण प्रदेश/देश के सभी जनपदों से पर्यटकों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ने से प्रदेश की आय में ऐतिहासिक वृद्धि होगी।

अतः श्रृंगीरामपुर सहित सभी आश्रमों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को सदन के पटल पर नियम-301 के तहत व्यवस्था देने हेतु निर्देश दिया जाय।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव की 162 बांगरमऊ विधान सभा में कोई भी राजकीय कन्या महाविद्यालय न होने के कारण क्षेत्र में निवास करने वाली बेटियों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु अपने गृह से दूर जाना पड़ता है। क्षेत्र में गरीब परिवार की बेटियों को बाहर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। जिससे क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा प्राप्ति करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए बांगरमऊ विधान सभा में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित कराया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव की 162 बांगरमऊ विधान सभा में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला मुख्यालय, बांदा से बिसण्डा मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय, बांदा से बिसण्डा मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 34 किमी0 है जिसमें लगभग 08 किमी0 में बहुत ही बड़े-बड़े गड्ढे हैं तथा 05 किमी0 रोड खुदी पड़ी है जिससे लोगों को आवागमन में बहुत ही परेशानी होती है, जून के पूर्व इस मार्ग में कुछ गड्ढा मुक्त के तहत कार्य हुआ था लेकिन 05 किमी0 आज भी ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है जिससे आये दिन मार्ग दुर्घटनायें होती रहती है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपर्युक्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से बांदा-बिसण्डा मार्ग को यथाशीघ्र बनवाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बिजनौर के विधान सभा-17 नजीबाबाद की वन विभाग के रेन्जर रामगोपाल चौहान व वन दरोगा पुष्पेन्द्र व बीट प्रभारी खताचौड़ सुन्दरमणि इन तीनों वन कर्मियों द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2018 को यासीन पुत्र नूर आलम नामक वन गुजर को उनकी बोलेरो गाड़ी सहित रात्रि को उनके घर से बुलाकर ले गये और कौड़िया रेन्ज ले जाकर यासीन पुत्र नूर आलम को तीन दिन पूर्व जाफरा के जंगल में मरे हुए साम्भर का शिकार का फर्जी केस लगाकर जाल व छूरी अपनी तरफ से लगा दी और अनाधिकृत तरीके से चालान कर दिया। इन तीनों कर्मियों ने यासीन पुत्र नूर आलम से व सद्दीक नाम के गुजर से 5 लाख की मांग की थी। इससे पहले भी वन दरोगा सद्दीक गुजर व शमशाद गुजर से 2+1 लाख रुपये ले चुके हैं नहीं तो उन्हें भी फर्जी तरीके से फंसा रहे थे यासीन ने पांच लाख नहीं दिये तो यासीन को फर्जी फंसा दिया। पुष्पेन्द्र वन दरोगा रामगोपाल रेन्जर जो अभी साहनपुर रेन्ज से कौडिया रेन्ज आया है व सुन्दरमणि ने आतंक मचा रखा है। खैर और सागौन के पेड़ खुद कटवाते हैं और इनकी बात न मानने पर वन गुर्जरों को फर्जी केस में फंसाते हैं।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कैण्टोनमेंट में नालियों/सीवर की जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोहिल अख्तर अंसारी-

[मान्यवर, लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र 216 कैण्टोनमेण्ट कानपुर नगर में वार्ड नं0 36, 80, 102, 105 नगर निगम, कानपुर कैन्टोनमेण्ट विधान सभा क्षेत्र में इन वार्डों में जनोपयोगी व्यवस्था अति जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। सीवर, पीने के पानी, गलियों के मार्ग व नाली की जल निकासी की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि यहां 24 घण्टे गलियों में गन्दे पानी का जलभराव बना रहता है और नलों में सीवर का गन्दा पानी आता है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से गलियों, सड़कों पर जल भराव बना रहता है। बरसात के दिनों में और भयावह स्थिति हो जाती है। जल भराव व नलों में सीवर का दूषित जल आने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। यहां की जनता भयावह परिस्थितियों से आक्रोशित है। जनहित में उक्त वार्डों में सीवर लाइन, पीने के पानी, जल निकासी की व्यवस्था में सुधार कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की गयी जालसाजी पर तत्काल गिरफ्तारी व धन वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि श्री राम प्रताप गुप्ता, निवासी ग्राम व पोस्ट गिलौला, जनपद श्रावस्ती (नगर पालिका परिषद् भिनगा के पंजीकृत ठेकेदार है, इनकी फर्म प्रताप कांस्ट्रेक्शन के नाम रजि0 है) के खाता सं0 501877422232 इलाहाबाद बैंक गोकुल सिंह पूर्वे भिनगा, श्रावस्ती से नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष श्री अजय आर्य द्वारा जाल-साजी कर एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठानबे हजार रुपये निकाल लिया गया है और विरोध करने पर दिनांक 01 फरवरी, 2018 को पीड़ित पर जानलेवा हमला किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2018 मु0अ0सं0 420, 467, 468, 471, 392, 506, थाना कोतवाली, भिनगा में दर्ज कराया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को लगातार धमकाया जा रहा है जिससे प्रार्थी एवं परिवार बहुत डरा हुआ है। साथ कोई गम्भीर अप्रिय घटना घटित हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के कतिपय मार्गों के निर्माण/ मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के जी0 टी0 रोड चकमदा से मुस्ताक के घर तक लम्बाई लगभग 1 किमी0 तक एवं जी0टी0 रोड रसार से 90 चौराह तक लगभग 2.50 किमी0 जी0टी0 रोड जोगापुर से सुजौला तक लम्बाई 2.50 कि0मी0 तक मार्ग बहुत ही जर्जर है एवं मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आवागमन बाधित है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। किसी भी क्षण अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज में घाघरा नदी के चरसड़ी बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज, जनपद गोण्डा में घाघरा नदी के बायें तट पर एल्गिन ब्रिज चरसड़ी बांध का निर्माण वर्ष 2005 में कराया गया था इस बांध की लम्बाई 52 किलोमीटर है और इससे 250 गांव बाढ़ से सुरक्षित हो गये थे समाजवादी पार्टी ने इस बांध के संवदेनशील हिस्से को 9 किलोमीटर से 15 किलोमीटर भाग को पक्का करने की घोषणा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था जिसके फलस्वरूप 97 करोड़ की परियोजना बनी थी और 20 करोड़ रुपये भी जारी हो गये थे परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस बांध को पक्का करने की बजाय इसे हटाने का प्रयास कर रही है। जिससे गौरा सिंघनापुर, नकहरा, काशीपुर, प्रतापपुर, घरकुइयां तथा बेहटा गांव बांध के डूब में आ जायेंगे जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि जमीन 8 विद्यालय और चार पक्की सड़कें हटायी जा रही हैं क्षेत्र की जनता में आन्दोलनरत है जनता में भयंकर आक्रोश है जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः मैं इस अति लोक अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त बांध के पुराने हिस्से पर ही पक्का बांध का निर्माण कराया जाय और इसका एलायमेंट बदला न जाये।]

जनपद लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास रिंग रोड के नीचे चौराहे से पुलिस बूथ हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, पश्चिम विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में स्थित मोहान रोड पर ऐतिहासिक बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर के पास रिंग रोड बनी हुई है और इस मोहान रोड के ऊपर से रिंग रोड का विशाल पुल जाता है। इस पुल के नीचे बहुत बड़ा चौराहा है। जिस स्थान पर चारों ओर पुलिस के इशारे पर अतिक्रमण किया गया है। मैंने स्वयं नगर निगम के अभियन्ता के माध्यम से इस चौराहे का सौन्दर्यीकरण करने की योजना बनवाकर शासन में धन आवंटित करने के लिए भेजी है। यह पश्चिम विधान सभा क्षेत्र का मुख्य चौराहा है और इसका सौन्दर्यीकरण करना जनहित में आवश्यक है। मेरे द्वारा पारा पुलिस स्टेशन के एस0 ओ0 को बता देने के बाद भी इसका सौन्दर्यीकरण होने जा रहा है उसने जबरदस्ती इस चौराहे पर परमानेन्ट पुलिस बूथ बनवाकर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसका लोकार्पण करवा दिया। जो न्यायोचित नहीं है। पुलिस पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है जबकि पुलिस ने स्वयं लोक निर्माण विभाग सड़क पर अतिक्रमण करके कानून का उल्लंघन किया है। जबकि अन्य स्थानों पर पुलिस चौराहों पर से अतिक्रमण हटाकर किनारे पटरी पर पुलिस सहायता बूथ बना रही है। पुलिस को इस बात का आदेश दिया जाना चाहिए कि वह चौराहों पर सहायता केन्द्र न बनाये।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चौराहे से पुलिस बूथ हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 133 तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद् काफी दूर है। तिलहर 25 किमी0, पुवायां 25 किमी0, रौजा 30 किमी0, बीसलपुर 30 किमी0 होने की वजह से कृषकों को अपना गल्ला बेचने में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कृषकों को अपना गल्ला मजबूरन बिचौलियों के हाथ औने-पौने रुपयों में बेचना पड़ता है। शाहजहांपुर, बीसलपुर स्टेट हाइवे पर ग्राम हसौआ में खाली पड़ी जमीन पर गल्ला मण्डी बनाये जाने विषयक मेरे द्वारा व क्षेत्रीय कृषकों द्वारा कई बार लिखित व मौखिक शिकायत की गयी, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः जनहित में गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद् बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के ब्लाक कटरा बाजार के ग्राम जगदीशपुर बलदी (शवदीन पुरवा) का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[मान्यवर, ग्राम जगदीशपुर बलदी (शवदीन पुरवा), ब्लाक कटरा बाजार, जनपद गोण्डा में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और आस-पास के सभी गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है। इस गांव का विद्युतीकरण न होने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। जिला स्तर पर काफी प्रयास करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से लोगों में निराशा व्याप्त है। जनहित में विद्युतीकरण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम जगदीशपुर बलदी (शवदीन पुरवा), ब्लाक कटरा बाजार, जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम खैरई के मुख्य मार्ग को हरखूपुर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, अनुरोध है कि 220 कालपी विधान सभा जो बहुत ही पिछड़ी और यमुना के किनारे बसी हुई है। मेरी विधान सभा में ग्राम खैरई के ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 किमी0 का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर इसको हरखूपुर से जोड़ दिया जाय तो दो गांव नेशनल हाईवे से जुड़ सकते हैं।

अतः हरखूपुर-खैरई होते हुए बैरई तक जिसकी लम्बाई लगभग 3 किमी0 होगी, जिसमें हरखूपुर और खैरई के मध्य एक पुलिया भी बनना है, सरकार इस मार्ग को बनवाने की कृपा करे।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[01:20]

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 597/65-3-2017-01-2017, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017*

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 597/65-3- 2017-01-2017, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 4 में कुछ नहीं है, अब हम मद सं0 5 लेते हैं।

जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277 कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारतीय आदि निवासीगण, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में श्री झिन्नू लाल भारतीय व अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277 कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी गांव के प्रतापपुर-अशरफपुर, बरवा भारीडीहा होते हुए केदार नगर तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स से निर्माण विषयक श्री वंशराज वर्मा और अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी गांव से प्रतापपुर-अशरफपुर, बरवा भारीडीहा होते हुए केदार नगर तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं हाटमिक्स से निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री वंशराज वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी पर गोराघाट पर अधूरे पड़े पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री बाबू राम कश्यप व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी पर गोरा घाट पर अधूरे पड़े पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री बाबू राम कश्यप व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम बसई व धरमपुरा गौटिया के बीच कुल्ली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम बसई व धरमपुरा गौटिया के बीच कुल्ली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा की स्थापना जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री संतोष शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा की स्थापना जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री संतोष शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) के पिथूपुरा-रफियाबाद गांव की 5 एकड़ आवंटित भूमि पर नया विद्युत उपकेन्द्र जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री कमल गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) के पिथूपुरा-रफियाबाद गांव की 5 एकड़ आवंटित भूमि पर नया विद्युत उपकेन्द्र जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री कमल गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) से वाया रहपुरा जागीर टेक्सटाइल पार्क होते हुए ठिरिया ठाकुरान तक रोड का निर्माण जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की मीरगंज के ब्लाक फतेहगंज (प0) से वाया रहपुरा जागीर टेक्सटाइल पार्क होते हुए ठिरिया ठाकुरान तक रोड का निर्माण जनहित में कराये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 7 में भी कुछ नहीं है। अब मद सं0 8।

---

*छापी नहीं गयी।

[01:22]

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63, 64 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है और उनमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं :-

1-''मा0 श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 23 अगस्त, 2017''।

2-''मा0 श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधानसभा द्वारा श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, जनपद- गोरखपुर एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य।''

उपर्युक्त मामलों में दी गयी सूचना दिनांक 16 फरवरी, 2018 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेंगी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 23 अगस्त, 2017 को अग्रिमसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री अनिल सिंह, स0वि0स0 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा, उन्नाव में विकास खण्ड हिलौली में कार्यरत सफाई कर्मी श्री रमेश यादव की ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई कि वह गांव में सफाई करने नहीं आते हैं। मा0 सदस्य द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को उक्त शिकायत के आधार पर पत्र भेजा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने उक्त पत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव को कार्यवाही हेतु भेजा। उनके प्रतिनिधि जब डी0पी0आर0ओ0 के पास जाकर उक्त सफाई कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी मांगी तो डी0पी0आर0ओ0 ने कहा की इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। जब मा0 सदस्य द्वारा स्वयं दिनांक 23 अगस्त, 2017 को सुबह लगभग 11:00 बजे डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव से दूरभाष पर सफाई कर्मी श्री रमेश यादव की क्षेत्रीय जनता की शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण करने का आग्रह किया तो डी0पी0आर0ओ0 ने अभद्रतापूर्ण बात की और कहा कि उक्त सफाई कर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। मा0 सदस्य ने कहा कि उनकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करूंगा तब श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि वह जो करना चाहें कर लें मा0 सदस्य जैसे बहुत से विधायक देखे हैं। मा0 सदस्य उनका कुछ नहीं कर पायेंगे और मा0 सदस्य का फोन काट दिया। श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

मा0 सदस्यों को अपमानित कर जनहित के कार्यों में आनाकानी करते हैं। श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा मा0 सदस्य को अपमानित किया गया। मा0 सदस्य द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज विभाग के माध्यम से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, डी0पी0आर0ओ0, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि उन पर लगाये गये, जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में कार्यरत सफाई कर्मी, श्री रमेश यादव की ग्रामीणों द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही न करने के आरोप के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र, सफाई कर्मी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत, लच्छीखेड़ा, वि0 खं0 हिलौली से ग्राम पंचायत, अनूपपुर, वि0 खं0-सि0 करन में उनके कार्यालय आदेश सं0 1334/पंचा/सफाई कर्मी, दिनांक 24 अगस्त, 2017 द्वारा किया गया है। मा0 सदस्य के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मा0 सदस्य से दूरभाष पर या मीटिंग में जब भी बात हुई, उनके साथ आदर सम्मान पूर्वक बात की गयी। श्री यादव द्वारा उक्त आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में आरोपित अधिकारी के स्पष्टीकरण के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उक्त अधिकारी द्वारा मा0 सदस्य की अपेक्षानुसार कार्य कर दिया गया है और उनके द्वारा मा0 सदस्य का सम्मान पूर्वक आदर किया गया है।

प्रश्नगत घटना में उल्लिखित विषय का सम्बन्ध न तो सदन से है और न ही सदन की किसी समिति के कार्य से है। सूचना में उल्लिखित घटना में मा0 सदस्य के किसी विधायी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

मा0 श्री विनय शंकर तिवारी, स0वि0स0 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जनपद गोरखपुर में आवास वितरण समारोह नगर विकास विभाग एवं डूडा के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह

एक सरकारी कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया था।

उक्त कार्यक्रम में जिले के समस्त विधायकों एवं मा0 सांसदों को भी निमंत्रण-पत्र भेजा गया था। इसी के साथ ही विभिन्न समाचार-पत्रों में सभी मा0 सांसदों एवं विधायकों के नामों का प्रकाशन किया गया। समाचार-पत्र में छपे विज्ञापन के अधोतल पर श्री प्रेम प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा, गोरखपुर, श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं श्री अनिल कुमार, मण्डल आयुक्त, गोरखपुर के नाम प्रकाशित किये गये थे।

गोरखपुर जिले के विधायक होने के नाते मा0 सदस्य को भी आमंत्रण-पत्र भेजा जाना चाहिए था और विज्ञापन में भी उनका नाम उल्लेख किया जाना अपेक्षित था। इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने जान-बूझकर उनको अपमानित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा मा0 सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन किया गया।

सामान्यतः प्रधानमंत्री की योजनाओं के लोकार्पण आदि में सत्तापक्ष या विपक्ष के विधायकों के साथ विभेद नहीं किया जाता है। इस प्रकार का विभेद से मा0 सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया गया। मा0 सदस्य द्वारा श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों के स्पष्टीकरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त किये गये।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपनी आख्या, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री अनिल कुमार, आयुक्त, गोरखपुर, श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं श्री प्रेम प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त/ परियोजना निदेशक, गोरखपुर के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। जिसके अनुसार श्री अनिल कुमार, आयुक्त एवं श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम'' जनपद में नगर विकास विभाग एवं डूडा के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम आयोजन के प्रभारी नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर एवं परियोजना अधिकारी, डूडा, गोरखपुर थे।

प्रेम प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अपनी आख्या द्वारा अवगत कराया गया कि ''कार्यक्रम आयोजन की सूचना अति अल्पकाल में दिनांक 08 अगस्त, 2017 को सायं में प्राप्त होने के कारण आमंत्रण-पत्र तत्काल छपवाकर दिनांक 08 अगस्त, 2017 को ही रात्रि में जनपद गोरखपुर के मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण को कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये थे। अल्पकाल में आमंत्रण-पत्र सभी जनप्रतिनिधियों को न मिल पाने की सम्भावना के दृष्टिगत कार्यक्रम आयोजन की सूचना/विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की गयी थी, जिससे कि कार्यक्रम आयोजन की सूचना सभी को हो सके। अल्पकालिक

सूचना पर कार्यक्रम की तैयारियों में अति व्यस्तता के फलस्वरूप समयाभाव के कारण किसी भी मा0 जनप्रतिनिधि से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कार्यक्रम का आमंत्रण-पत्र नहीं दिया जा सका। तत्क्रम में परियोजना अधिकारी, डूडा ने अपनी आख्या द्वारा अवगत कराया कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जनपद के सभी मा0 सांसदगण व मा0 विधायकगण को आमंत्रण-पत्र श्री सन्त कुमार, लिपिक, डूडा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2017 को रात्रि 09:30 बजे से पूर्व उनके निजी आवासों पर जाकर उपलब्ध करा दिया गया था। मा0 सदस्य श्री विनय शंकर तिवारी के आवास पर रात्रि 08:40 बजे आमंत्रण-पत्र लेकर उक्त कर्मचारी के पहुंचने पर आवास का मुख्य गेट बन्द मिला था। श्री सन्त कुमार द्वारा गेट खोलने वाले व्यक्ति को आमंत्रण-पत्र दे दिया गया था। इस प्रकार श्री विनय शंकर तिवारी, स0वि0स0 को भी अन्य मा0 सदस्यों की भांति ही कार्यक्रम हेतु आमंत्रण-पत्र उपलब्ध कराया गया था तथा आमंत्रण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था।

श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण के कार्यक्रम मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अथवा मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुए थे, उन सभी कार्यक्रमों की प्रकाशित सूचना/विज्ञप्तियों में भी उन जनपदों के सभी मा0 विधायकगण के नाम प्रकाशित नहीं हुए थे। इस प्रकार इस जनपद के कार्यक्रम में भी प्रदेश के अन्य जनपदों के अनुसार ही समाचार-पत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम की सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना के सापेक्ष आरोपित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि कार्यालय के आयोजकों द्वारा मा0 सदस्य को आमंत्रण-पत्र हस्तगत कराने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा समाचार-पत्रों में भी समाचार प्रकाशित कराया गया। फिर भी आयुक्त, गोरखपुर द्वारा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न होने पाये इसके लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा श्री जनपद के समस्त अधिकारियों को अग्रेतर जनपद में आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों में सभी मा0 सांसद/मा0 विधायक को समुचित रूप में आमंत्रित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्नगत घटना में उल्लिखित विषय का सम्बन्ध न तो सदन से है और न ही सदन की किसी समिति के कार्य से है। सूचना में उल्लिखित घटना में मा0 सदस्य के किसी विधायी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर भी सक्षम अधिकारियों द्वारा भविष्य के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिये जा चुके हैं। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

[01:25]

श्री राज्यपाल अभिभाषण चर्चा के अन्तर्गत दिन दिनांक 26 फरवरी, 2018 को कार्य-स्थगन नियम-300 में लिये जाने का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

माननीय अध्यक्ष जी, कल इस सदन में मेरे द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, मैंने आपके माध्यम से सदन के सामने यह प्रस्ताव किया था कि जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा है, उसका समापन 26 तारीख को होना है। मेरा अनुरोध यह है कि 26 तारीख को बाकी सूचनायें न ली जायें, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल का जो वक्तव्य है, वह भी आ जायेगा।

उसके बाद नेता सदन जवाब दे देंगे। यह पहले भी होता रहा है जिस दिन नेता विरोधी दल को बोलना था उस दिन नियम 56 की सूचनाएं नहीं ली गई। मेरा आपसे आग्रह है कि 26 तारीख को क्योंकि आज के बाद हम लोग 26 तारीख को बैठेंगे तो मेरा सबमीशन यह है कि पहले भी यह कार्यमंत्रणा समिति में तय हो चुका था कि जिस दिन नेता विरोधी दल और नेता सदन बोलेंगे उस दिन यह सूचनाएं न ली जाएं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री सुखदेव राजभर-

इन सूचनाओं में नियम-301 और 51 भी आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 और नियम-51 ले लेंगे क्योंकि उनमें भाषण तो होते नहीं हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

इन सूचनाओं में दो चार मिनट लगेंगे इसलिए नियम-51 और नियम-301 तो ले लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी कार्यस्थगन और उन सूचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें माननीय सदस्य बोलते हैं।

***श्री नितिन अग्रवाल**-

नियम 300 लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उस दिन नियम-300 में नहीं बात करेंगे । 300 में तो कभी भी बात कर सकते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी कार्य स्थगन तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होता है। जो 26 तारीख की माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बात कही चर्चा जब शुरू करेंगे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे और नेता सदन अपनी बात रखेंगे। उसके बाद नियम-56 में कार्य स्थगन की सूचना ले सकते हैं। इसमें कोई नियम तोड़ने की बात नहीं है। वैसे भी अभिभाषण के बाद ही नियम-56 की सूचना ली जाती है। मेरा मत है कि आप नियम-56 की सूचना उस दिन भी ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कार्यमंत्रणा में इस तरह की बात आई थी और प्रायः ऐसे अवसरों पर यह सूचनाएं नहीं ली जाती रही हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

अध्यक्ष जी कोई व्यवधान तो आएगा नहीं वैसे भी नियम-56 चर्चा के बाद ली जाती है।

श्री अध्यक्ष-

क्या मुझे प्रश्न उपस्थित करना चाहिए या सर्वसम्मत है।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने 26 तारीख के उपवेशन के लिए रखा है कि उस दिन कार्य स्थगन, नियम-300 न लिया जाए नियम-301 और नियम-51 की सूचनाएं ली जाएं इस प्रस्ताव के पक्ष में जो माननीय सदस्य हों कृपया हॉं कहें जो विरोध में हों वह नहीं कहें।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[01:27]

राज्य सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दिव्यांगता पर ''राज्य सलाहकार बोर्ड'' में कार्य करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप पहले इस प्रस्ताव को रख दें उसके बाद मैं आपको अधिकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगा।

श्री लाल जी वर्मा-

पहले अध्यक्ष जी का प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके बाद आप दूसरा प्रस्ताव रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दिव्यांगता पर ''राज्य सलाहकार बोर्ड'' में कार्य करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

'राज्य सलाहकार बोर्ड' में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम निर्देशित हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन दिव्यांगता पर ''राज्य सलाहकार बोर्ड'' में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव जो इस मा0 सदन में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबंधों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहॉं तक वह निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त राज्य सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिये भी मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त ''राज्य सलाहकार बोर्ड'' में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार अध्यक्ष को अधिकृत करने के बारे में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, मा0 सदस्य डा0 नीरज बोरा जी।

[01:34]

लखनऊ विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय को ऊर्जा प्रदान किये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी

डा0 नीरज बोरा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प करता हूँकि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना किये जाने विषयक डा0 अरूण कुमार के संकल्प पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, डा0 अरूण कुमार जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, पिछली बार भी संकल्प पर चर्चा जारी रही थी। मैं अपनी बात जीस्ट में रख देता हूँ उसके बाद आप इस पर चर्चा जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी बात संक्षेप में रख दीजिये।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, फिरोजाबाद का जो कॉच चूड़ी उद्योग है और इस हस्त कौशल का, इस कॉच उत्पाद को पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वह फिरोजाबाद के श्रमिक भाई-बहनों का है। फिरोजाबाद के जो श्रमिक हैं वह जहॉ अपने हस्त कौशल के लिये पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हैं, लेकिन पिछले अनेक-अनेक वर्षों से व्यवस्था की अनदेखी के कारण से जिस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलनी चाहियें और उनके जीवन स्तर में, उनके सामाजिक स्तर में, उनके आर्थिक स्तर में, उनके स्वास्थ्य के स्तर में जो सुधार होना चाहिये, उससे वह वंचित रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्रम मंत्री जी सुन रहे हैं। आपकी बात उनके ध्यान में आ गयी है। अब आगे जब चर्चा होगी तो आप विस्तार से अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिरोजाबाद के कॉच चूड़ी उद्योग का जो मजदूर है, वह 1400 से लेकर 1700 फारेनहाइट की गर्म भट्टियों के सामने काम करता है। जितने भी मेहनतकश मजदूर हैं वह लगभग एक समान श्रम की शक्ति लगाते हैं, लेकिन फिरोजाबाद के कॉच चूड़ी के मजदूरों के लिये यह अत्यन्त विपरीत और दुरूह परिस्थितियॉ हैं जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके कारण वह शारीरिक एवं आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इसलिये मैं इसी चर्चा में आगे भी अपनी बात रखना चाहूँगा। आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आगे यह चर्चा जारी रहेगी।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। अगला संकल्प मा0 श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी का है।

जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तककुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जायें।''

महोदय, कुशीनगर जनपद में तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है और इंसेफ्लाइटिस की मार अगर देखा जाये तो सबसे अधिक बच्चों की मरने की संख्या इन्हीं क्षेत्रों में है। महोदय, चूँकि चिकित्सीय सुविधाओं का घोर अभाव है और बहुत सारी पी0एच0सी0 और एक सी0एच0सी हैं। महोदय, हमने बार-बार यह आग्रह किया है कि उस पिछड़े क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए इंसेफ्लाइटिस (काला जार) बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा देने हेतु चर्चा आगे जारी रखी जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी और आप विस्तार से बोलेंगे। अगला संकल्प मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हरदोई में लखनऊ-दिल्ली चार लेन मार्ग पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई-लखनऊ, हरदोई-पिहानी, हरदोई-शाहजहांपुर तथा हरदोई-फर्रूखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाइपास का निर्माण कराये जाने विषयक डा0 नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

***श्री नितिन अग्रवाल-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-हरदोई में लखनऊ-दिल्ली चार लेन मार्ग पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई-लखनऊ, हरदोई-पिहानी, हरदोई-शाहजहांपुर तथा हरदोई- फर्रूखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाईपास का निर्माण कराया जाये।''

महोदय, मैने पहले भी इसका जिक्र सदन में किया है कि हरदोई शहर में लगातार भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है और अभी कुछ दिन पहले हमारे जनपद हरदोई शहर में कुछ लोगों की एक्सीडेन्ट्स से मौत भी हुई है। लगातर भारी वाहनों में ट्रक जो रात में चलते हैं उनसे जानमाल का भी खतरा बना रहता है। मेरा यह सुनिश्चित मत है कि पी0डब्लू0डी0 विभाग ने भी एक शासनादेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि जिन नगरों की एक लाख से अधिक की जनसंख्या है, उन शहरों में बाईपास बनाने की आवश्यकता है ताकि बाहरी वाहन बाहर से ही निकाल दिये जाये, उनको शहर में आने की इजाजत न मिले।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। अब मा0 श्री वीर विक्रम सिंह जी मद संख्या-17 पर अपना संकल्प केवल पढ़ दें जितना लिखा है उतना पढ़ दें।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131 कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। मा0 श्री मनीष असीजा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। मा0 डा0 आर0के0 वर्मा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

डा0 आर0के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। मा0 श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकार मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी।

[01:40]

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनायें लेता हूँ । आज दिनांक 16.02.2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

नियम-51 की सभी सूचनायें लिए जाने का अनुरोध

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि आज सारी सूचनाये स्वीकार कर ली जाये। आज से दस दिन बाद माननीय सदन की बैठक होगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-51 की सूचना सदस्य इस प्रत्याशा में लगाते हैं कि विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट हो जायेगा और जो उनके क्षेत्र का कार्य है वह हो जायेगा। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि थोड़ा सी दया का भाव दिखाया जाये और आज नियम-51 के तहत सारी सूचनाओं को ले लिया जाये। बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

सारी सूचनायें ले पाना संभव नहीं होगा क्योंकि सत्र के अंतिम दिन सारी सूचनायें लिये जाने की परिपाटी होती है और अभी सत्र का अंतिम दिन नहीं है। अभी अगले महीने तक सत्र चलने वाला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि यह लोग आज ही सत्र समाप्त कराना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बीच में दस दिन का गैप है तो दस दिन की जितनी सूचनायें होती हैं कम से कम उतनी तो ले ही लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह तर्क बड़ा सुन्दर है।

श्री राम अचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना राजभर जाति को विमुक्त प्रमाण पत्र देने से संबंधित है, कृपया उसको भी स्वीकार कर लीजिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-51 के लिए माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहते हैं कि जब नियम-51 आयेगा और यदि वह उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनकी सूचना नहीं ली जायेगी। इसीलिये नियम-51 को अंत में रखा जाता है कि माननीय सदस्य अपनी उपस्थिति बनाये रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो लोग उपस्थित हैं उनकी सूचनायें ले लीजिये।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप सब प्रतिष्ठित लोग हैं, आप लोग तो वैसे भी अंत तक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, मैं आप सब लोगों की सूचनाओं को देख लेता हूँ । निम्नलिखित 30 माननीय सदस्यों की सूचनाये स्वीकृत की गई, मैं स्वीकृत सूचनाये पढ़ देता हूँ-

पहली सूचना डा0 सोमेन्द्र तोमर की जनपद मेरठ के ग्राम गगोल में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत पीली नदी पर पुल एवं रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में बस अड्डे की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बालागंज के अन्तर्गत बरावन में नगर निगम की भूमि पर शवघाट बनाये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय की सम्बद्धता दिलाये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडेक्ट के अन्तर्गत चूड़ी एवं कांच उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के बीच से गुजर रहे रेहड़ी रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के ग्राम सभा बिसारा का मजरा इत्यादि में मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में प्राचीन चाकेश्वर मन्दिर की मूलभूत सुविधाओं एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ब्लाक रजपुरा में नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय स्थाई भवन में संचालित कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर की राठ विधान सभा के राठ नगर के क्षतिग्रस्त बाई पास को पुनर्निर्माण कराये जाने के संबधं में है, चौदहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत मार्टिनगंज तहसील का निर्माण त्वरित गति से कराये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुडडू जमाली की जनपद

आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में धर्मशाला से लेकर राजा साहब की मस्जिद तक विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर में प्रधानमंत्री आवास को ध्वस्त किये जाने के संबंध में है, सत्रहवीं सूचना श्री असलम चौधरी की जनपद गाजियाबाद के थाना मंसूरी के अन्तर्गत घटित घटनाओं के संबंध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कैमुआ नाले पर छोटा पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर में ग्राम पंचायत किन्तूर में किये गये अवैध कब्जे एवं उत्पीड़न के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, बीसवीं सूचना श्रीमती निर्मला संख्वार की जनपद कानपुर देहात की विधान सभा क्षेत्र नुनारी में पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में है, इक्कीसवीं सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर स्थित जिला चिकित्सालय में सर्जन चिकित्सक नियुक्त किये जाने के संबंध में है, बाइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम पंचायत धीरनपुर व जैकीपुरवा के बीच पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तेइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में है, चौबीसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में एनटीपीसी टाण्डा के विस्तार हेतु किसानों की आबादी भूमि अधिग्रहित किये जाने के संबंध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के भर जाति को विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र दिलाये जाने के संबंध में है, छब्बीसवीं सूचना मो0 असलम ''राइनी'' की जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा तहसील में हजारों की संख्या में दाखिल खारिज व हद बरारी तथा पत्थर नसब की फाइलों के संबंध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्राम कटका में ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बी0एम0सी0टी मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबधं में है, उन्तीसवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा अपर निजी सचिव चयन 2010 में चयनित अभ्यर्थियों का अनियमित प्रक्रिया का पालन करते हुये नियुक्ति पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में है तथा तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री राम प्रताप सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती सुनीता सिंह, श्री दलवीर सिंह, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री पूरन प्रकाश, डा0 श्याम बिहारी लाल, श्री दिनेश चौधरी, श्री केसर सिंह, डा0 मुकेश वर्मा, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीमती कमलेश सैनी, श्री चेतराम, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री वीर विक्रम सिंह प्रिन्स, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राहुल प्रकाश, श्री हरिराम, श्री मसूद अख्तर, श्री तसलीम अहमद, श्री सोहिल अख्तर अंसारी, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री रितेश पाण्डेय,

श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री जवाहर लाल राजपूत, डा0 अरूण कुमार, श्री सीताराम वर्मा, श्री राकेश सिंह, श्रीमती जयदेवी, श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' तथा श्री संजय गर्ग।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक मिनट के लिए अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कहूं, नहीं तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कोई बात कहोगे तो सरकार के पास। बिना नोटिस के बोलने से गलती यह होती कि सरकार फिर उत्तर नही दे पाती है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं थोड़ा-सा यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अगर महत्वपूर्ण विषय होगा तो फिर सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, ना। सरकार के पास उत्तर नहीं होगा, ना।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, आप सुन ले, जैसा आपका निर्देश होगा। आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हम कहां कह रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं। हम बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो आप अपने आप बैठेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, विषय यह है।

श्री अध्यक्ष-

उस विषय पर अगर हम संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण मागेंगे तो वो कागज मंत्री जी के पास है नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, नहीं देंगे तब भी चलेगा। बस ध्यान आकृष्ट करा दीजिएगा। यह निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष-

उनके पास कुछ मटेरियल नहीं है, ना।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मटेरियल होगा। ऊर्जा मंत्री जी से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, क्या प्रश्न था कोई ?

हाई टेंशन तार की चपेट में आये मृतकों के परिवार को बिजली विभाग से मुआवजा दिलाये जाने की मांग

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

महोदय, प्रश्न का था ये। जैसे मैने एक सवाल लगाया था और तारांकित प्रश्न था। मेरे यहां 13 लोग हाईटेंशन तार गिरने से मर गये थे और 2016 का प्रकरण है। 2016 हो गया, 2017 हो गया।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल कब का है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, यह सवाल आज ही का था। और 13 लोगों के मरने की सूचना तो मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र के माध्यम से दिया था और इनके प्रमुख सचिव को और जो चेयरमैन हैं उनको सबको दिया था। ये 2016 से लेके 2018 तक का प्रकरण है। मतलब पहले महीने का है। 12 प्रकरण 2016-17 का है और एक प्रकरण 2018 का है। महोदय, हाईटेंशन तार गिरने से। कोई भी व्यक्ति आपदा या किसी दुर्घटना में मरता है तो उसकी एक नीयत समय होती है। दो महीने तीन महीने में उसका मुआवजा मिल जाता है। लेकिन माननीय मंत्री जी के इतने निर्देश देने के बाद कड़े निर्देश देने के बाद। 13 लोगों को दो साल से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि उनको उनका जो बिजली विभाग के द्वारा घोषित जो मुआवजा है वह देने का प्रावधान है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन 13 लोगों को जो बिजली से मरे हैं, हाईटेंशन तार गिरने से। उनको मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। और जो अधिकारी केवल औपचारिकता बस के लिए ये विधानसभा सवालों को ले रहे हैं केवल उन्होंने लिख दिया है कि बस रिपोर्ट आ गई है और प्रक्रिया विचाराधीन है। तो महोदय ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होने का निर्देश भी होना चाहिए। महोदय, क्योंकि यह मामला जनहित से जुड़ा मामला है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको दिखवा लेगें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी नोट कर लिया है और हमने भी नोट कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कराये। अब वक्तव्य लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

मण्डी परिषद् में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच में लीपा-पोती किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

एन0आर0आई0, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि मण्डी परिषद में कार्यरत श्री जे0के0 सिंह के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में जांच.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य कृषि विपणन मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[कार्यवाही प्रचलित है। शासन के पत्र संख्या 140/80-1-2017-232/2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सीमेन्ट की जांच कराने हेतु निदेशक, केन्दीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया है तथा निर्माण कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराने हेतु शासन के पत्र संख्या वीआईपी-140(2)/80-1-2017-232/2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 123 के अन्तर्गत श्री शतरूद्ध प्रकाश, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अल्पसूचित प्रश्न पूछा गया था, जो विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम मंगलवार के लिए अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के रूप में निर्धारित हुआ था। विधान परिषद् की कार्यवाही दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 की बैठक में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। साथ ही की गयी कार्यवाही से विधान परिषद् की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भी अवगत कराया जा चुका है।

3-इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि निदेशक, मण्डी परिषद् के आदेश संख्या अधि0-क(621)/2018-141, दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा श्री जे0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक (निर्माण) से मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 का प्रभार वापस ले लिया गया है। श्री जे0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक (निर्माण) जांच को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं और जांच के परिणाम के अनुसार नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री देवमणि द्विवेदी-

मान्यवर, इसमें जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है वह पहले क्षेत्रालय से मुख्यालय में बिठा दिये गये हैं श्री जे0के0 सिंह जी। जैसे फाइल क्षेत्रालय से मुख्यालय में चली आई पीछे-पीछे क्षेत्रालय से मुख्यालय में जे0 के0 सिंह जी भी आ गये। तब वहां पर छेड़छाड़ करेंगे तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जहां फाइल है वहीं आरोपी अधिकारी भी पहुंच गया था।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मैंने 15 जनवरी को ही निदेशक को मैंने एक पत्र भेजा था कि तत्काल प्रभाव से उनके सारे चार्ज वापस लिये जायें। वह गेड-2 पर थे उनका वह चार्ज उनसे वापस ले लिया गया है। जे0डी0सी0 के लिए भी अभी तक वह चार्ज डायरेक्टर ने वापस नहीं लिया है लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह प्रकरण है। और जो भी उनको प्रोटेक्शन देगा, जे0के0 सिंह या ऐसे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को जो भी कोई प्रोटेक्शन देगा तो हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री देवमणि द्विवेदी-

माननीया आपने आदेश किया था कि उनको किसी भी प्रकार के कार्यभार से अलग किया जायेगा। बहुत सारे प्रकार के कार्यभार अभी भी उनके साथ बने हुए हैं। कौन समर्थन दे रहा है और क्यों दे रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी की जीरो टालरेंस नीति की बात होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ ?

श्री नितिन अग्रवाल-

अब मंत्री जी के आदेश भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो यह सरकार कैसे चलेगी।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों को यह मैं बताना चाहती हूँकि यह ऐसी सरकार है कि यहॉ खड़े होकर हम अपनी बात बता रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं चाहूंगी कि जो दूसरी तरफ बैठे हुए सदस्यगण हैं वह इसकी चिंता न करें। यह ऐसी सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दें। यह ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और मंत्री या मा0 मुख्यमंत्री खुलकर बोल रहे हैं।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा के अन्तर्गत ग्राम महुराखुर्द में विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

महुरा खुर्द, ब्लाक सुरसा, जनपद हरदोई के ग्राम महुरा कलां का मजरा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

[जिसमें 20/22 घर है। लगभग 10 वर्ष पूर्व यहां पर विद्युतीकरण किया गया था परन्तु यहां के निवासियों द्वारा विद्युत संयोजन न लेने के कारण लाइनों का रख-रखाव नहीं किया जा सका जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गयी। महुरा खुर्द मे विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, सुरसा से निर्गत जल्लापुर फीडर पर स्थापित 10 के0वी0ए0 क्षमता के परिवर्तक से दी जा रही है, जिस पर श्री ओम प्रकाश सिंह के नाम से एक किलोवाट का मात्र एक संयोजन जुड़ा है। जल्लापुर फीडर पर शेड्यूल 18:00 घण्टे के सापेक्ष औसतन 17:30 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। फीडर से जुड़े समस्त कृषकों को भी उपरोक्तानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

वर्तमान में ग्राम में 10 के0वी0ए0 का विद्युत परिवर्तक लगा है, जिस पर मात्र एक किलोवाट विद्युत भार का संयोजन जुड़ा है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त लाइनों को बदलकर पूरे ग्राम में एल0टी0 केबिल लगाने का कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, जिससे समस्त निवासियों को संयोजन निर्गत कर दिये जायेंगे।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक औरास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव के ग्राम कबीर नगर चौराहा से पिण्डेरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अम्बेडकर नगर....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[की आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि करीम नगर से पाभीपुर तक 200 मीटर सड़क लोक निर्माण विभाग की है तथा पाभीपुर से पिण्डोरिया चौराहे तक 2100 मीटर सड़क जिला पंचायत, अम्बेडकर नगर द्वारा लगभग 04 वर्ष पूर्व बनायी गयी थी, जो वर्तमान में मरम्मत योग्य है।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत हेतु रुपया 35.00 लाख की आवश्यकता होगी। उक्त मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव जिला पंचायत, अम्बेडकर नगर की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः जिला पंचायत बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इस वक्तव्य में बताया गया है कि जिस मार्ग की मरम्मत के बारे में सूचना दी गयी है उसकी लागत करीब 35 लाख रूपये है जिसको जिला पंचायत बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बस यह ही आश्वासन या स्पष्टीकरण चाहता हूँकि यह मात्र 35 लाख रूपये तक बात पहुंच गयी है। इसको यहीं से सुनिश्चित करा दिया जाये कि यह काम हो जाएगा। बहुत ही पिछड़ा

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र है। वहॉ मल्लाह, निषाद जाति के लोग रहते हैं। उसको बराबर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो यह मात्र 35 लाख रूपया पास हो जाएगा और वह रोड बन जाएगी। और वहॉ से आवागमन भी आसानी से हो जाएगा। वह करवा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें सकारात्मक ध्वनि है। आश्वासन तो बन ही गया। नियम 51 का जवाब है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं। यहॉ से कोई ऐसे विश्वकर्मा नहीं बैठे हैं जो रातोंरात सड़क बना दी जाये। मान्यवर, इसमें सकारात्मक ध्वनि है आश्वासन तो बन गया।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें यह है कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार, तो अगर बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तो कहॉ से होगा। उसी में लिखा है कि जिला पंचायत के बोर्ड के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। तो मान्यवर, जिला पंचायत का बोर्ड आटोनामस बाडी है। अगर वह बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तो मार्ग नहीं बनेगा। तो इसलिए मा0 सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अगर बोर्ड निर्णय नहीं लेता तो उसके उपरांत भी कैसे उस सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी पहले आश्वासन समिति के सभापति रहे हैं। तो वहॉ पर अधिकारियों को बुलाकर तमाम काम करवाते रहे हैं। आपको विश्वास है कि इनका आश्वासन बन गया है। तो आश्वासन समिति में जाकर वहॉ हो जाएगा। आप भी आश्वासन समिति में रहे होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह बहुत वर्षों रहे हैं। इन्होंने कई रिकार्ड तोड़े हैं।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लाहगंज व जानकीपुरम क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

उप मुख्यमंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, लखनऊ उत्तर, विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज व जानकीपुरम् क्षेत्र .....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(श्री नीरज बोरा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 नीरज बोरा जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री नीरज बोरा-

मान्यवर, मा0 उप मुख्य मंत्री जी बड़े दयालु हैं मैं चाहता हूं कि वह हमारी विधानसभा पर थोड़ी दया करें। मान्यवर, उनके वक्तव्य में सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस पर कुछ कृपा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य उप मुख्यमंत्री/लोक निर्माण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[विषयगत मार्ग क्रमशः नगर निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। मा0 सदस्य, विधान सभा, डा0 नीरज बोरा द्वारा लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/निर्माण कार्य के सापेक्ष नगर निगम द्वारा कुल 83 मार्गों पर अनापत्ति जारी की गयी है, जिनमें से 02 मार्ग लखनऊ विकास प्राधिकरण से संबंधित हैं तथा तीन मार्गों की पुनरावृत्ति हो जाने के कारण कुल मार्गों की संख्या 78 मात्र ही रह जाती है। उक्त मार्गों में से 71 मार्गों के निर्माण कार्य पर लगभग रु0 7213.00 लाख की लागत आंकलित की गयी है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। उक्त के अतिरिक्त दो सम्पर्क मार्ग अत्यधिक संकरें होने के कारण मशीनरी का पहुंचना सम्भव नहीं है। अतः उक्त दो मार्ग पर लो0नि0वि0 द्वारा कार्य नहीं कराया जा सकता है। अवशेष तीन मार्गों पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। शेष 02 मार्गों के सर्वेक्षण/आगणन का कार्य प्रगति पर है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में मऊ फीडर के अन्तर्गत सभी लाइनों पर 11 के0 वी0 के तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बांगरमऊ, उन्नाव...

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

[से निकलने वाले 11 के0वी0 मऊ फीडर पर विद्युत उपकेन्द्र से राजेपुर, कमलापुर के जर्जर तार बदलने का प्राक्कलन बिजनेस प्लान में स्वीकृत है, जिसे बदलने का कार्य प्रगति में है तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम उम्मरपुर, हफीजाबाद, हरीदासपुर, रूस्तमपुर, खेरागढ़ा, लौकिहा, बद्रीपुरवा, दुर्गापुरवा, मंगूपुरवा आदि गांवों के 11 के0वी0 लाइन के जर्जर तार बदलने का कार्य बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दिनांक 31 मई, 2018 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

इसके अतिरिक्त ग्राम शिवपुरी का मजरा अरजानीपुर में अतिरिक्त 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करने का कार्य भी दिनांक 31 मई, 2018 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।]

जनपद फिरोजाबाद में जसराना नवीन नहर से गोपालपुर ग्राम से मोहम्मदपुर लभौया के मध्य बिटुमिन रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जसराना नवीन नहर परियोजना की कुल स्वीकृत लागत...

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सदस्य श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप मनीष असीजा जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है। इस पर प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने मा0 मुख्यमंत्री जी को और मा0 सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस नवीन जसराना नहर परियोजना में लगभग 27 करोड़ रूपये की बचत करके और इस बचत में लगभग 20 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रस्ताव बनाकर जिसमें 36 किलोमीटर की लम्बाई एवं 3 मीटर चौड़ाई की सड़क बन जाएगी और 26 गांवों के लगभग 70 हजार नागरिकों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। मान्यवर, इस नहर के अनुरक्षण के लिए भी बहुत सुविधा रहेगी। मान्यवर, इस प्रस्ताव पर सरकार का सकारात्मक रूख है और आश्वासन भी है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने मा0 मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[` 19778.99 लाख है। परियोजना का कार्य लगभग 94.5 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा कार्य माह अप्रैल, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अब तक इस परियोजना पर कुल व्यय 15524.79 लाख हो चुका है तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण करने में लगभग 1500.00 लाख और व्यय आने की सम्भावना है। इस प्रकार परियोजना का कार्य पूर्ण होने में कुल लगभग 17024.20 लाख का व्यय होगा। इस प्रकार स्वीकृत परियोजना की लागत में लगभग 2754.20 लाख की बचत हो रही है।

परियोजना लागत में हो रही बचत से जसराना नवीन रोड के हेड (किमी0 0.000 से किमी0 35.470) के मध्य नहर के सर्विस रोड को 3 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण करने हेतु ` 2080.00 लाख की परियोजना तैयार की गयी है, जिसे मुख्य अभियन्ता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य अभियन्ता समिति से अनुमोदित एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने तथा अगले वित्तीय वर्ष 2018-2019 में धन उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा। इस कार्य के पूर्ण होने से जसराना नवीन नहर के अनुरक्षण, देख-रेख एवं नहर के बगल आने वाले 26 ग्रामों के लगभग 70000 (सत्तर हजार) आबादी को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।]

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत तहसील गोला में स्थित बारा नगर कैनाल में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, रबी 1425 फसली वर्ष में चौधरी चरण सिंह गोला पम्प नहर.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, इसमें जिस भी अधिकारी ने जानकारी दी है वह गलत है। मान्यवर, आज सुबह तक नहर में पानी नहीं आया है और इसमें कहा गया है कि पानी उपलब्ध है। मान्यवर, आज की तारीख में सिचाई बहुत आवश्यक है और नहर में अभी भी पानी नहीं पहुंचा है। मान्यवर, वहां पर कुआनों नदी भी है, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वक्तव्य में यह एलाऊ नहीं है। चूंकि आपने उस सूचना के उत्तर को असत्य माना है, इसलिए हम आपकी बात को सत्य मानकर जांच भी कराएंगे और कार्यवाही भी करेंगे।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रणाली दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रोस्टर के अनुसार चलायी जाती है। लगभग एक सप्ताह पूर्व घाघरा नदी का जलस्तर काफी कम होने के कारण पानी पम्प हाउस से लगभग 200 मीटर की दूरी पर चला गया था। जिससे नहर में भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने की आशंका पर पम्प बन्द करा दिया गया था। तत्पश्चात् कुआनों नदी में उपलब्ध पानी को डायवर्ट कर नहरों का संचालन प्रारम्भ करा दिया गया है। वर्तमान में सिंचाई हेतु नहरों में पानी उपलब्ध है तथा किसानों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

आज सदन बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से चला। अब बीच में कुछ दिन हम लोग नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि आप सबकी याद आएगी। अब हम उठते हैं दिनांक 26.02.2018 को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 59 मिनट पर सोमवार दिनांक 26 फरवरी, 2018 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 16 फरवरी, 2018 ई0।

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत जनपदों में बी0पी0एल0 संयोजनो की प्रगति

उत्तर प्रदेश 31-01-2018 तक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माह जनवरी, 2018 तक की प्रगति
		बी0पी0एल0 कनेक्शन निर्गत
1	2	3
	दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा	
1	मैनपुरी	2088
2	एटा	1790
3	कन्नौज	6552
	योग . .	**10430**
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी	
4	प्रतापगढ़	23316
5	इलाहाबाद	21106
6	बलिया	25574
7	देवरिया	15279
8	गोरखपुर	53531
9	जौनपुर	51963
10	सिद्धार्थनगर	13333
	योग . .	**204102**
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ	
11	मुजफ्फरनगर	2864
12	बिजनौर	5400
13	बुलन्दशहर	12065
	योग . .	**20329**
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ	
14	लखीमपुर	59958
15	बाराबंकी	81878
16	हरदोई	13286

1	2	3
17	गोण्डा	12603
18	फैजाबाद	30068
19	अम्बेडकर नगर	69000
20	उन्नाव	24923
21	शाहजहांपुर	18134
22	बहराइच	9867
	योग . .	**319717**
	कुल योग . .	**554578**

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत जनपदों में बी0पी0एल0 संयोजनो की प्रगति

उत्तर प्रदेश 31-01-2018 तक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माह जनवरी, 2018 तक बी0पी0एल0 संयोजनों की प्रगति
1	2	3
	दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा	
1	इटावा	4373
2	कन्नौज	2393
3	मैनपुरी	3771
4	आगरा	2571
5	अलीगढ़	10161
6	औरैया	16378
7	बांदा	21118
8	चित्रकूट	6873
9	एटा	9422
10	फर्रूखाबाद	6305
11	फिरोजाबाद	15647
12	हमीरपुर	408
13	जालौन	16443
14	झांसी	1491

1	2	3
15	कानपुर देहात	3173
16	कानपुर नगर	2821
17	कासगंज	16183
18	ललितपुर	19643
19	हाथरस	2997
20	महोबा	1565
21	मथुरा	13313
	योग . .	**177049**
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ	
1	बदायूं	27021
2	अम्बेडकर नगर	11234
3	अमेठी	19242
4	फैजाबाद	8049
5	गोण्डा	16525
6	हरदोई	32794
7	पीलीभीत	19870
8	राय बरेली	5733
9	श्रावस्ती	9523
10	सुल्तानपुर	5543
11	बलरामपुर	1655
12	बरेली	24125
13	लखनऊ	15505
14	सीतापुर (सदर, सिधौली, लहरपुर बिशवा, महमूदाबाद) सीतापुर, (मिश्रिख, महोली)	32676
	योग . .	**229495**

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ

1	2	3
1	बागपत	3719
2	बिजनौर	990
3	शामली	713
4	अमरोहा (जे0पी0)	9675
5	मुरादाबाद	10919
6	गौतमबुद्ध नगर (नोयडा)	2000
7	गाजियाबाद	3332
8	हापुड़	6200
9	मेरठ (जानी खुर्द), मेरठ (मवाना कलान, सुरूरपुर), मेरठ (मछार, मेरठ, रोहटा, रजपुरा) मेरठ (खरखोदा, परिक्षितगढ़)	2594
10	रामपुर (बिलासपुर, चमरूआ) रामपुर (मिलक) रामपुर (सौर, सेंधनगर, शाहाबाद)	26413
11	सहारनपुर (सडौली कदीम, गंगोह, पुवारका) सहारनपुर (नांगल, ननौता) सहारनपुर (रामपुर मनिहारन) सहारनपुर (बलियाखेड़ी, देवबन्द, नकुर, सरसांवा, मुजफ्फराबाद)	33447
12	संभल (बनियाखेड़ा, रजपुरा) संभल (बहजोई, गुन्नौर, जनवाई) संभल (असमोली, पनवासा)	14550
	योग . .	**114552**

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी

1	कुशीनगर	80000	
2	आजमगढ़	73279	
3	मिर्जापुर	74075	
4	संत रविदास नगर	17160	
5	फतेहपुर	28839	
6	बस्ती	35466	

1	2	3
7	महाराजगंज	54091
8	देवरिया	42559
9	मऊ	25521
10	प्रतापगढ़	32913
11	चन्दौली	15100
12	संत कबीर नगर	25160
13	सोनभद्र	41359
14	गाजीपुर	36935
15	सिद्धार्थनगर	53062
16	कौशाम्बी	16814
17	वाराणसी	29408
	योग . .	**661741**
	कुल योग . .	**1182837**

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क संयोजन दिये जाने की जनपदवार सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल निर्गत संयोजनों की संख्या		
		ग्रामीण गरीब	शहरी गरीब	योग
1	2	10	12	13
1	गोरखपुर	3618	0	3618
2	महाराजगंज	3918	0	3918
3	देवरिया	2811	0	2811
4	कुशीनगर	2204	0	2204
5	वाराणसी	2793	0	2793
6	चन्दौली	8143	0	8143
7	गाजीपुर	11349	0	11349
8	जौनपुर	6874	0	6874
9	इलाहाबाद	5663	0	5663
10	कौशाम्बी	3702	0	3702
11	प्रतापगढ़	2309	0	2309
12	फतेहपुर	5619	0	5619

1	2	10	12	13
13	मिर्जापुर	6274	0	6274
14	संत रविदास नगर	3817	0	3817
15	सोनभद्र	6988	0	6988
16	आजमगढ़	8375	0	8375
17	मऊ	3492	0	3492
18	बलिया	6173	0	6173
19	बस्ती	3706	0	3706
20	सिद्धार्थनगर	3483	0	3483
21	संत कबीर नगर	2681	0	2681
	पूर्वांचल योग . .	**103992**	**0**	**103992**
1	मेरठ	961	0	961
2	बागपत	559	0	559
3	गाजियाबाद	107	0	107
4	हापुड़	1414	0	1414
5	बुलन्दशहर	0	0	0
6	मुरादाबाद	304	0	304
7	ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा)	1354	0	1354
8	बिजनौर	399	0	399
9	रामपुर	145	0	145
10	सम्भल	2630	0	2630
11	सहारनपुर	1698	0	1698
12	मुजफ्फरनगर	315	0	315
13	शामली	211	0	211
14	नोयडा	0	0	0
	पश्चिमांचल योग . .	**10097**	**0**	**10097**
1	आगरा	1130	0	1130
2	मथुरा	2634	0	2634
3	फिरोजाबाद	2111	0	2111
4	मैनपुरी	960	0	960
5	अलीगढ़	1315	0	1315
6	महामाया नगर (हाथरस)	2337	0	2337
7	एटा	1817	0	1817
8	कांसीरामनगर (कासगंज)	947	0	947
9	कानपुर नगर	2389	0	2389
10	कानपुर देहात	3605	0	3605

1	2	10	12	13
11	फर्रूखाबाद	1841	0	1841
12	इटावा	3700	0	3700
13	औरैया	2562	0	2562
14	कन्नौज	1871	0	1871
15	झांसी	1972	0	1972
16	ललितपुर	1584	0	1584
17	जालौन	6181	0	6181
18	बांदा	2867	0	2867
19	चित्रकूट	1105	0	1105
20	हमीरपुर	1872	0	1872
21	महोबा	784	0	784
	दक्षिणांचल योग . .	**45584**	**0**	**45584**
1	अमेठी	3287	0	3287
2	सुल्तानपुर	5408	0	5408
3	फैजाबाद	4557	0	4557
4	अम्बेडकर नगर	4472	0	4472
5	बाराबंकी	4787	0	4787
6	बलरामपुर	1427	0	1427
7	श्रावस्ती	930	0	930
8	बहराइच	3475	0	3475
9	गोण्डा	3968	0	3968
10	बरेली	9117	0	9117
11	शाहजहांपुर	10255	0	10255
12	पीलीभीत	5493	0	5493
13	बदायूं	8435	0	8435
14	हरदोई	2789	0	2789
15	लखीमपुर खीरी	2573	0	2573
16	रायबरेली	3287	0	3287
17	सीतापुर	2272	0	2272
18	उन्नाव	3130	0	3130
19	लखनऊ	2623	0	2623
	मध्यांचल योग . .	**82285**	**0**	**82285**
1	कानपुर शहर	0	1020	1020
75	**उ0 प्र0 योग . .**	**241958**	**1020**	**242978**

Saubhagya Target & Progress (District-wise details)

Sl. No.	District	Un-electrified houscholds proposed to be covered under Saubhagya (As per adhoc Advance)			Un-electrified houscholds proposed to be covered unedr Saubhagya (As per Final Survey RECPDCL)		
		Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Firozabad	126664	670	127334	144576	670	145246
4	Mainpuri	89633	3700	93333	121292	3700	124992
5	Aligarh	90896	10800	101696	252003	10800	262803
7	Mahamaya Nagar (Hathras)	67799	2450	70249	60024	2450	62474
6	Etah	139009	2750	141759	145002	2750	147752
8	Kanshiram Nagar (Kasganj)	144852	4960	149812	129905	4960	134865
12	Kanpur Nagar	156566	2557	159123	101593	2557	104150
13	Kanpur Dehat	117142	3730	120872	111578	3730	115308
14	Farrukhabad	77463	5370	82833	104085	5370	109455
15	Etawah	115038	3130	118168	110100	3130	113230
16	Auraiya	73667	3430	77097	117379	3430	120809
17	Kannauj	114004	5360	119364	144440	5360	149800
9	Jhansi	161003	7000	168003	115119	7000	122119
10	Lalitpur	153545	1870	155415	119594	1870	121464
11	Jalaun	179268	6900	186168	232136	6900	239036
18	Banda	190836	4300	195136	157224	4300	161524
19	Chitrakoot	50858	1550	52408	106909	1550	108459
20	Hamirpur	22426	3770	26196	101947	3770	105717
21	Mahoba	45214	4120	49334	82216	4120	86336
	DVVNL Total	**2462689**	**83537**	**2546226**	**2651938**	**83537**	**2735475**

20-03-2018

Total Connections Released under Saubhagya (Upto 10/02/218)					% Progress (13/8)	Progress on Saubhagya Portal as on 07.02.2018
No. of Camps	Rural Poor	Rural Non. Poor	Urban Poor	Total		
9	10	11	12	13	14	15
133	2111	4379	0	6490	4.47	4951
41	960	1785	0	2745	2.20	2338
302	1315	11435	0	12750	4.85	18871
190	2337	2241	0	4578	7.33	3732
32	1817	1763	0	3580	2.42	7728
35	947	1624	0	2571	1.91	196
99	2389	3683	0	6072	5.83	3861
110	3605	4337	0	7942	6.89	4668
119	1841	2743	0	4584	4.19	8874
51	3700	2251	0	5951	5.26	3846
71	2562	2207	0	4769	3.95	4373
88	1871	2816	0	4687	3.13	1091
79	1972	1481	0	3453	2.83	1654
46	1584	1184	0	2768	2.28	2925
164	6181	1858	0	8039	3.36	8863
109	2867	3052	0	5919	3.66	11542
115	1105	1863	0	2968	2.74	0
39	1872	1399	0	3271	3.09	1754
34	784	1698	0	2482	2.87	624
2929	**45584**	**70940**	**0**	**116524**	**4.26**	**106935**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amethi	143301	129	143430	174743	129	174872
2	Sultanpur	161533	558	162091	212162	558	212720
3	Faizabad	175094	1472	176566	344307	1472	345779
4	Ambedkar Nagar	179123	1866	180989	245150	1866	247016
5	Barabanki	400903	1619	402522	431170	1619	432789
6	Balrampur	277241	1066	278307	228957	1066	230023
7	Shrawasti	180873	266	181139	117132	266	117398
8	Bahraich	509903	1459	511362	507714	1459	509173
9	Gonda	359366	838	360204	485348	838	486186
10	Bareilly	372529	8812	381341	234882	8812	243694
11	Shahrahanpur	351360	3405	354765	326335	3405	329740
12	Pilibhit	240691	1685	242376	165709	1685	167394
13	Budaun	451072	4486	455558	263247	4486	267733
14	Hardoi	555534	3425	558959	546383	3425	549808
15	Lakhimpur Kheri	555243	2065	557308	846381	2065	848446
16	Rae Bareli	355552	1695	357247	310439	1695	312134
17	Sitapur	682606	3385	685991	511241	3385	514626
18	Unnao	398627	2576	401203	366236	2576	368812
19	Lucknow	109728	10313	120041	126655	10313	136968
MVVNL Total		**6460279**	**51120**	**6511399**	**6444191**	**51120**	**6495311**
1	Kanpur City	0	6767	6767	0	6767	6767
75	**UP Total . .**	**15397774**	**309138**	**15706912**	**16823173**	**309138**	**17132311**

9	10	11	12	13	14	15
102	3287	2880	0	6167	3.53	235
76	5408	7884	0	13292	6.25	15769
125	4557	6398	0	10955	3.17	22671
93	4472	7987	0	12459	5.04	2040
110	4787	4625	0	9412	2.17	11342
55	1427	2376	0	3803	1.65	933
30	930	1876	0	2806	2.39	0
108	3475	3564	0	7039	1.38	5518
95	3968	7254	0	11222	2.31	12929
94	9117	13814	0	22931	9.41	14579
206	10255	14741	0	24996	7.58	20264
91	5493	11889	0	17382	10.38	883
163	8435	12254	0	20689	7.73	8599
100	2789	2428	0	5217	0.95	8636
102	2573	1991	0	4564	0.54	1403
95	3287	6220	0	9507	3.05	5805
114	2272	5524	0	7796	1.51	31385
90	3130	6702	0	9832	2.67	14096
91	2623	5971	0	8594	6.27	5270
2412	**82285**	**126378**	**0**	**208663**	**3.21**	**182357**
4	0	0	1020	1020	15.07	0
11058	**241958**	**344507**	**1020**	**587485**	**3.43**	**608970**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43-44 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के द्वितीय शुक्रवार को श्री सहेन्द्र सिंह रमाला, मा0 विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का संलग्नक

क्र0 संख्या	जनपद मा नाम	कुल पोषकों की संख्या (31.01. 2018 के अनुसार)	तीन माह की माहवार औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण घण्टों में			वार्षिक औसत विद्युत आपूर्ति (अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018) घण्टों में	दि0 01.02.2018 से 11.02.2018 तक औसत विद्युत आपूर्ति घण्टों में
			नवम्बर, 2017	दिसम्बर, 2017	जनवरी, 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	316	18:56	19:01	18:37	18:37	16:38
2	फिरोजाबाद	166	18:09	17:30	17:02	17:27	16:49
3	मैनपुरी	125	17:12	17:25	17:10	17:32	17:25
4	मथुरा	201	20:26	19:53	19:50	20:03	19:25
5	अलीगढ़	239	16:34	16:27	16:22	16:30	16:03
6	एटा	83	18:12	18:08	17:47	18:16	18:02
7	हाथरस	183	19:15	19:31	18:45	18:57	19:25
8	कासगंज	49	15:59	15:36	15:16	16:43	16:55
9	बांदा	91	19:32	18:32	18:44	18:27	17:15
10	चित्रकूट	44	19:05	18:17	16:51	17:53	16:55
11	हमीरपुर	79	19:48	18:34	18:13	19:07	18:58
12	महोबा	41	21:49	21:22	20:45	19:56	20:40
13	जालौन	104	19:11	19:10	18:37	18:31	20:00
14	झांसी	75	19:12	18:50	18:59	18:34	18:21
15	ललितपुर	37	18:34	17:45	17:32	17:50	13:05
16	औरैया	55	17:44	17:10	17:17	17:24	16:02
17	इटावा	122	17:44	17:47	17:33	17:59	18:00
18	फर्रूखाबाद	76	17:17	17:05	17:12	17:27	18:05
19	कन्नौज	72	17:54	17:03	17:47	17:48	17:45
20	कानपुर देहात	70	17:51	17:26	17:15	17:11	17:27
21	कानपुर नगर	90	18:11	17:39	18:12	17:45	18:32
22	बदायूं	152	17:22	17:13	16:53	17:02	17:18
23	बरेली	115	17:21	17:30	17:17	17:09	17:31
24	पीलीभीत	65	16:17	16:57	16:28	16:35	19:13
25	शाहजहांपुर	104	16:57	17:12	17:00	16:36	18:50
26	बहराइच	77	17:05	17:21	17:07	16:59	18:15
27	बलरामपुर	33	17:30	17:29	16:51	16:35	16:50
28	गोण्डा	70	17:24	17:32	17:03	16:45	18:40
29	श्रावस्ती	18	18:05	18:58	17:37	17:17	18:00
30	अम्बेडकर नगर	69	17:45	17:38	17:46	17:23	17:59
31	बाराबंकी	89	18:59	17:40	18:08	18:03	17:54
32	अमेठी	71	16:51	16:48	16:47	16:31	18:32
33	फैजाबाद	88	17:47	17:44	17:44	17:46	17:40
34	सुल्तानपुर	93	17:38	17:39	17:33	17:15	17:52
35	हरदोई	118	15:25	16:16	16:17	16:14	16:51
36	लखीमपुर	125	16:49	17:12	17:22	17:00	15:40

1	2	3	4	5	6	7	8
37	लेसा/लखनऊ	72	19:36	19:07	19:56	20:50	21:26
38	रायबरेली	107	15:37	17:10	16:31	16:14	17:50
39	सीतापुर	76	16:19	17:16	17:11	16:47	16:43
40	उन्नाव	79	16:03	16:57	17:06	16:40	17:24
41	बुलन्दशहर	291	16:40	17:06	16:36	16:58	17:51
42	नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)	59	17:20	17:42	18:07	17:42	18:15
43	गाजियाबाद	90	17:01	16:50	16:22	16:54	17:26
44	हापुड़	116	16:46	17:10	16:30	17:03	18:02
45	बागपत	277	16:51	17:19	17:17	16:46	17:14
46	मेरठ	269	17:01	17:01	17:10	17:04	17:20
47	अमरोहा	177	17:45	17:39	17:10	16:52	17:12
48	बिजनौर	266	17:35	17:17	17:04	16:54	17:22
49	मुरादाबाद	120	16:26	16:31	16:03	16:25	17:00
50	रामपुर	97	16:05	16:21	16:13	16:31	16:05
51	सम्भल	91	17:20	17:11	16:51	16:49	17:42
52	मुजफ्फरनगर	365	17:37	17:42	17:28	17:23	17:25
53	सहारनपुर	351	17:40	17:44	17:41	17:44	17:35
54	शामली	308	16:59	17:23	17:29	17:14	17:30
55	इलाहाबाद	232	17:58	17:48	17:38	18:20	17:35
56	फतेहपुर	137	17:44	17:48	17:50	18:03	18:00
57	कौशाम्बी	102	17:51	17:44	17:50	17:49	17:30
58	प्रतापगढ़	168	17:40	17:56	17:43	17:51	18:00
59	आजमगढ़	191	17:44	17:33	17:43	16:45	17:53
60	बलिया	92	17:05	16:58	17:05	16:41	15:32
61	मऊ	95	17:11	17:10	17:08	16:54	17:32
62	बस्ती	85	16:56	17:33	17:34	17:18	18:00
63	संतकबीर नगर	40	17:04	17:34	17:32	16:53	18:00
64	सिद्धार्थनगर	57	17:16	17:10	17:25	16:22	17:20
65	देवरिया	83	18:07	15:12	16:53	17:25	17:57
66	गोरखपुर	130	23:00	21:02	21:50	20:41	23:10
67	कुशीनगर	62	17:54	15:10	16:46	18:44	17:45
68	महाराजगंज	72	18:29	15:22	17:19	17:52	18:57
69	मिर्जापुर	100	17:53	17:55	17:59	17:22	18:02
70	संतरविदासनगर	68	16:35	17:18	17:12	17:24	17:30
71	सोनभद्र	59	18:00	18:15	18:12	17:24	18:25
72	चन्दौली	65	17:53	17:55	17:59	17:10	18:00
73	गाजीपुर	162	17:22	17:26	17:40	16:44	17:54
74	जौनपुर	138	17:20	17:35	17:35	16:51	17:50
75	वाराणसी	104	22:30	22:32	22:11	21:46	22:45
	योग . .	**9058**	**17:47**	**17:39**	**17:35**	**17:33**	**17:51**

मुख्य अभियन्ता
सी0एम0यू0(डी0)

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47-48 पर।)

विधायक, तमकुहीराज, कुशीनगर के पत्रांक 130/ने0का0वि0म0द0/2017, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित विद्युत दुर्घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों/पशुओं की सूची एवं कार्यवाही विवरण -

क्र0 सं0	दुर्घटना का विवरण	कृत कार्यवाही/आख्या
1	2	3
1	दिनांक 27 जुलाई, 2016 को दुर्गावती पुत्री श्री कुन्दन पटेल, निवासी ग्राम भगवानपुर, आयु 10 वर्ष, जो कि विद्यालय में पढ़ने गयी थी। जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
2	दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 को उदय प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र श्री श्यामलाल, निवासी ग्राम गौरीइब्राहिम, आयु 28 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
3	दिनांक 16 जून, 2016 को गोविन्द मिश्र पुत्र स्व0 रामाशंकर, निवासी ग्राम समउर, आयु 38 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
4	दिनांक 30 अक्टूबर, 2016 को उपेन्द्र यादव पुत्र श्री सुरेश यादव, निवासी ग्राम तिवारीपट्टी, आयु 18 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	मृतक के हितग्राही श्री सुरेश यादव, निवासी ग्राम तिवारीपट्टी, पो0 सेवरही, जनपद कुशीनगर को 5 लाख की अनुग्रह धनराशि चेक सं0 151989, दिनांक 11 जनवरी, 2018 को दे दी गयी है।
5	दिनांक 29 अगस्त, 2016 को मुकेश पुत्र लालबिहारी, निवासी ग्राम भटवलिया नं0 3, आयु 26 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।

1	2	3
6	दिनांक 13 जून, 2017 को रूपावली देवी पत्नी क्रिश निषाद, निवासी ग्राम बासगांव खलवा टोला, आयु 36 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
7	दिनांक 13 जून, 2017 को पतरू पुत्र बिरझन, निवासी ग्राम बासगांव खलवा टोला, आयु 30 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
8	दिनांक 04 अप्रैल, 2017 को मोहम्द्दीन पुत्र अंगारा, निवासी ग्राम माधोपुर बुजुर्ग, आयु 55 वर्ष, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
9	दिनांक 13 जून, 2017 को हरिहर पुत्र भेखरी, निवासी ग्राम बासगांव खलवा टोला, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
10	दिनांक 13 जून, 2017 को अमरजीत पुत्र हरिहर, निवासी बासगांव खलवा टोला, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।
11	दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को धारी पुत्र रघुनन्दन, निवासी ग्राम बासगांव खलवा टोला, जिसके ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।

1	2	3
12	दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को चन्दा पुत्री मैनेजर पुत्र वंशी व राजू, राजन, वीरू, शनी, गोलू, संतोष तथा हृदयेश, निवासी ग्राम बासगांव टोला धुरपट्टी की मूर्ति विसर्जन के दौरान जाते समय ट्रैक्टर ट्राली पर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से असामयिक मृत्यु हो गयी।	दुर्घटना की जांच उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0 प्र0 शासन द्वारा कर ली गयी है, अनुसंधान आख्या प्रतीक्षित। अनुसंधान आख्या के नियमानुसार अनुग्रह धनराशि मृतक के परिजन/मृतक हितग्राही को दे दिया जायेगा।

पी0एस0यू0पी0-77 विधान सभा(142)-21-08-2018-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।